

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
 प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 10, 2001 (फाल्गुन 19, 1922)
 No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 10, 2001 (PHALGUNA 19, 1922)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संग्रहण के लिये हो सके।
 (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.)

भाग III—खण्ड 4
 [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं।

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies.]

भारतीय रिजर्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग

केन्द्र 1, विश्व व्यापार केन्द्र

कफ परेड, कोलकाता

संख्या-400 005, दिनांक 16 फरवरी 2001

अधिकरण करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक इसके द्वारा यह विनिर्दिष्ट करता है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) रखे जाने वाले औसत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात का प्रतिशत अंक नीचे बताया गयी तारीखों से उनके सामने दर्शाये गये अनुसार होगा :

प्रभावी तारीख (अर्थात् निम्न-लिखित तारीख से प्रारंभ पश्चात्)	गुद्ध मांग और मीयादी देयताओं पर प्रारक्षित निधि नकदी अनुपात (प्रतिशत)
21 फरवरी 2001	8.25
10 मार्च 2001	8.00

संदर्भ : बैंकविधि सं० बीसी० 77/12.01.001/2000-2001-भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 21 जुलाई 2000 की अपनी अधिसूचना बैंकविधि सं० बी०सी० 07/12.01.001/2000-01 का

भारतीय स्टेट बैंक
सहयोगी एवं अनुषंगी मम्ह

मुंबई, दिनांक 22 फरवरी 2001

भारतीय स्टेट बैंक (सहयोगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 29 (1) के निबंधनानुसार भारतीय स्टेट बैंक ने स्टेट बैंक आफ पटियाला के निदेशक बोर्ड में परामर्श करके तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से श्री ए०के० पुरवार का कार्यग्रहण तिथि से तीन वर्ष तक के लिए स्टेट बैंक आफ पटियाला के प्रबंध निदेशक पद पर नियुक्त किया है।

जानकी बल्लभ
अध्यक्ष

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
प्रधान कार्यालय

पुणे-5, दिनांक 07 फरवरी 2001

सं० ए०एक्स० 1/असेवि/926/2001—बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (बैंक आफ महाराष्ट्र) का निदेशक मण्डल भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से तथा केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से (बैंक आफ महाराष्ट्र) अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1979 में संशोधन करने के लिए एतद्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है नामतः

1. () इन विनियमों को (बैंक आफ महाराष्ट्र) अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2000 कहा जा सकेगा।

() ये विनियम राजपत्र के प्रकाशन की तारीख प्रभावी होंगे।

2. (बैंक आफ महाराष्ट्र) के अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1976 में—

() विनियम 3 के उप नियम (1) में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, नामतः—

“प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी बैंक के हितों को सुनिश्चित करने एवं उनकी रक्षा करने के लिए सदैव सभी संभव उपाय करेगा तथा अपना कार्य पूरी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निष्ठा एवं तत्परता से करेगा तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो एक अधिकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय हो।”

() विनियम 3 के उप नियम (3) के बाद निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाएगा, नामतः: “बशर्ते कि, जहां ऐसे निदेश मौखिक रूप से दिए जाएं, इन निदेशों की पुष्टि उसके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा लिखित रूप में की जाएगी।”

() विनियम 6 के उप-विनियम () में विद्यमान उप-बंध के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः

“किन्तु ऐसी मंजूरी के बिना कोई अधिकारी कर्मचारी, सामाजिक या धार्मिक, अर्थनिक कार्य या साहित्य, कला, वैज्ञानिक कार्य या साहित्य, कला, वैज्ञानिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक या सामाजिक प्रकार के प्रामाणिक कार्य कर सकता है, बशर्ते कि उससे उसकी कार्यालय ड्यूटियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। लेकिन यदि मक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके लिए कारण बताते हुए ऐसा न किए जाने का अनुदेश दिया जाता है तो वह ऐसा कार्य नहीं करेगा या जारी नहीं रखेगा।”

() विनियम 6 के उप विनियम (4) में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा नामतः—

(4) “मक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना कोई अधिकारी कर्मचारी किसी सार्वजनिक निकाय या किसी प्राइवेट के लिए अपने द्वारा किए गये किसी कार्य के लिए शुल्क, पारिश्रमिक, मानदेय एवं ऐसे किसी रूप में नकद अथवा इस प्रकार का कोई भुगतान स्वीकार नहीं करेगा।”

ह० ना० तावडे

उपमहाप्रबंधक, बैंक आफ महाराष्ट्र
केन्द्रीय कार्यालय, पुणे

इलाहाबाद बैंक

प्रधान कार्यालय (विधि विभाग)

कलकत्ता-700001, दिनांक 22 फरवरी 2001

सं० एच/ओ/लीगल/1257—दिनांक 22-07-2000 के भारत के राजपत्र के भाग III, खण्ड 4 के पृष्ठ सं० 3179 तथा 4185 में (क्रमशः हिन्दी और अंग्रेजी में) प्रकाशित दिनांक 08 जुलाई, 2000 की अधिसूचना सं० एचओ/लीगल/0598 के संदर्भ में केन्द्रीय सरकार के परामर्श में तथा अनुमोदन के अधीन इलाहाबाद बैंक का मक्षम प्राधिकारी निम्नांकित संशोधन करता है :—

1) उपर्युक्त अधिसूचना का प्रथम पैराग्राफ, एतद्वारा निम्नांकित रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है :—

“बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इलाहाबाद बैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवा निवृत्ति के बाद गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में नौकरियों की स्वीकृति) विनियम 1980 तथा 16-06-1995 की अधिसूचना सं० एचओ/लीगल/0285 द्वारा यथासंशोधित, का अधिक्रमण करते हुए इलाहाबाद बैंक का निदेशक मण्डल भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से तथा केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

आर० एल० बस्ता

सहायक महाप्रबंधक (विधि)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 1 नवम्बर, 2000

सं० यू०-16/53/98-चि० 2 (हैदराबाद):—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम-105 के अधीन निगम की शक्तियाँ महानिदेशक को प्रदान करने के सम्बन्ध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा 25-4-1951 की बैठक में पारित किये गये संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23-5-1983 द्वारा ये शक्तियाँ आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा हैदराबाद केन्द्र व क्षेत्रीय उप चिकित्सा आयुक्त (दक्षिण-पूर्व जोन) द्वारा नियत किए गये क्षेत्रों के लिये, बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच करने और मूल प्रमाण-पत्र प्रदान करने के प्रयोजन के लिये मौजूदा मानकों के अनुसार मासिक पारिथमिक पर चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये डा० श्याम सुन्दर की सेवाएं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिये या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्य ग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाती हूँ।

(17-1-2000 से 16-1-2001)

डा० (श्रीमती) एम० सिंह,
चिकित्सा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर, 2000

सं० एन० 15/13/6/1/89-यो० एवं वि० :—(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 दिसम्बर, 2000 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिसमें उक्त विनियम 95-क तथा केरल कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ केरल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जायेंगे, अर्थात् :—

“जिला एवं तालुक कासरगोड के राजस्व ग्राम पत्तूर कोट्टपाडि, इडनाड और कण्णूर के अधीन क्षेत्र।”

आर० सी० शर्मा,
उप निदेशक (यो० एवं वि०)

सं० एन-15/13/1/23/99-यो० एवं वि० :—(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जनवरी, 2001 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क के तथा आन्ध्र प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा

नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ आन्ध्र प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात् :—

जिला रंगारेड्डी के मण्डल शम्साबाद में राजस्व ग्राम :—

‘शम्साबाद, मकता बहादुर अली, कोतवाल गुडा, लगर गुडा, गोलकोंडा खुर्द, गोलकोंडा कलां, बहादुर गुडा, सैय्यद-गुडा, संगी गुडा, गोन्नापल्ली कलां, गोन्नापल्ली खुर्द, शहजादी बेगम, चेलीगुडा, हमीदुल्ला नगर, शक्रापुर, पोणेटीगुडा, रणीदगुडा, पेद्दाशापुर, गन्डीगुडा, घासी मिया गुडा, तोन्डुपल्ली, उठपल्ली, किशनगुडा, देवतलाबौली, हरी गुडा, नर्कोडा, अम्मापल्ली, चौदर गुडा तथा पाणमबंदा।

आर० सी० शर्मा,
उप निदेशक (यो० एवं वि०)

दिनांक 13 दिसम्बर, 2000

सं० एन-15/13/11/2/96-यो० एवं वि० :—(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 अगस्त, 2000 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिसमें उक्त विनियम 95-क तथा पंजाब कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ पंजाब राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जायेंगे, अर्थात् :—

क्रमसं०	राजस्व ग्राम का नाम	हृदयस्त संख्या	तहसील	जिला
1.	मिगरीवाला	245	होशियारपुर	होशियारपुर
2.	चकगुजरां	234	होशियारपुर	होशियारपुर
3.	नसराला	235	होशियारपुर	होशियारपुर
4.	पिपलावाला	246	होशियारपुर	होशियारपुर
5.	मण्डियाला	204	होशियारपुर	होशियारपुर

आर० सी० शर्मा,
उप निदेशक (यो० एवं वि०)

नई दिल्ली, दिनांक 14 दिसम्बर, 2000

सं० यू० -16/53/99-चि० 2 (केरल):—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियाँ प्रदान करने के सम्बन्ध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किये गये संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23-5-1983 द्वारा ये शक्तियाँ आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डाक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिव-

श्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिये पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को उप चिकित्सा आयुक्त (दक्षिण जोन), बंगलौर द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिये बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिये चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती हूँ।

डाक्टर का नाम	अवधि	केन्द्र का नाम
1. डा० वी० आर० राजम्मा	29-12-2001 से 28-12-2001	अलेप्पी व कोट्टायम
2. डा० सान्था राजेन्द्रन	01-12-2000 से 30-11-2001	कन्नूर
3. डा० एम्० एम्० वेनसन	1-02-2001 से 31-01-2002	त्रिवेन्द्रम

डा० (श्रीमती) सुभाष सिंह,
चिकित्सा आयुक्त

सं० यू-16/53/99-चि०-2(केरल)—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 की हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23-5-1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डाक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को उप चिकित्सा आयुक्त (दक्षिण जोन), बंगलौर द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ।

डाक्टर का नाम	अवधि	केन्द्र का नाम
डा० जोसेफ एडविन	29-12-2000 से 28-12-2001	कोलम

डा० (श्रीमती) सुभाष सिंह
चिकित्सा आयुक्त

सं० यू-16/53/94-चि०-2 (असम)—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दिनांक 25 अप्रैल, 1951 की बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 (जी) दिनांक 23-5-1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा असम केन्द्र व क्षेत्रीय उप चिकित्सा आयुक्त (पूर्वी क्षेत्र) द्वारा नियत किए गए क्षेत्रों के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच करने और मूल प्रमाण पत्र प्रदान करने के प्रयोजन के लिए मौजूदा मानकों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए डा० ए० के० बरुआ की सेवायें 18-8-2000 से 17-8-2001 या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाती हूँ।

डा० (श्रीमती) सुभाष सिंह
चिकित्सा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 14 दिसम्बर 2000

सं० एन-15/13/1/30/99-यो० एवं वि० (2)—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जनवरी, 2001 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिसमें उक्त विनियम 95-क तथा आन्ध्र प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम, 1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ आन्ध्र प्रदेश में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :—

“खम्मम नगरपालिका में आने वाले सभी क्षेत्र, खम्मम शहरी मंडल में आने वाले राजस्व ग्राम खानापुरम (एच), बल्लेपल्ली, रघुनाथापालेम, वेलुगुमटला, धम्मसलापुरम, कोयाचेल्ला, वा वेंकटयापालेम, रेगुलाचेल्ला खम्मम (ग्रामीण) मंडल में आने वाले राजस्व ग्राम गोलापाडु, पोलेपल्ली, येदुल्लपुरम, गुरीलापाडु, मडुलापल्ली, तेलडारपल्ली, कामचिकल, मल्लेमडुपु, दानवाईगुडिम, बारुगुडिम, एम वेंकटयापालेम, पल्लेगुडिम, मुठागुडिम, तथा गुडिमल्ला, चिस्तकानि मंडल में आने वाले राजस्व ग्राम बन्धनम, बस्वापुरम तथा पांघिल्लपल्ली।

आर० सी० शर्मा
उप निदेशक (यो० एवं वि०)

नई दिल्ली, दिनांक 18 दिसम्बर 2000

सं० यू-16/53/94-चि० 2 (राजस्थान)—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा 25-4-1951 की बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 (जी) दिनांक 23-5-83 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा

श्रीगंगा नगर केन्द्र व क्षेत्रीय उप चिकित्सा आयुक्त (उत्तर-पश्चिम जोन) द्वारा निबल किए गए क्षेत्रों के लिए, बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच करने और मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें और प्रमाण पत्र प्रदान करने के प्रयोजन के लिए मौजूदा मानकों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए डॉ० सतीश शर्मा की सेवाएं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाती हूँ।

डा० (श्रीमती) एस सिंह
चिकित्सा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 2 दिसम्बर 2000

सं० यू-16/53/94 वि० 2 (राजस्थान)—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा 25-4-1951 की बैठक में परित्यक्त किए गए संकल्प के अमूर्तकरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 (जी) दिनांक 23-5-1983 द्वारा ये शक्तियां अपने मुझे सीपी जून पर मैं इसके द्वारा आबू रोड केन्द्र व क्षेत्रीय उप चिकित्सा आयुक्त (उत्तर-पश्चिम जोन) द्वारा निबल किए गए क्षेत्रों के लिए, बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच करने और मूल प्रमाण पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें और प्रमाण पत्र प्रदान करने के प्रयोजन के लिए मौजूदा मानकों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए डा० आर० पी० गौड़ की सेवाएं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाती हूँ।

डा० (श्रीमती) एस० सिंह
चिकित्सा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 20 दिसम्बर 2000

सं० एन-15/13/1/2/99—यो० एवं वि० (2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक 01 जनवरी, 2001 ऐसी सारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा आन्ध्र प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ आन्ध्र प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :-

“श्रीकाकुलम जिले के राजम मण्डम के अन्तर्गत आने वाले राजस्व ग्राम :-

राजम, कोसवलसा, पेनुबका, श्री० आर० अग्रहारम, गोपाल-पुरम अन्तर्कापल्ली, मुगिलवलसा और राजय्यापेट”।

आर० सी० शर्मा
उप निदेशक (यो० एवं वि०)

नई दिल्ली, दिनांक 22 जनवरी 2001

संख्या बी-33 (13) 13/98-स्था० 4 : क० रा० बी० (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 10 के साथ पठित क० रा० बी० अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 25 के अनुसरण में क० रा० बी० निगम के अध्यक्ष पांडिचेरी राज्य के क्षेत्रीय बोर्ड कागठन करते हैं। इस बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

क्र० सं० नाम तथा पदनाम	विनियमाधीन
1. श्रम एवं शिक्षा मंत्री, पांडिचेरी सरकार।	अध्यक्ष विनियम 10 (1) (क)
2. सचिव (श्रम) पांडिचेरी।	उपाध्यक्ष विनियम 10 (1) (ख)
3. सचिव (स्वास्थ्य), पांडिचेरी सरकार।	सदस्य विनियम 10 (1) (ग)
4. निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवा, पांडिचेरी सरकार।	सीधे प्रभारी अधिकारी, क० रा० बी० योजना-पदेन सदस्य विनियम 10 (1) (घ) (1)
5. उप चिकित्सा आयुक्त, क० रा० बी० निगम, दक्षिण जोन, बेंगलूर।	पदेन सदस्य विनियम 10 (1) (घ) (11)
6. श्री एन० वरदराजन, प्रभारी महाप्रबंधक, मै० स्वदेशी काटन मिल्स, पांडिचेरी।	नियोजक प्रतिनिधि विनियम 10 (1) (ङ.)
7. श्री के० वरदराजन, महाप्रबंधक, श्री भारती मिल्स, पांडिचेरी।	नियोजकों के अतिरिक्त प्रतिनिधि विनियम 10 का परन्तुक
8. श्री के० रुद्रप्पासामी, महाप्रबंधक, मै० सुन्दर राजा मिल्स, नेडनगड्डु, कराइकला।	नियोजकों के अतिरिक्त प्रतिनिधि विनियम 10 का परन्तुक
9. श्री सी० करुणानिधि, प्रबंधक, मै० करूर के० सी० पी० पैकेजिंग लि०, ततानचावडी।	नियोजकों के अतिरिक्त प्रतिनिधि विनियम 10 का परन्तुक
10. श्री ए० धैर्यनाथन, अध्यक्ष, थेजिललार मुनेत्र संगम, 72, केनेडी नगर, पांडिचेरी-1।	कर्मचारी प्रतिनिधि विनियम 10 (1) (ङ.)

1	2	3
11.	श्री वी०एम० अभिराम, सचिव, एटक, पांडिचेरी टेक्साटाइल्स मिल्स: परन्तुक। श्रमिक संघ, यूनियन नं० 7, बेलाला स्ट्रीट, पांडिचेरी।	कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रतिनिधि विनियम 10 का परन्तुक।
12.	श्री शंकरन, अध्यक्ष, सीटू, 238, कामराज मलाइ, पांडिचेरी।	कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रतिनिधि विनियम 10 का परन्तुक।
13.	श्री बालाराम, सदस्य, वी०एम०एस० स्टेट एग्जीक्यूटिव, सं० 8, टाइप-3 क्वाटर्स, जिपमेर ह्यास्पिटल कैम्पस, धन्वंतरि नगर, पांडिचेरी-605 006।	कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रतिनिधि विनियम 10 का परन्तुक
14.	क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, क० रा० वी० निगम, चेन्नई (नमिन्नाडु)	सदस्य सचिव विनियम 10 (3)

मुमन स्वरूप
महानिदेशक

श्रम मंत्रालय
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
(केन्द्रीय कार्यालय)

नई दिल्ली-110 066, दिनांक 29 दिसम्बर 2000

सं०ई०-3/16(20)99/प०बंगाल—कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 17 की उपधारा (4) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं

अनुसूची-1

क्र०सं०	काष्ठ नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	मै० गुजरात इण्डस्ट्रियल को०आप० बैंक लि०, यूनियन को० आप० इन्शोरेंस बिल्डिंग, आशम रोड अहमदाबाद-14	जी जे/4673	1-1-98 से 4/217/2000/डी एल आई 23-6-2000
2.	मै० डेल्टा कारपोरेशन भारत बोबिनस लि०, कम्पाऊण्ड अजीत मिल्स के सामने रखियल रोड अहमदाबाद-380023।	जी जे/6764ए	1-11-95 से 4/218/2000 31-10-98 1-11-98 से 23-6-2000

अजय सिंह, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, मेसर्स अवरपारा जूट मिल्स, डब्ल्यू बी/37 बैनर्जी भवन, 15, बराबोर्नी रोड, पांचवीं मंजिल, कलकत्ता-700001 को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या-ई/102 (19) ई/ए-57 दिनांक 17-10-57 द्वारा प्रदान की गई छूट को मैं 31-3-2000 से मेरे समक्ष प्रस्तुत की गई जानकारी के आधार पर पर्याप्त कारणों से छूट रद्द करता हूँ।

अजय सिंह
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 14 दिसम्बर 2000

सं. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-1/3014—जहाँ अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोजताओं ने (जिसें इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूँकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात में संतुष्ट है कि उक्त स्थापना को कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि एम० कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबन्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है। जिसें इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक को सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि में उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवरपारा ने स्कीम की धारा 28 (7) के अन्तर्गत दीव प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम को संभालने की छूट प्रदान कर दी है।

1	2	3	4	5
3.	मै० केयूर इण्डस्ट्रीज गुलाब मार्ग एम० टी० रोड, मिथपुर जी जे/10342 —384151 (एन० जी०)		1-5-95 से 30-4-98 1-5-98 मे 23-6-2000	4/219/2000
4.	मै० कोरिन एन्टरप्राइजिज रोड नं० 184, लेन नं० 6, जी जे/11006 एम० एम० ए० बमन्त, ओधव अहमदाबाद		1-3-97 मे 29-2-2000 1-3-2000 से 23-6-2000	4/220/2000
5.	मै० सर्वोदय कर्मशियल को० आप० बैंक लि०, एच० ओ० जी जे/16905 पोस्ट बाक्स नं० 20, आजाद चौक, मेहसाना-384001		1-7-98 से 23-6-2000	4/221/2000
6.	मै० ब्लूवेल पोलिमर्स प्रा० लि०, 79, जी० बी० एम० एम० जी जे/17027 औद्योगिक बसाहत लि०, ओधव अहमदाबाद		1-3-98 से 23-6-2000	4/222/2000
7.	मै० श्री मारिनाथ इण्डस्ट्रीज जी० डी० हाई स्कूल रोड, जी जे/17474 सैजपुर बोधा, अहमदाबाद		1-11-95 से 31-10-98 1-11-98 मे 23-6-2000	4/223/2000
8.	मै० गुजरान होटल्स प्रा० लि०, ड्यू हिन होटल, पिलगार्डन जी जे/17551 के गाम भावनगर-364001		1-11-97 से 23-6-2000	4/224/2000
9.	मै० खादी मन्दिर सेन्ट्रल बैंक के सामने, गांधी रोड, जी जे/17683 अहमदाबाद		1-3-94 से 28-2-97 1-3-97 मे 29-2-2000	4/225/2000
10.	मै० विशाल इण्डस्ट्रीज 919, जी० आई० डी० सी० जी जे/17932 बी छटरन-382729 तल० कलोल (एन० जी०) जिला महसाना		1-3-97 से 29-2-2000	4/226/2000
11.	मै० प्रेमीमनरीप इण्डस्ट्रीज, 184/1, जी० बी० एम० एम० जी जे/19174 ए० बगाहत ओधक, अहमदाबाद-382410		1-3-97 मे 29-2-2000	4/227/2000
12.	मै० एन्टरप्रेन्योरशिप डेवलप० इन्स्टीट्यूट आफ इण्डिया, जी जे/23730 भटगांव के पास, वाया अहमदाबाद एयर पोर्ट, पी० ओ० भट 382528 गांधीनगर		1-6-98 मे 23-6-2000	4/228/2000

1	2	3	4	5
13.	मै० वीडियोफोन इंटरनेशनल लि०, (टेलिविजन यूनिट) जी जे/24365 ए ई०-23 वस० 24, जी० आई० डी० सी० इलेक्ट्रॉनिक्स एस्टेट, गांधीनगर-382044 गुजरात		1-9-97 से 23-6-2000	4/229/2000
14.	मै० टुडोर इण्डिया लि०, प्रान्तीय फैक्टरी प्लॉट नं० 10- 1, कमालपुर गांव, प्रान्तीय-383205 सबरकान्था गुजरात	जी जे/24467	1-5-96 से 30-4-99 1-5-99 से 23-6-2000	4/230/2000
15.	मै० सरदार डेरी लि०, स्टेट हार्डवे, महसाना-284002	जी जे/25587	1-5-96 से 30-4-99 1-5-99 से 23-6-2000	4/231/2000

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिस इकाई के अन्तर्गत नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा-जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाह करेगा जो क्षेत्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड (क) की अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाह, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संवाह आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, क्षेत्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रतिलिपि और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उसे संशोधन की प्रतिलिपि तथा कर्मचारियों की सहमति की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुबाद स्थापना के कार्यालय पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहलू ही समझता है, उससे स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में अपना नाम गन्त दर्ज करेगा और उसकी वास्तव आयुक्त प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम संवत् करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुमोदित हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संवाह राशि से कम है जो कर्मचारी को उस वक्त में संवाह हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/भाग निवृत्तियों की प्रतिकर के रूप में बोनस राशि को बराबर राशि का संवाह करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का अधिकार्युक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसके स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम है और तो रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश उस निगम तारीख के भीतर जो बीमा निगम निगम करे प्रीमियम का संवाह करने में असमर्थ रहता है और पालिसी को व्यपन्न होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्ययों की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्दिष्टता या निधिकारियों को यदि यह छूट दी गई हो तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होने बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व निर्धारण पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन जाने वाली किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हक्दार नाम निर्दिष्टता/निधिकारियों की बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

एस. रघुराम
अध्यापक
अध्यापक

सं. 2/1959/डी. एन. आई./भाग-1/3038
—यहाँ अनुसूची-1 में उल्लिखित निम्नलिखितों ने (जिसे इसमें इसकी पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन

अनुसूची-I

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फा० नं०
1.	मी० सूर्य उद्योग स्विनिंग लि०, सूर्य टावर, 7वां तल सरदार पटेल मार्ग, सिकन्दराबाद-500003 तथा शाखायें	एपी/27997	1-3-99 से 30-11-2000	1/166/2000/सी-5
2.	मी० टैक्नो सिस्टम्स, रोड नं० 33, आई० डी० ए मालापुर हैदराबाद-500076	एपी/26100	1-3-94 से 28-2-97 1-3-97 से 29-2-2000 1-3-2000 से 30-11-2000	1/167/2000
3.	मी० विजय इलेक्ट्रोकेल्स इन्द्रराम, रतनचेरू (मण्डल)- 502329 मेडक जिला एपी०	एपी/30984	1-8-97 से 31-7-2000	1/168/2000
4.	मी० कॉन्टीनेन्टल काफी लि०, 7-1-24/2/डी, "गिन्डले" अभिरपेट, हैदराबाद-500016	एपी/26108	1-3-99 से 30-11-2000	1/169/2000
5.	मी० लासौर डोट नं० 3-4-480/3, धर्मेतपुरा, हैदराबाद- 500027।	ए पी/16325	1-3-96 से 28-2-99 1-3-99 से 30-11-2000	1/170/2000
6.	मी० मैटको सीबोरेटोस लि०, "मैटको हाउस" मार्ग नं० 2, मन्जारा, हिल्स, हैदराबाद-500033	एपी/26202	1-5-94 से 31-3-96	1/171/2000
7.	मी० श्री गोपीकृष्णा, प्रबोलीड मार्डन राइस मिल्स नजदीक मुरिफ कोर्ट, माईरालागुडा-568207 नालगुडा जिला	एपी/18739	1-10-96 से 30-9-99 1-10-99 से 30-11-2000	1/172/2000

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी धिवरणिशां भेजना और लेखा रखना तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुशियाएं प्रदान करना जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निदिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसकी अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, धिवरणिशां का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी के संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उसे संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अन्वाद स्थापना के चुनाव पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्ति किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में अपना नाम सूचक दर्ज करेगा और उगकी वास्तव आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम से दत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वित्तु किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों में अधिक अनकूल हो तो उक्त स्कीम के अधीन अन्तर्गत है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदाय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस वृत्त में संदाय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशियों को प्रतिकार के रूप में दत्त राशिओं के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के जखानों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहाँ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व वसुसामियों को अपना दृष्टिकोण प्रकट करने का अधिकार प्रदान करेगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सम्बन्धित बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं आ पाया है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाये तो स्कीम रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत वारिस के भीतर जो बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रह जाता है और पालिसी का व्ययगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि वह छूट दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों का बीमाकृत राशि का संदाय उत्तरदायिता से और प्रत्येक वर्ष में भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त होने के एक मास के भीतर निर्दिष्ट करेगा।

एस. रघुराम

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/बी. एल. आई./भाग-1/3050
—जहाँ अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोजताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है। (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई ठरुम संशोधन या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी विशेष सहसंबंध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक उत्कृष्ट है (जिसे इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के मामले में उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस निधि में उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कोला में स्कीम की धारा 23(7) के अंतर्गत डील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी गई है।

अनुसूची-1

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फा० नं०
1	2	3		5
1.	मै० इंडसियल इलेक्ट्रो स्मैल्ट्स लि० नं० 6-679, पल्लथेरी, इलापुल्ली, जिला पालाकाड, केरल	केके/14659	1-9-99 से 23-6-2000	8/157/2000/डीएलआई
2.	मै० केश मिपितम इण्डस्ट्रीज लि०, पथनामथिया, मार्ई लेपरा मार्ग-689645	केआर/12557	1-1-96 से 31-12-98 1-1-99 से 23-6-2000	8/158/2000
3.	मै० केरला स्टेट इन्वैट्रानिक्म डवलपमेंट कार्पोरेशन लि०, क्रेट्टलम हाऊस वेनीएमपालम, तिवेन्द्रम	केआर/3184	1-7-88 से 30-6-91 1-7-91 से 30-6-94 1-7-94 से 30-6-97 1-7-97 से 30-6-2000	8/159/2000

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इनमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) राक्षित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा-जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में अपना नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ दया जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संबन्ध राशियों कम हैं जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिवत आश्रितों/नाम निर्दिष्टों को श्रुतिकर के रूप में इन राशियों के अन्तर के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का मौखिक अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली राशि किसी राशि से कम हो जाए तो रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्ययिष्ठक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निदेशितों या निदेशित वारिसों को यदि यह छूट दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत हानि, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम को अधीन माने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निदेशितों/विविध वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्पश्चात् से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर स्वीकृति करेगा।

एस. रघुराम
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एन. आई./भाग-4/3057
—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोजकों ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा

17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट को विस्तार के लिए प्रस्ताव किया है। जिसे हममें इसकी पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है।

क्योंकि, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी क्षेत्र अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहवर्धन बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त हिमाचल प्रदेश ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत ठीक प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम को संचालन की छूट प्रदान कर दी गई है।

अनुसूची-1

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	छूट की प्रभावी तिथि	क० भ० नि० आ० फा० सं०
1.	मै० एसोसिएटिड सीमेन्ट कम्पनी लि०, गगाल सीमेंट वर्क, वरमाना, बिलासपुर, शिमला, हि० प्र०	एचपी/10160	1-8-87 से 31-7-90 1-8-90 से 31-7-93 1-8-93 से 31-7-96 1-8-96 से 31-7-99	17/17/2000/डीएलआई
2.	मै० एरो डाईंग विलेज बाडी तह० नालागढ़ जिला सोलन, हि० प्र०	एचपी/18111	1-3-96 से 28-2-99 1-3-99 से 23-6-2000	17/16/2000
3.	मै० दि ब्रदर अर्बन को० आप० बैंक लि०, सोलन, हि० प्र०	एचपी/18339	1-1-99 से 23-6-2000	17/18/2000

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रचालन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों के प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहाना नियोजक इससे किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उसे संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना के भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरक्षित रख करेगा और उसकी वांछित आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम संघत करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों को लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनु-कुल हों या उक्त स्कीम के अधीन अनुसूच्य है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी को मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जहाँ वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिवक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिफल के रूप में वही राशि को बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना धीष्टकाण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले जमाना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाये तो छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पाँचवीं की व्यवगत होने बिना जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन छूट सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिवक वारिसों को यदि यह छूट दी गई हो तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन जाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिवक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय सत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम में बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

एस. रघुराम

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-1/एकजम/89/3064
—जहाँ अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोजकाओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 को उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

क्षेत्रीय केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहवृद्धि बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश ने स्कीम की धारा 28 (7) के अंतर्गत छील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी गई है।

अनुसूची-1

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	छूट की प्रभावी तिथि	क्र० भ० नि० आ० फा० नं०
1.	मै० मिनार मार्केटिंग प्रा० लि०, पहली मंजिल 134, चन्द्रलोक कॉम्प्लेक्स, सिकन्दराबाद-500003.	ऐपी/18504	1-12-90 से 30-11-93	1/197/2000/डीएलआई
2.	मै० लिबरा प्लास्ट प्रा० मेडीकोडा, वारंगल-506142.	ऐपी/18702	1-3-94 से 28-2-95 यह संस्थान ई०डी० एल०आई० में परिवर्तित हो गई है। दिनांक 1-3-98 से।	1/198/2000

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् निवोचक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियाँ भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समान-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. निवोचक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक भाग की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जावे, तब उसे संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पत्र पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना को भीषण निधि का पहले ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बावत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत् करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हैं या उक्त स्कीम के अधीन अनुकूल हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदाय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदाय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधि वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिस स्थापना पहले ही अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो उक्त स्कीम रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रह जाता है और पाँचवीं को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये व्यक्तिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दो गई हो तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाली किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हक्दार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय सत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि सत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम में बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

एम्. रमेश

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

नई दिल्ली-66, दिनांक 29 नवम्बर 2000

गं. 2/1959/डी. एल. आई/भाग-1/एजम/89/3070
—जहाँ अनुसूची-1 में उल्लिखित निषेधताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवश्यक किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूँकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई भी अलग अंशदान या प्रीमियम को अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निषेध सहनत्व बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है। (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र ने स्कीम की धारा 28 (7) के अंतर्गत डील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त के संशोधन की छूट प्रदान कर दी गई है।

अनुसूची-1

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता	क्राइस्ट सं०	छात्र की पंजीयन तिथि	कै० प्रमाणिका का नं०
1	2	3	4	5
01.	मै० एम० एच० सेल्म कार्पोरेशन, फुगेवाडी, पुणे-411022	एम० एच०/16062	1-1-90 से 31-12-92 1-1-93 से 31-12-95 1-1-96 से 31-12-98 1-1-99 से 23-6-2000	9/119/2000/बी-5
02.	मै० टाटा टैकनालाजिस (इंडिया) लि०, टेलको ट्रेनिंग होटल प्रीमियम, पिम्प्री, पुणे-411018 तथा शाखाएं	एम० एच०/32389	1-7-98 से 23-6-2000	9/121/2000
03.	मै० ग्राफिट बैकर्स इंडिया लि०, प्लॉट नं० सी-7, अम्बाद इण्डस्ट्रियल एरिया, नासिक-422010	एम० एच०/23430	1-9-92 से 31-8-95 1-9-95 से 31-8-98 1-9-98 से 23-6-2000	9/102/2000
04.	मै० मिश्रा चंदन एंड कम्पनी, 29/8, माइल्स स्टोन मुजा कूडिबारी, वर्धा, मार्ग बुटीबोरी जिला, नागपुर।	एम० एच०/61435	1-9-98 से 23-6-2000	9/122/2000
05.	मै० भिमा पटाश सहकारी मखार कारखाना लि०, मधुकर नगर, पटाश-412719, तहसील दुन्द, जिला पुणे (महाराष्ट्र)	एम० एच०/18303	1-2-2000 से 23-6-2000	9/123/2000
06.	मै० पालानिकार इंजीनियरिंग प्रा० लि०, 427/42, पुणे स्माल स्कोल इण्डस्ट्रियल कोप० स्टेट लि०, गुल्टेकाडो, पुणे-411037	एम० एच०/12299	1-2-90 से 31-1-93 1-2-93 से 31-1-96 1-2-96 से 31-1-99 1-2-99 से 23-6-2000	9/72/99
07.	मै० मुण्टेक के० पी० हाऊस भागवे उद्योग, 15-डी, एम० आई० डी० सी० सेक्टर मार्ग, अन्धेरी (ई) मुम्बई-400096 तथा शाखाएं।	एम० एच०/24002 ए	1-6-93 से 31-5-96 1-6-96 से 31-5-99 1-6-99 से 23-6-2000	9/124/2000
08.	मै० सेरीकोल इंडिया प्रा० लि० 10/ 11, बी० यू० भंडारी इण्डस्ट्रियल इस्टेट, मन्मवाडी, पुणे-412208	एम० एच०/42515	1-6-99 से 23-6-2000	9/125/2000

1	2	3	4	5
09.	मै० आर० एम० पोलिसमे, रंका भवन, 110, धनटोली, नागपुर-440012	एम० एच०/60136	1-6-99 से 23-6-2000	9/120/2000
10.	मै० प्रराज इन्डस्ट्रीस लि०, प्रराज हाउस, मुम्बई बैंगलोर हाईवे हमरु के सामने भवधान, पुणे-411021।	एम० एच०/30378	1-4-90 से 23-6-2000	9/127/2000
11.	मै० न्यूक्रोन फार्मास्यूटिकल्स लि०, सी-7/8 (2), एम० आई० डी० सी०, भोसारी, पुणे-411027।	एम० एच०/21772 बी	1-1-99 से 31-12-92 1-1-93 से 31-12-95 1-1-96 से 31-12-98 1-1-99 से 23-6-2000	9/128/2000
12.	मै० टाटा टेक्नालाजिस (इंडिया) लि०, पिम्प्री, पुणे तथा शाखाएं।	एम० एच०/32389	1-7-98 से 23-6-2000	2/129/2000
13.	मै० श्री विन्दिद्या पेपर मिल्स लि०, सीमानिनगर, दुशखेडा, भुसावल-425203, जिला जलगांव (महाराष्ट्र) तथा इसका मुख्य कार्यालय।	एम० एच०/35573	1-10-92 से 30-9-95 1-10-95 से 30-9-98 1-10-98 से 23-6-2000	9/130/2000
14.	मै० अहमदनगर जिला सैन्ट्रल कोपरेटिव बैंक लि०, स्टेशन रोड, अहमदनगर।	एम० एच०/7149	1-6-89 से 31-5-92 1-6-92 से 31-5-95 1-6-95 से 31-5-98 1-6-98 से 23-6-2000	9/131/2000

अनुसूची- 2

1. उक्त स्थापना के संरक्षण में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि अख्यक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेख-बोका रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सूचिधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निविष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभावी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के अन्तर्गत अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाता, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाता, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभावी का संकाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, सब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुबाध स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पक्ष में सदस्य है, उसमें स्थापना में निधीयत किया जाता है की पक्ष-जक सामूहिक बीमा के सदस्य की रूप में उक्त नाम सुरक्षित रख करेगा और उसकी वास्तव आयुक्त प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संकल करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों के अधिक अनुकूल हैं जो उक्त स्कीम के अधीन अनुकूल हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संरक्षित राशि से काम हो जो कर्मचारी को उस वक़्त में देना होता है वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निवेष्टियों को प्रतिकूल के रूप में इतनी राशियों के अन्तर को वरामर राशि का संघम करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहाँ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना विचार स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की इस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले ही अपना चुकी है, अधीन नहीं रह पाता या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से काम हो तो छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संघम करने में असफल रह पाता है और पोलिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संघम में किए गए व्ययक्रम की वक्ता में उन मृत सदस्यों के नाम निवेष्टियों या विधिक वारिसों को यदि वह छूट दी गई हो तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते तो बीमा लाभों के संघम का उत्तरदायीत्व नियोजक पर होता है।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन जाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसकी वक्ता नाम निवेष्टियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का अंश

इसराता में और प्रत्येक वक्ता में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुविधित करेगा।

एस. रघुनाथ

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

दिनांक 29 नवम्बर 2000

गं. 2/1959/डी. एल.आई./एकजम/89/भाग-4/3088
—जहाँ अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोजताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

क्षेत्रीय क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की आवश्यकता किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निधेय सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत रवीकार्य लाभों में अधिक सम्मिलन है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/क्षेत्रीय सरकार/क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिनियमना में, तथा तथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने वर्णनीय गयी है के अनुसार मं. तथा संलग्न अनुसूची-2 के निर्धारित शर्तों के रहते हुए क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संमानन में प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है बीमा कि संलग्न अनुसूची-1 में उक्त नाम की सामने वर्णनीय है।

अनुसूची-1

क्र.सं.	स्थापना का नाम और पता	कोड नं.	सरकारी अधिसूचना की तिथि जिसके द्वारा छूट प्रदान/छूट विस्तार की गई	छूट समाप्ति तिथि	छूट विस्तार तिथि	क्र. सं. फा. नं.
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै. ० पिपल्स मोबाइल हास्पीटल डा. ऐनी वमन्त रोड वरली बम्बई-25	एम एच 13654	2/1959/डी.एल.आई/एकजम/89/भाग-1 2-12-93	31-5-93	1-6-93 31-5-96 1-6-96 31-5-99	2/5245/93 डी.एल.आई.०
2.	मै. ० गरवारे पोलिस्टर लि. गरवारे हाउस 50 ऐवस्थामी नित्यानन्द मार्ग, प्राइम पक ईस्ट मुम्बई-57 तथा धाबाएं	एम एच 19336	6-11-98	3-1-99	1-2-99 30-11-2000	6/9/93

1	2	3	4	5	6	7
3.	मै० आई० डी० ई० एम० आई० चुनाभट्टी, साइवैन मार्ग, मुम्बई- 400022	एम एच 13287	12-3-99	21-10-98	22-10-98 से 30-11-2000	2/902/93
4.	मै० ट्रेक्टर इंजीनियर्स लि०, पीवाई बक्स साकी बिहार, मार्ग, पो बाई, मुम्बई-400072	एम एच 745	12-3-99	29-4-2000	30-4-2000 से 30-11-2000	2/284/79
5.	मै० फोर्ब्स गोका लि०, फोर्ब्स बिल्डिंग, चिरन्जित राय मार्ग, फोर्ट, मुम्बई, 400001	एम एच 3948	3-4-93	31-8-95	1-9-95 से 31-8-98 1-9-98 से 30-11-2000	4031/92
6.	मै० नगर अर्बन कोप० बैंक, अहमदनगर, पोस्ट बक्स नं० 7, सैन्टर बैंक मार्ग, अहमदनगर- 414001	एम एच 7148	14-8-87	16-3-90	17-3-90 से 16-3-93 17-3-93 से 16-3-96 17-3-96 से 16-3-99 17-3-99 से 30-11-2000	974/83
7.	मै० इक्क आलोप लि०, साकी बिहार मार्ग, पो० बा० नं० 8933, पोवारी, मुम्बई-400072	एम एच 12309	3-11-98	30-4-2000	1-5-2000 से 30-11-2000	2/288
8.	मै० बोनाफाईड एक्स- पोर्ट्स फटवा चैम्बर्स, 5 बातल, 104/108, लीलाधर लक्ष्मी मार्ग, दाना बुम्बर, मुम्बई-400009	एम एच 23359	19-11-98	31-1-2000	1-2-2000 से 30-11-2000	2/4200
9.	मै० दि० जे० बी० बच्चु हाई स्कूल फार पार्सी गन्से, दि गोवास्जी जहानागिर परिमार्ग एण्ड इन्फैक्ट स्कूल, पार्सी कालोनी, दादर, महाराष्ट्र	एम एच 25983	28-1-99	30-11-97	1-12-97 से 30-11-2000	9/19/98
10.	मै० मुम्बई चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, माकिनन मेकजी बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, एस० बालामावस मार्ग, बोलाड स्टेट, मुम्बई-400001	एम एच 14707	4-9-92	31-1-94	1-2-94 से 31-1-97 1-2-97 से 31-1-2000	2/4196/92

1	2	3	4	5	6	7
11.	मै० पालान प्रोबबोच होटल लि०, जुहूचीच सान्ताक्रूज (बैस्ट) मुम्बई-400049	एम एच/22643	6-4-93	31-7-95	1-8-95 से 31-7-98 1-8-98 से 30-11-2000	2/4532
12.	मै० गिनर्स एण्ड प्रेसर्स लि०, ओरिएंटल हाऊस 7 जी, टाटा मार्ग, चर्चगेट रेकलामेशन, मुम्बई	एम एच/5205	5-1-98	31-1-99	1-2-99 से 30-11-2000	2/4051

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसकी पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की ऐसी विवरणियाँ भेजेगा और रखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निरीक्षण करे।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में निम्नलिखित बन्दों का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, संघाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का संवाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उसे संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मूल्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का सदस्य है, उसका स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सूचना पत्र पर करेगा और उसकी वास्तव आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम की संवत् करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बकायों वाले हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वित्तित किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल है जो उक्त स्कीम के अधीन अनुकूल है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन गंवारा राशि से कम है तो कर्मचारी को उस वक्ता में संवेद्य हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधि वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिभार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संवाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहाँ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना स्पष्टतया स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को इस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो स्कीम खूब की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जिसे बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संवाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट खूब की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए व्ययक्रम की दशा में उन मूल सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को दीव यह छूट दी गई हो तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत ही, बीमा लाभों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन जाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाप्राप्त राशि का संवाय करेगा और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाप्राप्त राशि प्राप्त होने के एक वर्ष के भीतर अनिवार्य करेगा।

एस. एच.एस.

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

गई दिल्ली-11006, दिनांक 30 नवम्बर 2000

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एजम्/89/भाग 2/3112—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोजितों ने (जिनमें इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है। (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि केंद्रीय भविष्य निधि अधिनियम इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना को कर्मचारी कोई जलजल अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे है जोकि ऐसे

कर्मचारियों को लिए कर्मचारी निधेय सहबन्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसमें इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केम. मंत्रालय, भारत सरकार/केंद्रीय सरकार/केंद्रीय भविष्य निधि आयोगों की अधि-सूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने बतायी गयी है, के अनुसार में तथा संलग्न अनुसूची-2 के निर्धारित शर्तों के रहते हुए केंद्रीय भविष्य निधि अधिनियम में उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संवाजन से प्रत्येक उक्त स्थापना को भाग 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी गई है कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया है।

अनुसूची-1

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड सं०	सरकारी अधिसूचना की सं० व दिनांक जिसके द्वारा छूट प्रदान/विस्तार की गई	छूट समाप्ति की तिथि	छूट विस्तार की तिथि	के० भ० नि० आ० की फाईल सं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	म० पालनी अण्डावर टी० एन०/49 मिल्स लि०, 23, डाली माग, उडमालपेट- 642126		2/1959/डीएलआई/ एजम्/89/पीटी दिनांक 28-1-92	25-12-93	26-12-93 से 25-12-96 26-12-96 से 25-12-99	2/1097/89/ डी एल आई
2.	म० वि रामाराजू सजिकन काटन मिल्स लि०, राजपालविम-627117 मथा एक सैल डिपो चेन्नई	टी० एन०/183	-वही- 13-5-99	28-2-99	1-3-99 से 30-11-2000	2/3287/90
3.	म० इण्डिया सीमेंट्स लि०, 827, अन्नामलाई चेन्नई-2	टी० एन०/190ए	-वही- 19-3-99	31-5-99	1-6-99 से 30-11-2000	2/2001/89
4.	म० प्रिमियर मिल्स लि०, पी०बी० नं० 3766 कोयम्बटूर-18	टी० एन०/240	एस-35014(16)82 पी०एफ०-11 दि० 5-3-83	4-3-86	5-3-86 से 4-3-89 5-3-89 से 4-3-92 5-3-92 से 4-3-95 5-3-95 से 4-3-98 5-3-98 से 30-11-2000.	2/599/81

1	2	3	4	5	6	7
5.	मै० सर्थ इंडिया, 181, टी०एन०/279 विन्गी स्ट्रीट, दुबरापेट, पोण्डीचेरी-1	एस-35014(16)/82 पी०एफ-11 डि० 17-12-97 -वही-	28-2-98	1-3-98 से 30-11-2000	14/174/96	
6.	मै० सनम आलोज प्रा० लि०, करियामानिकेम गोय, पोण्डीचेरी-106	टी०एन०/पी०सी -452 -वही-	25-5-98	25-5-98 1-6-99 से 30-11-2000	14/85/93	
7.	मै० होटल पोण्डीचेरी अशोक (प्रा०) लि०, कालापट पोण्डीचेरी-14	टी०एन०/पी०सी 472 -वही-	16-3-99	31-7-99 1-8-99 से 30-11-2000	14/443/96	
8.	मै० बी०एस०टी० सर्विस स्टेशन(बल्लूर) शिव बुलिङ्गस 144, अन्ता रोड, चेन्नई-2	टी०एन०/3045बी 31-1-2000 -वही-	27-1-99	28-1-99 से 30-11-2000	29/58/83	
9.	मै० दि० कौयम्बेटूर सेन्टर कौप० बैंक लि०, स्टेट बैंक मार्ग, कौयम्बेटूर-641018	टी०एन०/4159 21-6-99 -वही-	31-3-99	1-4-99 से 30-11-2000	2/198/78	
10.	मै० तमिलनाडू स्टेट एग्रिकल्चरल एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक लि०, नं 79, लूज चर्च मार्ग, माइलापोर, चेन्नई - 600004 तथा शाखाएं	टी०एन०/4152 26-10-97 -वही-	30-6-96	1-7-96 से 30-6-99 1-7-99 से 30-11-2000	2/73/77	
11.	मै० सी० आर० मास- यना मार्ग, आर्चिटेक्टम एण्ड इंजीनियर्स, 5, कारापागम्बालनगर, चेन्नई-1	टी०एन०/4433 10-1-99 -वही-	31-3-99	1-4-99 से 30-11-2000	2/249/90	
12.	मै० लाला गोपीकृष्ण गोकुलडॉस एजेंसीस, 118, ब्राडवे, चेन्नई-108 तथा शाखा	टी०एन०/2757 16-2-96 -वही-	31-10-97	1-11-97 से 30-11-2000	2/4269/92	
13.	मै० अण्डावर इंजी- नियरिंग वर्क्स, 35, 36, चेयूर मार्ग, अवनाशी- 638654, कौयम्बेटूर	एन/4663 19-5-99 -वही-	31-3-99	1-4-99 से 30-11-2000	2/4136/92	
14.	मै० सायड इन्फुलेशन इण्डिया लि० 5 ए, हाउडोस सेम, चेन्नई-6 तथा शाखाएं	टी०एन०/4711 13-1-2000 -वही-	28-2-99	1-3-99 से 30-11-2000	14/191/98	

1	2	3	4	5	6	7
15.	मै० एल० एम० बेन मोपेज डायमण्ड टूल्स इण्डिया, लि०, पी० बी० नं० 853, हज़ूर गार्डनस। सेक्टर-4, चेन्नई, 600011	टी एन/5284	एस-35014(16)/82 पी०एफ-II वि० 26-2-97 —वही—	28-2-99	1-3-99 से 30-11-2000	2/2621/90
16.	मै० वि रूपसन एण्ड ग्रुप कम्पनीस कर्मचारी सहकारी सोसायटी लि०, देशी कालोमी, तीसरी गली, पेरम्बूर, हाई मार्ग चेन्नई-12	टी एन/5740	17-12-97 —वही—	31-10-96	1-11-96 से 31-10-99 1-11-99 से 30-11-2000	14/100/95
17.	मै० वि नेशनल कोप० सुगर मिल्स लि०, मेट्ट- पाट्टी-625502, अलगा- नाल्लूर, वाया बाडी पट्टी, तालुक जिला मयूरं	टी एन/5982	28-8-98 —वही—	26-8-98	27-8-98 से 30-11-2000	2/877/83
18.	मै० त्रिचि डिस्टिलरीस एण्ड कैमिकल्स लि०, सन्था निरपूरं, त्रिचि-4	टी एन/6019	30-9-97 —वही—	31-10-99	1-11-99 से 30-11-2000	2/3610/91
19.	मै० श्री रंजानाथन माचिस इण्डस्ट्रीज, यूनिट-1, श्री रमहिय बिल्डिंग्स, 43, मेन मार्ग, कोवेलपट्टी- 628501	टी एन/6553ए	1-5-98 —वही—	31-3-99	1-4-99 से 30-11-2000	14/320/97
20.	मै० गिडी एसोसिएट्स प्रा० लि०, गोपाल बाग, अवनाशी मार्ग, कोयम्बटूर 18	टी एन/7018	10-3-99 —वही—	3-8-97	4-9-97 से 30-11-2000	2/399/80
21.	मै० सी० आर नायायण राव (कन्सल्टेंट) नं० 5, कारपागम्बाल नगर, माइलापुर, चेन्नई-4	टी एन/8338	10-1-99 —वही—	31-3-99	1-4-99 से 30-11-2000	3/2619/90
22.	मै० वि० थिरुवन्म सिलक हेण्डलूम विवर्स कोप प्राइवेट एण्ड सेल सोसायटी लि०, थिरुवन्म	टी एन/7825	1-5-98 मे —वही—	30-9-99	1-10-99 से 30-11-2000	14/308/97
23.	मै० सृजा एण्ड इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०, 45/ पट्टा- गंगलम स्ट्रीट, चेन्नई- वृत्तराज-609011 तथा इसकी फैक्टरी और कार्यालय	टी एन/8827	16-2-98 —वही—	29-5-2000	30-5-2000 से 30-11-2000	2/1223/85

1	2	3	4	5	6	7
24. मै० दि० कोयम्बेदूर पोनियर मिल्स लि०, बी मिल्स, ज्योतिपूरम पी० ओ० कोयम्बेदूर-641047	टी एन/1038	3-4-93	17-11-94	18-11-94 मे 17-11-97 18-11-97 से 30-11-2000	2/654/82	
25. मै० कृष्णा बेनी टैक्स- टाइल्स मिल्स पी० बी० नं० 1810, सिगनालूर, कोयम्बेदूर-641005	टी एन/1069		31-10-99	1-11-99 से 30-11-2000	2/3299/90 2/1190/85	
26. मै० तिरुपुर टैक्सटाइल्स लि०, यूनिट-1, नं० 1, अन्नपासपालायम, पी० बी० नं० 153, तिरुपुर- 641603	टी एन/1187	12-4-85	11-4-88	12-4-88 से 11-4-91 12-4-91 से 11-4-94 12-4-94 से 11-4-97 12-4-97 से 11-4-2000		
27. मै० एप्पेल थानिर्टिम लि० नं० 1, शामबन्धन स्ट्रीट, टी नगर, चेन्नई-17	टी एन/31695	10-11-97	31-12-98	1-1-99 से 30-11-2000	14/209/97	
28. मै० डेस्क टू डेस्क कोरियर एण्ड कागो लि० नं० 142, बालुवारकुट्टम हाई मार्ग, चेन्नई- 600034 तथा शाखाएं	टी एन/31651	20-5-99	31-5-99	1-6-99 से 30-11-2000	14/578/99	
29. मै० नयियार इंजीनियरिंग वर्क्स 141, पटेल मार्ग, कोयम्बेदूर-641009	टी एन/21444	13-5-97	30-6-99	1-7-99 से 30-11-2000	2/4708/92	
30. मै० फ्रेन्स मेटल प्रा० लि०, बी-17, पहला मैन मार्ग, इण्डस्ट्रियल स्टेट चेन्नई-18 तथा फैक्टरी नं० 48 बी सिडको इण्डस्ट्रियल स्टेट, अम्बादूर चेन्नई-98	टी एन/31885	26-7-99	30-11-99	1-12-99 से 30-11-2000	14/615/99	
31. मै० तमिलनाडु इण्डस्ट्रियल एम्साल्यूसिब लि०, टेल पोस्ट, बल्लूर-59	टी एन/23108	7-4-99	31-3-99	1-4-99 से 30-11-2000	2/5385/93	

1	2	3	4	5	6	7
32. मै० रोय प्लास्टिक, 48- म्यू तिरुवालम, तिरुवालम मार्ग, काटपाडी, बल्लूर-7	टी एन/23535	7-4-99	31-3-99	1-4-99	से 30-11-2000	2/4274/92
33. मै० एम० टी० एल० इन्स्ट्रुमेंट्स लि०, नं० 3 ओल्ड महाबलीपुरम, मार्ग, सोलिंगा नाल्लूर, चेन्नई-119	टी एन/23722	15-5-99	30-9-99	1-10-99	से 30-11-2000	14/76/95
34. मै० रोज मेच प्रा० लि०, श्रीरत्नाहि डिस्ट्रिक्ट, 43 मैन मार्ग, कोविला- पट्टी-628501	टी एन/29407	1-6-98	31-3-99	1-4-99	से 30-11-2000	14/333/98
35. मै० नाडीपिसाई पुला- वर, अर० के० रामा- स्वामी, कोप० शूगर मिल्स लि०, बालार्त्तनयूर इल्लान- थोमे, माइलाकुथुराई- 609201	टी एन/27100	20-5-99	28-2-99	1-3-99	से 30-11-2000	14/489/98
36. मै० अन्ननाशी इन्जीनियरिंग कं०, 24-डी, चेन्नूर मार्ग, अन्ननाशी-638564	टी एन/16846	7-4-99	31-3-99	से 30-11-2000		2/3453/91
37. मै० एम० के० वी० के० टिम्बर एण्ड सा मिल्स मैम मार्ग, पावूर- चातम, तिरुनेलवेली जिला	टी एन/10056	31-1-2000	30-9-99	1-10-99	से 30-11-2000	2/3925/91
38. मै० तिरुपाथुर कोप० शूगर मिल्स लि०, कैथन्दापट्टी-635815	टी एन/11146	28-2-96	31-1-96	1-2-96	से 31-1-99 1-2-99 से 30-11-2000	14/136/95
39. मै० जय मोटर्स लि०, नं० 10, सिमिय मार्ग, चेन्नई-600002 तथा शाखाएं	टी एन/11920	7-4-99	31-8-99	1-9-99	से 30-11-2000	2/2589/90
40. मै० एस० एण्ड एस० पावर स्विच गियर लि०, 168, माउन्ट पुनमआल्ली रोड चेन्नई-116 तथा शाखाएं	टी एन/11991	16-2-99	28-2-99	1-3-99	से 30-11-2000	2/2731/90
41. मै० एवेक्स लैबोरेट्रीज लि०, वी-23, सिडको फार्मास्यूटिकल्स काम्प- लैक्स, अलार्त्तनयूर- 603110	टी एन/12102	16-3-99	31-8-99	1-9-99	से 30-11-2000	14/407/98

1	2	3	4	5	6	7
42.	मै० तमिलनाडु कैमिकल टी एन-12143ए प्रोडक्ट्स लि०, नं० 10 कारपायाम्बलनगर, माइलापोर, चेन्नई-600004 तथा शाखाएँ	19-3-99		31-3-99	1-4-99 से 30-11-2000	2/2732/90
43.	मै० एक्सील इण्डिया टी एन/18793 लि०, सिगापेरुमल कोयल मार्ग, श्री प्रेरमबुदुर जिला कान्चिपूरम तथा इसकी शाखाएँ	7-4-99		31-8-98	1-9-98 से 30-11-2000	14/433/98
44.	मै० जी० डी० नायडू टी एन/12166 चेरिटीज गोपाल बाग अवनाली मार्ग, कोयम्बेटूर- 641008	31-1-2000		31-5-97	1-6-97 से 31-5-2000	2/4288/92
45.	मै० वि० तिरुनेलवली टी एन/11603 जिला महिला इण्डस्ट्रियल कोप० प्रिंटिंग प्रेस लि०, 16-ए, सलाई स्ट्रीट, वन्नारपट्टई तिरुनेलवली- 627003	8-10-91		31-10-93	1-11-93 से 31-10-96 1-11-96 से 31-10-99 1-11-99 से 30-11-2000	2/3832/91
46.	मै० तिरुपुर टैक्स- टी एन/17530 टाइल्स लि०, यूनिट-3 पी० बी० नं० 153, तिरुपुर-641603	26-2-98		31-5-98	1-6-99 से 30-11-2000	2/3617/91
47.	मै० काली कम्पोसिट टी एन/17782 मेटलस, 42/6, बी-3, मन्नार मार्ग, कुम्भाकोनम- 612002	14-7-99		30-9-99	1-10-99 से 30-11-2000	14/204/96
48.	मै० कमला ट्रेडर्स नं० टी एन/20900 1, करूर मार्ग, विन्मी- गुल-1,	17-6-99		31-12-99	1-1-2000 से 30-11-2000 ¹	2/4226/92
49.	मै० युनिवर्सल इंजी- टी एन/21422 नियमिंग इण्डस्ट्रीज, एस० फ० एफ-88, पालाडाम मार्ग, उथक्कालमण्डावम कोयम्बेटूर-32	13-5-97		28-2-99	1-3-99 से 30-11-2000	2/3247/90
50.	मै० रुक्मिणी आफसैट टी एन/21153 प्रेस, डी-32, सिडको इण्डस्ट्रियल स्टेट- कोयम्बेटूर-641021	12-5-99		28-2-99	1-3-99 से 30-11-2000	2/4190/92
51.	मै० तिरुनेलवली टी एन/2901/आर गर्बोदय संघ साउथ कार स्ट्रीट, तिरुनेलवली-6	7-4-99		31-3-99	1-4-99 से 30-11-2000	2/5310/93

1	2	3	4	5	6	7
52.	मै० दि० कोयम्बेटर टी एन/2614 ए जिला को० मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लि०, न्यू डेयरी कोम्पलैक्स, पाश्चात्यालयम कोयम्बे- टूर-641010	टी एन/2614 ए	13-1-2000	31-3-99	1-4-99 से 30-11-2000	2/2864/82
53.	मै० वी० एस० टी० टी एन/3045 सी सर्विस स्टेशन (कुड्डलूर) 144 अन्ना सलाई, चेन्नई- 600002 तथा शाखायें	टी एन/3045 सी	31-1-2000	27-1-99	28-1-99 से 30-11-2000	2/958/83
54.	मै० आबन लायड विल्स टी एन/30483 आफ सोर लि०, जन- प्रिय क्रैस्ट नं० 96, पैन्थोन मार्ग, हयमोर चेन्नई-8 तथा शाखा	टी एन/30483	14-1-2000	30-9-99	1-10-99 से 30-11-2000	14/694/99
55.	मै० जय एजेन्सीस 10 टी एन/11914 तथा 12 बेगम साहिब, 11 लेन, अन्ना सलाई, चेन्नई-600002	टी एन/11914	23-8-93	31-8-96	1-9-96 से 31-8-99 1-9-99 से 30-11-2000	2/2588/90
56.	मै० दि० कौरमण्डल टी एन/11559 इंजीनियरिंग कं० लि०, “पेरि हाऊस” चौथी मंजिल, पी० बी नं० 1698, 43 मौर स्ट्रीट, चेन्नई-600001 तथा एक शाखा	टी एन/11559	12-2-96	31-5-96	1-6-96 से 31-5-99 1-6-99 से 30-11-2000	2/2589/90
57.	मै० एफ० एम० सी टी एन/16411 सामर लि०, नं० 147, कारावक्कम विलेज, चेन्नई-600096	टी एन/16411	24-11-95	31-3-96	1-4-96 से 31-3-99 1-4-99 से 30-11-2000	1/2582/90
58.	मै० कौरटिको मैग्यु- कैक्चरिंग (इण्डिया) प्रा० लि०, नं० 105, सिडको इण्डस्ट्रियल स्टेट थिरुमजहिसाई-602107	टी एन/17352	23-6-93	30-6-94	1-7-94 से 30-6-97 1-7-97 से 30-11-2000	2/2632/90
59.	मै० एम० आर० एफ० टी एन/347 ए लि०, 124, ग्रेम मार्ग, चेन्नई-600006 तथा शाखायें	टी एन/347 ए	10-1-99	31-3-99	1-4-99 से 30-11-2000	14/42/95

1	2	3	4	5	6	7
60.	मै० वेंकटेश एजेन्सीज टी एन/5977 बी 43, चकापानी स्ट्रीट, चेन्नई-600033	20-1-94		31-8-95	1-9-95 से 31-8-98 1-9-98 से 30-11-2000	2/2552/90
61.	मै० जवरस ओयटिक्स टी एन/296 (एशिया) लि०, आर० एस० नं० 84-1, थावाला काप्पम, पाण्डीचेरी- 605007	23-6-33		31-3-95	1-4-95 से 31-3-98 1-4-98 से 30-11-2000	1/5080/93
62.	मै० दि० पाण्डीचेरी टी एन/120 स्टेट कोप० सोसायटी लि० इण्डस्ट्रियल स्टेट, थावाल्या- वाडी, पाण्डीचेरी- 605009 तथा शाखाएं	12-7-91		31-10-92	1-11-92 से 31-10-95 1-11-95 से 31-10-98 1-11-98 से 30-11-2000	2/3601/91
63.	मै० दि० प्लॉय रेडिया टी एन/8216 कं० 260, चेरेम्मादेवी मार्ग, पट्टी, तिरुनेलवली- 627004	29-1-90		30-11-91	1-12-91 से 30-11-94 1-12-94 से 30-11-97 1-12-97 से 30-11-2000	2/2469/90
64.	मै० आवन्त ग्रेड इंजो- टी एन/30794 नियर्स एण्ड कन्सलटेन्ट्स प्रा० लि०, नं० 58, 4 वा एवेन्यू अशोक मार्ग, चेन्नई-600083	31-8-98		31-12-99	1-1-2000 से 30-11-2000	14/360/98
65.	मै० थिरुवटूर प्राईमरी टी एन/20623 एग्रीकल्चरल कोप० बैंक, थिरुवटूर (ममिलनाडु)	18-3-99		29-2-96	1-3-96 से 28-2-99 1-3-99 से 30-11-2000	14/384/98

1	2	3	4	5	6	7
66.	मै० आर० के० स्वामी बी० बी० डी० एस० एडवरटाइजिङ लि०, न० 604, अन्ना सलाई चेन्नई-600006 तथा शाखायें	टी एन/10021	31-8-98	30-11-99	1-12-99 से 30-11-2000	14/369/98
67.	मै० ए० टी० एस० (इण्डिया) लि०, तीसरी मंजिल, न० 3, हाडडोस मार्ग, चेन्नई- 600006 तथा शाखायें	टी एन/10694	13-3-94	28-2-92	1-3-92 से 28-2-95 1-3-95 से 28-2-98 1-3-98 से 30-11-2000	2/4886/93
68.	मै० अजन्था इण्डस्ट्रीज 7, मयुरे मार्ग, फ्राफोड, त्रिचि-620012	टी एन/8001	19-3-99	30-9-98	1-10-98 से 30-11-2000	14/275/97
69.	मै० लुमियर अपिअन्सस प्रा० लि०, 364, 365, सिडको इण्डस्ट्रियल स्टेट, अम्बादूर, चेन्नई- 600098	टी एन/31462	16-3-99	30-11-99	1-12-99 से 30-11-2000	14/440/98
70.	मै० बेरी इंजीनियरिंग एण्ड एक्सपोर्ट्स लि०, "दारे हाउस" पी० बी० 12, न० 234, एन० एस० सी० बोस रोड, चेन्नई-600001 तथा शाखाएं	टी एन/30139	26-8-98	30-11-99	1-12-99 से 30-11-2000	14/106/95
71.	मै० इंडियन आर्गानिक कैमिकल्स लि०, पी० बी० नं० 7, मनाली, चेन्नई- 600068	टी एन/9614	23-1-99	31-3-99	1-4-99 से 30-11-2000	2/4785/93
72.	मै० लक्ष्मी इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन सुपर बी-6, इण्डस्ट्रियल स्टेट, गुण्डेच, चेन्नई- 600032	टी एन/4020	2-11-95	30-6-96	1-7-96 से 30-6-99 1-7-99 से 30-11-2000	14/78/95

1	2	3	4	5	6	7
73.	मै० ग्रेसमैट रेजिडेंशियल टी०एन०/26113 18-3-99 मैट्रीकुलेशन हायर सीकण्डरी स्कूल, पी०बी० नं० 3, मिताखाती स्टेट, वन्दालुर, चेन्नई- 600049.			30-9-99	1-10-99 से 30-11-2000	14/97/95
74.	मै० छिनिनि नसिंग टी०एन०/26274 17-2-96 हाऊस प्रा० लि०, नं० 33, देसीकान मार्ग, अल्वारपट माइलापोर, चेन्नई-600004.			30-6-95	1-7-95 से 30-6-98 1-7-98 से 30-11-2000	14/142/95
75.	मै० हिन्दुस्तान लिबररी टी०एन०/5394 26-10-97 लि०, पोण्डस डिबिजन, पल्लवारम, चेन्नई-44, मुख्य कार्यालय नं० 22, इथिराज सलाई फागन मनशन, 5वां मंजिल इरमोर, चेन्नई-8 तथा शाखाएं			31-12-97	1-1-98 से 30-11-2000	2/286/79
76.	मै० भारत हेवी टी०एन०/5249 17-6-99 इलेक्ट्रीकल्स लि०, थिरुवल्लुमबूर, मिथि-14			23-12-98	24-12-98 से 30-11-2000	2/3/76
77.	मै० राज चैरिटी ट्रस्ट टी०एन०/6300 26-10-97 98ए, डा० रामाकृष्ण मार्ग, माइलापोर चेन्नई-4.			29-2-96	1-3-96 से 28-2-99 1-3-99 से 30-11-2000	2/2812/90
78.	मै० केमिकल्स टी०एन०/277 19-3-99 असकालिज लि०, गणमन्दा प्लेस कार्पायट, पोण्डीचेरी-605014.			28-2-98	1-3-98 से 30-11-2000	2/2786/92
79.	मै० महिन्द्रा इन्डस्ट्रीज टी०एन०/21847 1-4-99 428/2, कालापानी मार्ग, कोयम्बटूर-641035.			30-11-98	1-12-98 से 30-11-2000	14/452/98
80.	मै० काली स्टील टी०एन०/1344 30-9-97 इंजीनियरिंग प्रा० लि०, 42-6/बी, 4, मन्नाल रोड कुम्माकोनम तथा शाखा			3-6-97	4-6-97 से 3-6-2000	2/38/76

1	2	3	4	5	6	7
81.	मै० ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लि०, 35, ननगम्बाकम हाई मार्ग, चेन्नई-600034 तथा शाखाएं	टी०एन०/3429 28-8-98		31-3-99	1-4-99 से 30-11-2000	2/2925/90
82.	मै० कुमुदम पब्लिकेशन्स प्रा० लि०, 151, पुराशवालकम हाई मार्ग, चेन्नई-10.	टी०एन०/563 12-3-99		4-3-99	5-3-99 से 30-11-2000	2/1008/84
83.	मै० एशियन पेट्रोसाइड लि०, लिववर्ती बिल्डिंग नं० 69, आर मणियन स्ट्रीट, चेन्नई-600001.	टी०एन०/26591 17-8-99		30-6-99	1-7-99 से 30-11-2000	14/30/95
84.	मै० स्पिक आर्गानिक्स लि०, स्पिक सेंटर अनएक्स, 7वीं मंजिल नं० 67, अन्नासलाई, गुण्डेय, चेन्नई-600032 फैक्टरी, मनाली, चेन्नई तथा शाखाएं	टी०एन०/30721 28-8-98		31-8-99	1-9-99 से 30-11-2000	14/158/97
85.	मै० हटशन फूड्स क० नं० 114, अन्नाडू बिल्डिंग, चेन्नई-600067.	टी०एन०/35803 8-8-99		31-10-99	1-11-99 से 30-11-2000	16/634/99
86.	मै० आक्विल कैमिकल्स एंड सिस्टम्स (मैनुफैक्चरिंग) लि०, नं० 42, पहली गली कामराज एवेन्यू, अदिवार, चेन्नई-20.	टी०एन०/30593 30-6-99		31-7-99	1-8-99 से 30-11-2000	14/603/99
87.	मै० स्पिक लि०, स्पिक सेंटर नं० 67, माऊन्ट मार्ग, गुण्डेय, चेन्नई-600032 तथा शाखाएं	टी०एन०/10139 13-1-99		27-1-99	28-1-99 से 30-11-2000	2/271/79
88.	मै० इंडियन पौटर्स लि०, अन्नास बिल्डिंग, 727, अन्ना सलाई, चेन्नई- 600006 तथा शाखाएं	टी०एन०/2840 28-8-98		28-2-99	1-3-99 से 30-11-2000	2/1779/89

1	2	3	4	5	6	7
89.	मै० पैरमेसाने इन्व- ट्रुमेंटेशन प्रा० लि०, 1 एच शक्ति टावर्स, नं० 766, अन्ना सलाई, चेन्नई-600002 तथा शाखाएं	टी०एन०/11044	26-8-98	28-2-97	1-8-97 से 29-2-2000	2/2590/90
90.	मै० तमिलनाडु कौप० टी०एन०/19996 शुगर पैडरेशन लि०, नं० 474, अन्ना सलाई, नन्दानम चेन्नई-600035		1-6-98	31-5-99	1-6-99 से 30-5-2000	14/332/98
91.	मै० तमिलनाडु सीमेंट्स कार्पोरेशन लि०, नं० 735, अन्ना सलाई, चेन्नई- 600002 तथा शाखाएं	टी०एन०/11332	7-3-94	17-12-94	18-12-94 से 17-12-97 18-12-97 से 30-11-2000	2/762/82
92.	मै० दि० तमिलनाडु कौप० फाइनेश एंड इक्विपमेंट बैंक लि०, 33 मार्थ उषमान मार्ग, चेन्नई-17 तथा शाखाएं	टी०एन०/9046	18-9-97	29-2-96	1-3-96 से 28-2-99 1-3-99 से 30-11-2000	2/2628/90
93.	मै० टी० आई० डायमण्ड चैन लि०, पी०बी० नं० 11 अम्बाटूर, चेन्नई- 600053 तथा शाखाएं	टी०एन०/2975	10-1-99	30-6-99	1-7-99 से 30-11-2000	2/2605/89
94.	मै० इंडियन पिस्टंस रिपको कं० लि०, 2मी, इन्डस्ट्रियल स्टेट, काकालूर, थिरुवल्लूर	टी०एन०/4924	11-11-95	31-3-96	1-4-96 से 31-3-99 1.4.99 से 30-11-2000	2/2620/90
95.	मै० महात्मा गांधी प्राइमरी विद्यालय, तेन्नूर त्रिचि-17	टी०एन०/27714	18-3-99	28-3-99	29-3-99 से 30-11-2000	14/505/98

अनुसूची-2

1. उक्त रथाणा के संबंध में नियोजक (जिसके पञ्चाह
नियम के अन्तर्गत है) रथाणा प्रत्येक रथाणा निधि वास्तु,
लि० माली की दायित्व भंडार और एत तेषा-केवल रथाणा तथा
नियोजक के निधि प्रत्येक रथाणा प्रत्येक रथाणा के कोटि अधिकतम
नियम के अन्तर्गत पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक को निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक काम की समाप्ति
के 15 दिनों के भीतर रथाणा प्रत्येक के कोटि सरकार उक्त अधि-

नियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के अन्तर्गत रथाणा
प्रत्येक पर निर्दिष्ट करें।

3. रथाणा बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत
रथाणा का रथाणा विवरणों के अन्तर्गत किया जाना, बीमा
प्रिमियम का रथाणा रथाणा का अन्तर्गत निरीक्षण प्रभारी का रथाणा
आधि भी है, एत रथाणा सभी रथाणा का बहान नियोजक द्वारा किया
जायगा।

4. नियोजक, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रतिलिपि और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उसे संशोधन की प्रतिलिपि तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के मूचना-पत्र पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में अपना नाम सुरक्षित दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम से वसूल करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुश्रुत हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात को छोड़ते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संवर्ग राशि में कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संबन्धित हो तो वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधि वारिस/नाम निवेशकों की प्रतिभार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और अहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने का अधिकार अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि में कम हो जाए तो रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर बीमा निगम नियत कर प्रीमियम का संदाय करने में असफल होता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम की संभावना में किए गए अनुमानों को दृष्टि में रखते हुए मृत सदस्यों के नाम निवेशकों या विधिवत वारिसों को यदि यह छूट की गई हो तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होने, बीमा राशियों के संदाय का अनुवर्धित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निवेशकों/विधिवत वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में, भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

एस. रघुराम

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

दिनांक 1 दिसम्बर 2000

सं. 2/1959/जी. एन. आई. /एफएम/89/2/3219—अहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोजताओं ने (जिनमें इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारियों भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है। जिसे इसमें इसके पक्ष उक्त अधिनियम कहा गया है।

चूंकि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात में संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अवयवी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहवर्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्विकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है। जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/क्षेत्रीय सरकार/क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 के निर्धारित शर्तों के रहते हुए क्षेत्रीय भविष्य निधि ने उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उक्त नाम के सामने दर्शाया है।

अनुसूची।

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	सरकारी अधिसूचना की सं० य दिनांक जिसके द्वारा छूट प्रदान/विस्तार की गई	छूट समाप्ति की तिथि	छूट विस्तार की तिथि	के० भ० नि० आ० की फाइल सं०
1	2	3		5	6	7
1.	मै० एक्सप्रेस पब्लिकेशन (मदुरै) लि०, एक्सप्रेस स्टेट, चेन्नई-2	टी एन/565	2/1959/डी०एल०आई० एक्सम/89/दिनांक 16-2-99	31-3-99	1-4-99 से 23-6-2000	2/314/98
2.	मै० प्रेस लि०, पी० सी० नं० 382, पौरा इपकम, चेन्नई-600096	टी एन/927 ए	28-1-94	30-4-93	1-5-93 से 30-4-1996 1-5-96 से 30-4-99 1-5-99 से 23-6-2000	2/5149/93
3.	मै० टी० अब्दुल बहिय एण्ड कं० नं० 26, वैपरी हाई मार्ग, परिया-मट, चेन्नई-600003	टी एन/2215 ए	19-3-99	31-12-99	1-1-2000 से 23-6-2000	2/2252/90
4.	मै० टी० अब्दुल बहिय एण्ड कं० नं० 26, वैपरी हाई मार्ग, परिया-मट, चेन्नई-600003	टी एन/2215 बी		31-12-99	1-1-2000 से 23-6-2000	14/57/95
5.	मै० हार्टी कन्स्ट्रक्ट्स 44 ए, कस्तूरी रंगा मार्ग, बलवारपट, चेन्नई-18	टी एन/22224	16-2-99	31-3-2000	1-4-2000 से 23-6-2000	2/4524/97
6.	मै० एण्डेय मशीन टूल्स लि०, पल्लीकारानाई, चेन्नई-601302	टी एन/2830	23-1-99	29-2-2000	1-3-2000 से 23-6-2000	2/2066/89
7.	मै० मद्रास सेंटर कोप० प्रिंक लि०, नं० 114/1 प्रकाशम सलाई, चेन्नई-600108	टी एन/4142	31-1-96	31-3-96	1-4-96 से 31-3-99 1-4-99 से 23-6-2000	2/5078/94
8.	मै० महिन्द्रा इंजी-निअरिंग कं० पुलिया-कुलम, कोयम्बटूर-641045	टी एन/5895	13-3-99	30-11-99	1-12-99 से 23-6-2000	
9.	मै० पी० एम्० टी० सचिन स्टेशन (प्रिन्सि) नं० 2-डी, धिन्वीगुल मार्ग, प्रिन्सि-1	टी एन/6418		27-1-99	28-1-99 से 23-6-2000	2/958/83

1	2	3	4	5	6	7
10. मै० बादिगा ब्रादर्स एण्ड कं० कन्स्ट्रक्शंस फार ए० सी० सी० लि० माडुसकाराई, कोयंबटूर 641105	टी एन/8464			31-12-99	1-1-2000 से 23-6-2000	14/438/98
11. मै० एसोसियेटेड मार्किटिंग एजेंसी, नं० 123, चामियम मार्ग, नन्दानाम चेन्नई-35	टी एन/7808	18-3-99		29-2-2000	1-3-2000 से 23-6-2000	14/60/95
12. मै० विजय श्री स्विनिंग मिल्स लि०, त्रिनि मार्ग, धिन्दीगुल-624009	टी एन/10484	13-5-94		31-3-96	1-4-96 से 31-3-99	
13. मै० नार्थ चेन्नई कोप० होलमैलर स्टोर्स लि०, नं० 233/1, टी० एच० मार्ग, एम 4 बी० ए० काम्पलेक्स, चेन्नई-81	टी एन/10604	24-11-95		30-11-96	1-12-96 से 31-11-99 1-12-99 से 23-6-2000	14/104/95
14. मै० थानगामालिगाई एण्ड कम्पनी नं० 113, उषमान मार्ग, चेन्नई-17	टी एन/16015	4-5-98		29-2-2000	1-3-2000 से 23-6-2000	14/323/98
15. मै० बी० आर० फाउन्ड्रीस 46-सी, पी० के० डी० नगर पी० बी० नं० 1635, पिलामेडू (पी० ओ०) (कोयंबटूर-641044)	टी एन/11075	7-4-99		31-12-99	1-2-2000 से 23-6-2000	2/4187/92
16. मै० यूटिलाइजेशन डिस्पेंसरी ई० आई० डी० परी (इण्डिया) लि०, रानीपेट-632401	टी एन/11083	7-4-99		31-3-99	1-4-99 से 23-6-2000	2/4017/92
17. मै० अमेरिकन आटो मविस, पी० बी० नं० 2022, गणपति, कोयंबटूर-641006	टी एन/11519	23-1-99		30-9-99	1-10-99 से 23-6-2000	2/4857/93
18. मै० जी. आर० थन्गाम-लिगाई, जवलरी, नं० 104, उषमान मार्ग, टी० नगर, चेन्नई-600017	टी एन/11798	4-5-98		29-2-2000	1-3-2000 से 23-6-2000	14/527/98
19. मै० थन्गामालाई सिलवर वेयरिंग नं० 104 उषमान मार्ग, टी० नगर चेन्नई-17	टी एन/11798 ए	5-4-98		29-2-2000	1-3-2000 से 23-6-2000	14/322/98

1	2	3	4	5	6	7
20.	मै० जी० आर० थन्ना- टी एन/11798 बी मालिगाई प्लॉट एण्ड गुण्डान ज्वैलरी, 103/1 उपमान मार्ग, टी० नगर, चेन्नई-17	1-6-98		29-2-2000	1-3-2000 से 23-6-2000	14/315/97
21.	मै० जी० आर० थन्ना- टी एन/11798 सी मालिगाई लि०, 104, उपमान मार्ग, टी० नगर चेन्नई-17	1-6-98		29-2-2000	1-3-2000 से 23-6-2000	14/312/97
22.	मै० फाटर्स इण्डिया लैबोरेट्रीज प्रा० लि०, 9 ए, पांचवा मैन रोड, वक्कावावलम नगर, अदियार, चेन्नई-20	टी एन/12101	19-4-94	31-3-93	1-4-93 से, 31-3-96 1-4-96 से 31-3-99 1-4-99 से 23-6-2000	2/3138/90
23.	मै० एम० थन्नामा- लोगाई ट्रस्ट नं० 104, उपमान मार्ग, टी० नगर, चेन्नई-17	टी एन/12063	4-5-98	29-2-2000	1-3-2000 से 23-6-2000	14/325/98
24.	मै० काली मैडिरियल हैण्डलिंग मिस्टम्स 42/6 बी 2, मद्रास रोड, मालाकावारी कुम्बा- कोतम	टी एन/16326		29-5-2000	30-5-2000 से 23-6-2000	2/38/76
25.	मै० मत्तुपालायम कोप० स्टोर लि०, के एन डी मत्तुपालायम- 641301, कोयम्बटूर (जिला)	टी एन/16911		31-8-93	1-9-93 से 31-8-96 1-9-96 से 31-8-99	2/1842/88
26.	मै० मार्बल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज अम्मानकुलम मार्ग, बी एन पालायम कोयम्बटूर-641037	टी एन/17016	12-3-99	30-11-99	1-12-99 से 23-6-2000	2/4725/92
27.	मै० पी० एस० कंट्रोलस नं० 53, (एन० पी०) डबलप्लॉट प्लॉटस इण्ड- ट्रियल स्टेट, इक्कायू- थानगल, चेन्नई- 600097	टी एन/17410	एस-35014(94) 88 एस-11 दिनांक 25-8-88	24-8-91	25-8-91 से 24-8-93 25-8-93 से 24-8-96 25-8-96 से 24-8-99 25-8-99 से 23-6-2000	2/1850/98

1	2	3	4	5	6	7
28.	मै० अनाबोन्ड लि०, नं० 33, पहला एवेन्यू शास्त्री नगर, चेन्नई-20	टी एन/17502	2/1959/डी० एल आई 89/दि 5-1-90	31-8-90	1-9-90 से 31-8-93 1-9-93 से 31-8-96 1-9-96 से 31-8-99 1-9-99 से 23-6-2000	14/842/2000
29.	मै० दुरान्दल फूड्स प्रा० लि० नं० 71, चित्तिपुनियाम विलेज चन्नाई एम० जी० आर० जिला-603204	टी एन/19272	23-6-93	31-8-95	1-9-95 से 31-8-98 1-9-98 से 23-6-2000	2/3606/92
30.	मै० एम० वी० मुथियाग पिल्ले, मैट्रीकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल करूर मार्ग, धिन्दीगुल- 624004	टी एन/20802	13-1-2000	31-3-99	1-4-99 से 23-6-2000	2/3001/93
31.	मै० एम० वी० एम० मुथियाल पिल्ले मैरिया- म्माल गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल, अन्गु नगर, धिन्दीगुल-4	टी एन/20802ए	10-7-91	28-2-93	1-3-93 से 29-2-96 1-3-96 से 28-2-99 1-3-99 से 23-6-2000	2/2878/90
32.	मै० राघिनावेल सुब्बा- मनियम पोलिटेक्निक आर० वी० एस० नगर करूर मार्ग, धिन्दी- गुल-5	टी एन/20889	13-5-94	31-3-93	1-4-93 से 31-3-96 1-4-96 से 31-3-99 1-4-99 से 23-6-2000	2/2996/90
33.	मै० अरुणा आदो कास्टिंग संगानूर मार्ग, उलाबागम गणपति, कोयम्बटूर-641006	टी एन/21443	23-1-99	30-9-99	1-10-99 से 23-6-2000	2/4715/92

1	2	3	4	5	6	7
34.	मै० रुटस आटो प्रोडक्ट्स टी एन/21434 प्रा० लि०, उलावागम गणपति कोयम्बटूर- 641006	23-1-99		30-9-99	1-10-99 से 23-6-2000	2/4715/92
35.	मै० नारायण कृष्णा स्विनिंग प्रा० लि०, 119, धासे मार्ग, उदमा- लपत-642126	19-3-99		31-10-99	1-11-99 से 23-6-2000	14/241/97
36.	मै० रुटस प्रसिजन प्रोडक्ट्स उलावागम, गणपति, कोयम्बटूर- 641006	23-1-99		30-9-99	1-10-99 से 23-6-2000	2/4714/92
37.	मै० शक्ति सोफ्ट ड्रीक्स टी एन/21889 लि०, 115, शास्त्री मार्ग, कोयम्बटूर- 641009	3-3-98		31-8-99	1-9-99 से 23-6-2000	14/294/97
38.	मै० इंजीनियरिंग इक्यूपमेंट मैनुफैक्चरर्स नं० 142, सिडको इण्डस्ट्रियल स्टेट चेन्नई-600098	22-9-99		29-2-2000	1-3-2000 से 23-6-2000	2/2576/90
39.	मै० एग्रो हार्टीकल्चरल टी एन/22668 कन्सलटेन्ट्स नं० 10, बाबा मार्ग, अलवारपट, चेन्नई-600018	16-2-99		31-3-2000	1-4-2000 से 23-6-2000	2/4525/92
40.	मै० उद्योति माइको कास्ट टी एन/22831 प्रा० लि०, बी-22 कास्टिंग मार्ग, त्रिचि-18 तथा कम्पनी	19-3-99		29-2-2000	1-3-2000 से 23-6-2000	2/3914/91
41.	मै० ट्राइडेंट इंजीनियरिंग टी एन/31969 प्रा० लि०, नं० 37, 53वां स्ट्रीट, अशोक नगर, चेन्नई-600083	31-8-98		29-2-2000	1-3-2000 से 23-6-2000	14/372/98
42.	मै० महालक्ष्मी इन्टर- टी एन/26851 प्राइजेज नं० 50/1, मधुर्, उदयमान मार्ग, टी नगर, चेन्नई-600017 तथा प्रशासनिक कार्या- लय, नं० 104, उदयमान मार्ग, टी नगर, चेन्नई- 17	18-3-99		29-2-2000	1-3-2000 से 23-6-2000	14/487/98
43.	मै० सुखा मार्किटिंग एसोसियेट्स नं० 23, बार्मियर्स मार्ग, चेन्नई 600035 तथा 9 शाबाए	31-8-98		31-12-99	1-1-2000 से 23-6-2000	14/381/98

1	2	3	4	5	6	7 ^a
44.	मै० दि थागाराया नगर, कोप० बैंक लि०, नं० 3, दुराईवामी मार्ग, टी० नगर, चेन्नई- 600017 तथा शाखाएं	टी एन/30646	11-3-99	30-11-99	1-12-99 से 23-6-2000	14/405/98
45.	मै० सेलेब्रेटी फेशनस प्रा० लि०, नं० 362, 1 सी, 1 ए 100 फिट बाई पास मार्ग, वेलाचेरी चेन्नई-600042	टी एन/30779	31-8-98	29-2-2000	1-3-2000 से 23-6-2000	14/359/98
46.	मै० के-7 कम्प्यूटिंग प्रा० लि०, नं० 24, नार्थ मादा स्ट्रीट श्री नगर कालोनी चेन्नई- 600015 तथा दो शाखाएं	टी एन/36220	8-8-99	29-2-2000	1-3-2000 से 23-6-2000	14/625/99
47.	मै० इण्डियन एडिटोरस लि०, मनाली, चेन्नई- 600018	टी एन/36423	18-3-99	31-12-99	1-1-2000 से 23-6-2000	14/501/99
48.	मै० ग्वारी हाउस मेटल वर्क्स पी० बी० नं० 13, राजापालायम-626117 तथा इयथा सेल डिपो इर्नाकुलम	टी एन/338	26-10-97	31-3-99	1-4-99 से 23-6-2000	2/2236/89
49.	मै० ग्वारी शेकर सफ्रोस, 4/111, मालायादीपट्टी, राजापालायम- 626117	टी०एन०/338ए	26-10-97	31-3-99	1-4-99 से 23-6-2000	2/2642/90
50.	मै० ग्वारी लक्ष्मी सकुस, 5/111, मालायादीपट्टी, पी०बी० नं० 93, राजापालायम-17	टी०एन०/338बी	26-10-97	31-3-99	1-4-99 से 23-6-2000	2/2641/89
51.	मै० एम० आर० एफ० लि०, पी०बी० नं० 5285, यिरुधोत्तीयुर हाई मार्ग, चेन्नई- 600019	टी०एन०/347		31-1-99	1-2-99 से 23-6-2000	14/70/99
52.	मै० सीट मेटल इन्डस्ट्रीज प्रा० लि०, सी०-12, इन्डस्ट्रियल स्टेट, गुण्डेय, चेन्नई-32	टी०एन०/19277	7-4-99	29-2-2000	1-3-2000 से 23-6-2000	2/4059/92

1	2	3	4	5	6	7
53.	मै० शंकर रेडिंग कम्पनी नं० 198, लिमिटेड, स्ट्रीट, चेन्नई-600001, तथा शाखाएं	टी०एन०/11198	19-3-99	31-10-99	1-11-99 से 23-06-2000	2/3253/90
54.	मै० फ्रेन्स इंजीनियरिंग प्रा० लि०, नं० बी-17, पहला मैन मार्ग, अम्बाटूर इन्डस्ट्रियल स्टेट, चेन्नई-58 तथा शाखाएं	टी०एन०/23847	8-8-99	30-11-99	1-12-99 से 23-6-2000	14/630/99
55.	मै० फोर लिक्स इंडिया टी०एन०/वी०सी० प्रा० लि०, 141, एलडम्स मार्ग, चेन्नई-18	532		29-2- 2000	1-3-2000 से 23-6-2000	14/444/98
56.	मै० सेलेब्रेटी फसलस लि०, 107-ए, जी०एम० टी० मार्ग, क्रोमेपेट, चेन्नई-44	टी०एन०/36148	1-9-98	29-2- 2000	1-3-2000 से 23-6-2000	14/348/98
57.	मै० गाजा सूज, 79, अन्ना सलाई नगल- केनि, क्रोमेपेट, चेन्नई-44	टी०एन०/19644	26-10-97	31-3-96	1-4-96 से 31-3-99 1-4-99 से 23-6-2000	2/14/95

अनुसूची-1

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजना और ऐसा लेखा जोखा रखना तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिनके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों को प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तर्गत निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उसे संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप में वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुभव है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होने हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदाय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस वृत्त में संदाय हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के पिछले वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिफल के रूप में दोनों शशियों को बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर पतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तिव्यक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो स्कीम रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रह जाता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गए किसी व्यतिक्रम की वशों में उन मृत सदस्यों के नाम निवेशितों या विधिवक वारिसों को यदि यह छूट न हो गई होती तो उक्त स्कीम को अंतर्गत होते, बीमा भागों के संदाय को उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम को अधीन आने वाली किसी समस्या की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निवेशितों/विधिवक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक वश में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि तत्परता से और प्रत्येक वश में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

एस० रजिस्ट्रार,
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

नई दिल्ली-110066, दिनांक 4 दिसम्बर 2000

सं० के० म० नि० आ० 1(4) जी० जे० (1880)/2000/3277--केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से सम्बन्धित नियोजता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें :-

क्रम सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	जी० जे०/21480	मै० श्री गायत्री क्रेडिट को० आ० सोसायटी लि०, सरदार भवन, मेन रोड, ब्री०/4 जुबिली बाग, बड़ौदा-1	1-1-2000
2.	जीजे/एस० आर० टी०/24224	मै० बानास सिक्कोरिटी एण्ड पर्सनल फोर्स, भारुचिमाफा, महावीर सोसायटी, नियर जालाराम टेम्पल, अंकलेश्वर-393001	1-9-93

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि में अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी है।

के० ए० त्रिवेदी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० म० नि० आ० 1 (4)/ए० एस० (1881)/2000/3278--केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोजता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें :-

क्रम सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	ए० एस०/3585.	मै० एडुसोपट, आर०पी० मेजबानुआठ भवन, वर्ड पलोर, एम० आर० डी० रोड, चांदमारी, गुवाहाटी-3, असम।	1-9-99

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी है।

के० ए० द्विवेदी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1 (4)/ओ० आर० (1882)/2000/3279—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहाँ प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किए जाएँ :—

क्रम सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	ओआर०/5056	मै० घेनकानाल अरबन को० आ० बैंक लि०, महावीर बाजार, श्री बीराबार पाटी, सैक्टर-31/सी, गुडीयाराली, घेनकानाल, (उड़ीसा)।	1-5-96

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी है।

के० ए० द्विवेदी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1 (4)/टी० एन० (1883)/2000/3280—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहाँ प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें :—

क्रम सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	टीएन/एमडी/42341	मै० ए० 1354, पण्डालगुड़ी प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव बैंक, पण्डालगुड़ी-626113, तमिलनाडु।	1-2-2000

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी है।

के० ए० द्विवेदी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1 (4)/एम० एच० (1870)/2000/3298—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहाँ प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें :—

क्रम सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	एम एच/97040	मै० सिड्नेश स्टील शीटमेट प्रा० लि० प्लॉट नं० आर-716, रेवेल, एम० आई० डी० सी० टी० टी० सी० एरिया, नवी, मुम्बई-400701	1-1-99

1	2	3	4
2. एम एच/96400	मै० शिव गणेश एगोमिएट 55-3, रूम नं० 277, मैक्टर-6, कोपर खैरते पोस्ट-बनसोली, नवी, मुम्बई-400701		1-5-97
3. एम एच/96969	मै० विष प्वाइंट स्टुडियो, ए-14, अमरगेन को० आ० प्रीमिमिज सोसायटी लि०, अपो० एम० टी० वर्कशाप, खापट, थाणा-400601		1-7-98
4. एम एच/44614	मै० वेस्टर्न इंडिया कॉन्फरेन्स ऑफ फ्री मैथोडिस्ट चर्च, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, अंधेरी ईस्ट, मुम्बई-400099		1-3-2000
5. एम एच/44575	मै० कारडोज टुअर्स एण्ड ट्रेवल्स 403, जमाली अपार्टमेंट, 246, रिने रोड, मजगांव, मुम्बई-400010		1-6-2000
6. एम एच/44598	मै० डारासांव सिन्क्योरिटीज लि० सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, बिल्डिंग, चौथी मंजिल एम० बी० रोड, फोर्ट मुम्बई-400023		1-10-99
7. एम एच/96093	मै० हरेण एन्टरप्राइजिज, शिवाजी नगर, रूम नं० 1, नेरूल नवी मुम्बई-400706		1-1-97
8. एम एच/32718	मै० स्टार इलेक्ट्रीकल कम्पनी, जे०-403, एम० आई० डी० सी०, भोसारी, पुणे-411026		1-4-96
9. एम एच०/96621	मै० नव भारत मोटर मैनुफैक्चरर्स प्रा० लि०, प्लॉट नं० ए-564, टी० टी० सी०, एम० आई० डी० सी०, महापे नवी मुम्बई-400701		1-1-96
10. एम एच/96120	मै० कोरपोरेट पोलीमर्स, 148, शांति इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, फस्ट फ्लोर, सरोजिनी नाथ रोड, मुलुण्ड (ब०) मुम्बई-400080		1-1-97
11. एम एच/96589	मै० इण्डस्ट्रीयल कैन्टीन क्रांटेक्टर, 308, शाकुस्तला अपार्टमेंट, अपो० मेन्टल होस्पिटल, थाना (ब) —400602		1-5-98
12. एम एच/के पी/100648	मै० श्री हनुमान सहकारी दूध व्यावसायिक संस्था मार्यादित, पुष्पा नगर, तालुक, भुवार्गढ़, डि० कोल्हापुर।		1-5-2000

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शाई गई हैं।

के० ए० द्विवेदी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० अ० वि० आ० 1(4)/ए०पी०(1871)/2000/3299--केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहाँ प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किए जाएं।

क्रम सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	ए पी/36020	मै० प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव सोसायटी लि०, चिन्ताकांकानी, मण्डल काटाराम, डि० करीमनगर, (ए० पी०)	1-1-98
2.	एपी/36012	मै० प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव सोसायटी लि., गम्भीरपुर, कथालापुर मण्डल, करीमनगर, डि० (ए० पी०)	1-9-99
3.	ए पी/35715	मै० प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव सोसायटी लि०, मेडक, मण्डल एण्ड डि० मेडक (एपी०)	1-4-96
4.	एपी/31467	मै० प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव सोसायटी लि०; मुक्तापुर, मण्डल निर्मल, डि० आदिलाबाद (एपी०)	1-10-99
4.	एपी/31468	मै० प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव सोसायटी लि०, कोटाला (के) आदिलाबाद डि०	1-10-99
6.	एपी/31466	मै० प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव सोसायटी लि०, वाडयाल, लक्ष्मणचन्दा (मण्डल), डि० आदिलाबाद (एपी०)	1-10-99
7.	एपी/36024	मै० प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि०, एण्डापल्ली, मण्डल बागाधुर, डि० करीमनगर (ए० पी०)	1-1-2000
8.	एपी/36045	मै० प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव सोसायटी लि०, वेलगाटूर, डि० करीमनगर, (एपी०)	1-1-2000
9.	एपी/36015	मै० प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव सोसायटी लि०, धूलमिटा, वारांगल डिस्ट्रीक्ट (एपी०)	1-3-99
10.	एपी/36037	मै० प्राइमरी एग्रीकल्चरल को आपरेटिव सोसायटी लि०, पाथीपल्ली, मण्डल मुलूगु, वारांगल डि०	1-3-99
11.	एपी/36042	मै० प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव सोसायटी लि०, कासिमवेवपेट, मुलूगु मण्डल, वारांगल डि० (एपी०)	1-3-99
12.	एपी/36027	मै० प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव सोसायटी लि०, पैडीमेडूगु, मण्डल करुथा, करीमनगर, डि० (ए० पी०)	1-12-99
13.	एपी/35840	मै० प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि०, राघवापुरम, सिडापेट, मेडक (डि०) (ए० पी०)	1-12-98
14.	एपी/35865	मै० प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि०, गाजबेल, मेडक (डि०)	1-1-99
15.	एपी/35864	मै० प्राइमरी एग्रीकल्चरल को आपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि०, आईरकोड, सिद्धीपेट (मण्डल), मेडक (डि०) ।	1-1-99
16.	एपी/एडीनो/31465	मै० प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव सोसायटी लि०, बन्सापल्ली, दिलवारपुर (मण्डल) डि०, आदिलाबाद ।	1-10-99
17.	एपी/31464	मै० प्राइमरी एग्रीकल्चरल को० आ० सोसायटी लि०, मामडा, आदिलाबाद डि० (एपी०)	1-10-99
18.	एपी/31463	मै० प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव सोसायटी लि०, लक्ष्मण चण्ड; डि० आदिलाबाद	1-10-99
19.	एपी/31462	मै० प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव सोसायटी लि०, मन्जुलापुर, निर्मल (मण्डल), डि० आदिलाबाद ।	1-10-99

1	2	3	4
20.	एपी/31461	मै० प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव सोसायटी लि०, कोंडापुर, निर्मल (मण्डल), आदिलाबाद (डि०)	1-10-99
21.	एपी/31470	मै० प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव सोसायटी लि०, पोंकल, मामडा (मण्डल), डि०, आदिलाबाद ।	1-10-99

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने वर्णायी गई हैं ।

के० ए० द्विवेदी,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० न० आ० 1(4)/ए० पी० (1871)/2000/3299—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहाँ प्रतीत होता है कि निम्न-लिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जाएं ।

क्रम सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	एमएच/41374	मै० अनुसाया एयर एण्ड सी क्लीनिंग एजेंसी, 27, कुम्पटा स्ट्रीट, अपो० आई० डी० मेल्लो रोड, मुम्बई-400038 ।	1-7-95
2.	एमएच/42616	मै० लीव बेल एविएशन सर्विसिज, 9, नारायण उद्योग भवन, लालबाग, इण्डस्ट्रियल इस्टेट, डा० अम्बेडकर रोड, मुम्बई-400012 ।	1-1-97
3.	एमएच/38343	मै० लोबा कैमि० इण्डस्ट्रियल कम्पनी, 78/80, बाबू मेमो रोड, मुम्बई-400002	1-12-90
4.	एमएच/39071	मै० श्री गडगे महाराज मिशन विद्यार्थी भवन, त्रिभुवन रोड, मुम्बई-400004	1-4-91
5.	एमएच/51514	मै० विजय कम्युनिकेशन, 26, गुरुआशीष, कनाडा कारनर, नासिक-20	1-5-2000
6.	एमएच/42710	मै० ओक्सीयनिक लाईन्स, प्रा० लि० 2, व्यापार भवन, 370, एन० एन० स्ट्रीट, मुम्बई-9	1-4-97
7.	एमएच/40179	मै० पुष्पांजलि को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि०, 26, ओल्ड फ्लोवर लेन, भुलेश्वर, मुम्बई-400002	1-6-94
8.	एमएच/41589	मै० फाईट सिस्टम्स (आई०) प्रा० लि०, 402, ईष्का हाउस, 289, एस.बी.एस. रोड, फोर्ट; मुम्बई-400023	1-1-96
9.	एमएच/41268	मै० क्यूई फार्मा प्रोडक्ट्स, 45, मिस्सल चैम्बर्स, चौथी मंजिल, नारीमन प्वाइंट, मुम्बई-400021	1-8-95

1	2	3	4	5	6	7
10.	एमएच/40606	मै० ई० एल० डोराडो गारुटी लि०, 507, बर्लमान चैम्बर्स, 17/जी, कावास्जी पटेल स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई-400001				1-10-94
11.	एमएच/41453	मै० स्काई हार्ड, 162/10, मोडी स्ट्रीट, तीमरी मंजिल, फोर्ट, मुम्बई-400001				1-1-95
12.	एमएच/42164	मै० बी० एण्ड एस० क्लीरिंग एजेंसी, 29, रेन चैम्बर्स, बालचन्द हीराचन्द मार्ग, मुम्बई-400038				1-4-95
13.	एमएच/41772	मै० एक्जिमा एन्टरप्राइजिज, 203, एम० के० भवन, सैकिण्ड प्लानर, 300, शहीद भगत सिंह रोड, फोर्ट, मुम्बई-400001				1-4-95
14.	एमएच/पीएनई/32672	मै० मोड्यूलर इन्फोवेटर्स प्रा० लि०, नं० 25, फस्ट फ्लोर, इलक्ट्रॉनिक इस्टेट, पुणे सतारा रोड, पुणे-9				1-7-96
15.	एमएच/96737	मै० जेब्रा वेवलिफ्ट प्रा० लि०, आर-520, टी० टी० सी० इण्ड० एरिया, थाणे, बेलापुर रोड, नवी मुम्बई-400701				1-4-98
16.	एमएच/42536	मै० जालाराम पैट्रो-चेम, बी-161, 16 वां फ्लोर, चितार, आर० ए० किदवाई रोड, वडाला (व०) मुम्बई-400031				1-4-96
17.	एमएच/40965	मै० डी० एम० पैकिटवाला, बेंजोसेफ हाऊस, बाबूराव पारुलेकर मार्ग, आफ भवानी शंकर रोड, दादर (व०) मुम्बई-400028				1-4-95

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी है।

के० सी० पाण्डेय
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1(4) एम एच (1884)/2000/3301—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किए जाएं।

क्रम सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	एमएच/44588	मै० पुष्पा पोलिमर मार्केटिंग प्रा० लि०, 208, बी, ट्रेड कॉरनर, एस० बी० रोड, गाकीनाका, मुम्बई-72	1-7-98
2.	एमएच/44585	मै० यंग एसोसियेट्स, 103, वासन उद्योग भवन, अपो० तुलसी पाईप रोड, लोअर पारेल, मुम्बई-400013	1-2-2000

1	2	3	4	5	6	7
3.	एमएच/96378	मै० मोना ट्रावेल्स, शाप नं० 1, साई निवास, नियर हनुमान टेम्पल बेलापुर रोड, नवी मुम्बई-400708				1-10-97
4.	एमएच/96077	मै० उज्जवल एन्टरप्राइजिज, बी-3/16/3 : 4, सैक्टर-4, वाणी, न्यू मुम्बई-400703				1-1-97
5.	एमएच/96835	मै० श्री साईसिद्धि कंस्टीन, एट० गोनारी, पी० ओ० जस्खार, ताल, करान, डि० रायगढ़।				1-12-97
6.	एमएच/केपी/100627	मै० हॉटेल मयूर पैलेस, नियर—आई० बी० पी० पम्प, कागल, डि० कोल्हापुर, मुम्बई				1-2-2000
7.	एमएच/केपी/100583	मै० श्री लक्ष्मी सहकारी बैंक लि०, ए/पी—मईसाल, तालुका, मिरज, डि० सांगली, (महाराष्ट्र)।				1-1-2000

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई हैं।

के० ए० द्विवेदी
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० म० नि० ग्रा० 1 (4)/के०एन०/(1875)/2000/3302—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्न-लिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र० सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
01.	के०एन०/23785	मै० थिड गोग प्रोडक्टस् (प्रा०) लि०, नं० 15, बाम्मानाहल्ली, मेडीवाला, बंगलौर-68।	1-2-1997
02.	के०एन०/19889	मै० अल्टीमेट क्रेडिट प्राईवेट लि०, 407, हाउस आफ लॉर्ड्स, 14-15, सेंट मार्क्स रोड, बंगलौर-560001।	1-5-1997
03.	के०एन०/20377	मै० दुर्गाम्बा मोटर्स, मिथुन काम्पलेक्स, कुण्डापुरा-576201।	1-8-1999

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शाया गया है।

के० ए० द्विवेदी
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

दिनांक 5 दिसम्बर 2000

सं० के० भ० लि० जा०-1 (4) एम० एच० (1869)/2000/3386--केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहाँ प्रतीत होता है कि निम्न-लिखित स्थापनाओं के सम्बन्धित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें :-

क्र० सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
01.	एम०एच०/44327	मै० बोरोग प्रा० लि०, 101/102, ए० एन० चम्बर, टरनर रोड, बान्द्रा (ब०), मुम्बई-50।	1-7-1999
02.	एम०एच०/43521	मै० फब्रिकेन्ट ट्रेडिंग (इंडिया) प्रा० लि०, 304, पचरस्ता, ओपेरा हाउस, मुम्बई-400004।	1-10-1997
03.	एम०एच०/44194	मै० गुड हाऊसकीपिंग सर्विसिज, गली नं० 2, अपोजिट बान्द्रा कोर्ट, पोर्ट अनन्त कानेकर मार्ग, बान्द्रा (ई०), मुम्बई-400051।	1-11-1998
04.	एम०एच०/40352	मै० राम संस प्रिन्टर्स, 9, मुटार यावल, मुम्बई-2।	1-4-1992
05.	एम०एच०/40407	मै० ईडन इन्टरनेशनल, 92-94, आरडेशिर डेडी स्ट्रीट, बी० पी० रोड, नियर--मी० पी० टैंक, मुम्बई-4।	1-4-1993
06.	एम०एच०/61663	मै० ग्राम सहकारी ग्राहक संस्था लि०, नारखेड, आर० नं० 463, डि० नागपुर-441304, मुम्बई।	1-10-1995
07.	एम०एच०/42789	मै० मून केन वर्क्स, 45, केवा भवन, सैकिड फ्लोर आदेसर दाडी स्ट्रीट, गोल्पीटा, नियर अलंकार मिनेमा, मुम्बई-400004।	1-7-1997
08.	एम०एच०/51499	मै० पाल्वे पेस्ट कंट्रोल उद्योग, 206, 207, आमाबारी चैम्बर्स, कोलेज रोड, भासिक-5।	1-3-2000
09.	एम०एच०/40774	मै० उद्योग कंटी लिक्वायर बार, 158/60, खादीबुला बिल्डिंग, ठाकुरद्वार रोड, मुम्बई-400002।	1-4-1995
10.	एम०एच० 44466	मै० डॉ० डी० के० टैंक कमलटैम्सी, 50, अम्बिका दर्शन, एम० जी० रोड, घाटकोपर (ई०), मुम्बई-400077।	1-4-1999
11.]	एम०एच०/36971	मै० हेरान्डस मार्केटिंग लि०, 3 एफ, कोर्ट चैम्बर्स, 35, न्यू मेरीन लार्डन्स, मुम्बई-20।	1-1-1990
12.	एम०एच०/43890	मै० डॉ० पाटनी माईन्सटिफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल रिमर्स, पी० एम० आई० आर० बिल्डिंग, 90/8, एम० आई० डी० सी०, क्रास रोड, महाकाली केवज रोड, अंधेरी (ईस्ट), मुम्बई-400093।	1-4-1999

4		4	
13.	एम०एच०/के०पी०/100579	मै० श्री रावलनाथ सहकारी दुध व्यवसायक संस्था, मर्यादित, मालीगरे, तालुक-अजारा, डि०, कोल्हापुर।	1-1-2000
14.	एम०एच०/के०पी०/100581	मै० श्री कामधेनु सहकारी दुध व्यवसायक संस्था लि०, नोरेवाडी, ताल-गांधीनगलाज, डि०, कोल्हापुर।	1-12-1999
15.	एम०एच०/के०पी०/100580	मै० श्री भावेष्वरी नगरी सहकारी पत संस्था, मर्यादित, कालेज, ताल० गांधीनगलाज, डि० कोल्हापुर।	1-12-1999
16.	एम०एच०/के०पी०/100576	मै० पट्टणकोडोली शेतकारी विकास सेवा संस्था, —मर्यादित, पट्टणकोडोली, ताल० हतकणंगले, डि० कोल्हापुर।	1-12-1999
17.	एम०एच०/41897	मै० क्रिसिएन्ट ग्राफिक्स प्रा० लि०, 8, अनिल चैम्बर्स, 6, मिनेमा रोड, धोबी तालाव, मुम्बई-400020।	1-4-1995
18.	एम०एच०/44413	मै० कोठारी जेम्स प्रा० लि०, 1502, पंचरत्ना, ओपेरा हाऊस, मुम्बई-400 004।	1-10-1999
19.	एम०एच०/43181	मै० मैरीन इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड नेवीगेशन-सिस्टम्स प्रा० लि०, 301, "गोकुल" 80-ए, बड़ौदा स्ट्रीट, मस्जिद भुंडर (ई), मुम्बई-400 009।	1-4-1997
20.	एम०एच०/44131	मै० खोरा इलैक्ट्रीक सर्विस, 5, माधव भवन, चौथा खेतवाडी, ऑफ विल्सन रोड, गिरगांव, मुम्बई-4।	1-8-1999
21.	एम०एच०/41744	मै० सुमनगालम (इंडिया), दुभाष बिल्डिंग, फर्स्ट फ्लोर, 38, बालचन्द-हीराचन्द मार्ग, मुम्बई-400038।	1-12-1995
22.	एम०एच०/41657	मै० असी इंडिया लोमिस्टिक्स प्रा० लि०, 21, मोर्फी हाऊस, डॉ० सुन्दरलाल नाना पथ, बलार्ड इस्टेट, मुम्बई-400038।	1-8-1995

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शाये गये हैं।

के० ए० द्विवेदी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० ति० ग्रा० 1/(4)एम० एच० (1873)/2000/3387—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहाँ प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोजता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र० सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	एमएच/51545	मै० राजेबहादुर हार्ट फाऊंडेशन प्रा० लि०, प्लॉट नं० 13/14-199, राजेबहादुर कालोनी, तिलक रोड, नागिक-1,	1-8-2000
2.	एमएच/43246	मै० चित्रा आर्ट्स, बी-31, रोयल इंडस्ट्रीयल इस्टेट, थर्ड फ्लोर, नाईगॉम क्रॉस रोड, वाडाला, मुम्बई-31.	28-2-98
3.	एमएच/42754	मै० बारबिल गिपिंग (आई) प्रा० लि०, डी०-1, कोरिन्थियन, थर्ड फ्लोर, आरथूर बुंडर रोड, अपो० फरियाज होटल, कोलाबा, मुम्बई-400005.	1-2-97
4.	एमएच/44565	मै० आगेमेटन परटूमस प्रा० लि०, ए-1, 433/434, शाह एण्ड नाहर इंडस्ट्रीयल इस्टेट, धनराज मिल कम्पाऊंड, लोवर पारेल, मुम्बई-400013.	1-9-98
5.	एमएच/36919	मै० डोराडो इन्वेस्टमेंट कं० प्रा० लि०, 14, सिध चैम्बर, फर्स्ट फ्लोर, कोलाबा काँजवे, कोलाबा, मुम्बई-400 005.	1-4-90
6.	एमएच/41699	मै० ईल-एल-इसराईल एयरलाइन्स लि०, प्रेजीडेंट होटल, फर्स्ट फ्लोर, कुफ्फे परेड, मुम्बई-400 005.	1-1-95
7.	एमएच/के पी/100609	मै० श्री नागनाथ सहकारी दूध व्याव० संस्था मर्यादित, एकोंडी, तालुक कागल, डि० कोल्हापुर ।	1-10-99
8.	एमएच/के पी/100610	मै० श्री वतालय धोंडी फराकटे सहकारी दूध-व्यावसायिक संस्था मर्यादित, फराकटेवाडी (बोरखडे) ता० कागल, जिला-कोल्हापुर ।	1-6-99
9.	एमएच/के पी/100611	मै० श्री गहिनीनाथ वाहनधारक नागरी सह० पत संस्था मर्यादित, कागल, तालुक-कागल, जिला-कोल्हापुर ।	1-10-99
10.	एमएच/40288	मै० देलीमोन प्रोटोज इंडिया प्रा० लि०, ठाकुर निवास, 173, जमशेदजी टाटा रोड, थर्चगेट, मुम्बई-400 020.	1-6-94
11.	एमएच/41174	मै० प्रिन्टेज, बी-1 एण्ड बी-3, श्रीराम इंडस्ट्रीयल इस्टेट, आऊंड फ्लोर, प्लॉट नं० 13, जी० डी० अम्बेडकर रोड, वाडाला, मुम्बई-400 031.	1-7-95
12.	एमएच/44276	मै० कृष्णा कॉन्जेम प्रोडक्ट्स प्रा० लि०, 428, मिलन इंडस्ट्रीयल इस्टेट, अभ्युदय नगर, कॉटन ग्रीन, मुम्बई-400033.	1-2-2000
13.	एमएच/42840	मै० यूनिकार्न ट्रावेल्स, 3/84, ऊन्नीथा बिल्डिंग, आर० ए० किदवई रोड, वाडाला, मुम्बई-400 031.	30-9-97

1	2	3	4
14.	एमएच/95981	मै० ऊन्हा इलेक्ट्रीक क० सी-5-14/2:2, सैक्टर-18, न्यु पान्थेल, न्यु मुम्बई-410206.	1-11-96
15.	एमएच/97155	मै० प्रकल्पग्रस्त बेकार पुत्रक मजूर सहकारी संस्था-मर्यादित, करल, तह० ऊरान, डि० रायगढ़ ।	1-12-99
16.	एमएच/44408	मै० एक्ज्युरेट इंडिया प्रा० लि०, 7 वां रोड, प्रभा विल्ला, मान्ताक्रुज (ई), मुम्बई-400055.	1-5-99
17.	एमएच/40587	मै० शशि इंडस्ट्रीज, हेडारकर वाडी नं० 3, बी० पी० मार्ग, ऑफ० बी० एम० रोड, दादर (वेस्ट) मुम्बई-400028.	1-10-94
18.	एमएच/44539	मै० गामापिय इंप्रोटेक प्रा० लि०, “प्रिस आरकेड” तीसरी मंजिल, सी-10, सैन्ट्रल रोड, मरोल, एम० आई० डी० सी०, अंधेरी (ई) मुम्बई-400093.	1-4-2000
19.	एमएच/43133	मै० कार्गो गियर सर्विसेज, प्लॉट नं० 10, अपो० सेन्ट जानाबेन म्युनिसिपल-मार्केट, गोडाण्डीव क्रॉस रोड नं० 1, ऑफ० ई० एम० पाटनवाला मार्ग, मुम्बई-400033.	1-3-98
20.	एमएच/44549	मै० चेतना पब्लिकेशंस, 194-आई, गिरगांव गायवाडी, मुम्बई-400004.	1-2-2000

प्रतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करना हूँ जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं।

के० एस० द्विवेदी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1(4) एम० एच० (1876)/2000/3388—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहाँ प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र० सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	एमएच/42594	मै० ईम्मेफ ट्रेडिंग कम्पनी, शॉप नं० 9, एफ/एम म्युनिसिपल बिल्डिंग, मरोल, मुम्बई-400012.	1-12-96
2.	एमएच/43310	मै० अरिहन्त डिस्ट्रीब्यूटर्स, “ई” ब्लाक, रन्जीत स्टूडियो कम्पाऊंड, दादर, मुम्बई-400014.	31-5-98

1	2	3	4
3.	एमएच/44048	मै० पाईपलाईन इंजीनियरिंग गमफ, इंडिया ब्रांच आफिस, 5-डी, बूल्कॉन इंगोरेम बिल्डिंग, वीर नारीमन रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400020.	1-6-99
4.	एमएच/39867	मै० एप्ल एस्सेट मैनेजमेंट लि०, राजगीर चेम्बर्स, चौथी मंजिल, एस० बी० एस० रोड, अपो० ओल्ड कस्टम हाऊस, फोर्ट, मुम्बई-400023.	1-2-94
5.	एमएच/41202	मै० बॉम्बे बैपटीस्ट चर्च, 175, कोनाबा रोड, मुम्बई-400 005.	1-7-95
6.	एमएच/40563	मै० हेमendra आर० सेठ, 108, विकास, 11, बैंक स्ट्रीट, मुम्बई-400 023.	1-3-94
7.	एमएच/40145	मै० सैकमरिया इंडस्ट्रीज लि०, सैकमरिया चेम्बर्स, पंचवी मंजिल, 139, नागिनदास मास्टर रोड, फोर्ट, मुम्बई-400 001.	1-4-94
8.	एमएच/42547	मै० बी० कैमिकल्स प्रा० लि०, 29, बैंक स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई-400 023.	1-1-97
9.	एमएच/43803	मै० पी० एण्ड एम० ट्रेडर्स, क्षेत्रमेंट नं० 6, कामर्श हाऊस 140, एन० एम० रोड, फोर्ट, मुम्बई-400 023.	1-4-99
10.	एमएच/43619	मै० कांक्रिट फार पेपर बिजनेस प्रैक्टिस, ग्रेट वेस्टर्न बिल्डिंग, 130/132, गृहीद भगन सिंह रोड, अपो० लायन गेट, मुम्बई-400 023.	1-9-98
11.	एमएच/44047	डा० अमीन मुर्वेयोर्स एण्ड एस्सेसर्स एसोसिएट्स, अवाती हाऊस, छठी मंजिल, 25, रोपे वाक लेन, रनपोर्ट रोड, मुम्बई-400 023.	1-7-99
12.	एमएच/42228	मै० फाल्कॉन कोरियर्स प्रा० लि०, कर्मशियन सर्विसिज सेंटर, 8/33-34, ग्रांट बिल्डिंग कोनाबा, मुम्बई-400 005.	1-8-96
13.	एमएच/41214	मै० एस० आर० खंडेलवाल एण्ड संस, 205, सूरत मदन, सूरत स्ट्रीट, मुम्बई-400 009.	1-4-95
14.	एमएच/40803	मै० आस्का सेल्स प्रा० लि०, रतिलाल मेनशन, तीसरी मंजिल, पारेख स्ट्रीट, परार थाना समाज, मुम्बई-400 004.	1-2-95
15.	एमएच/41496	मै० अमित के० दवे, शेयर स्टॉक एण्ड फाईनेंस ब्रॉकर, 1014, स्टॉक-एक्सचेंज टावर, दलाल स्ट्रीट, मुम्बई-400 023.	1-10-95
16.	एमएच/43266	मै० जय कंटेनर हैंडलर्स, 11, शरफे भवन, फस्ट फ्लोर, 159, पी०डी० मेल्लो-रोड, मुम्बई-400 001.	31-10-97
17.	एमएच/40548	मै० त्रिजया एंटरप्राइजिज, 64/66, प्रिंसिज स्ट्रीट, मुम्बई-400 002.	1-3-92

1	2	3	4
18.	एम एच/40547	मै० यू० पी० कैमिकल्स, रनवीर मेनसन, 64, प्रिंसिज स्ट्रीट, मुम्बई-400 002,	1-3-92
19.	एम एच/44369	मै० इंस्टोन इंडिया (प्रा०) लि०, 605, रहेजा चैम्बर्स, नारीमन प्वाइंट, मुम्बई-400 021.	1-12-89
20.	एम एच/42758	मै० कीलिक गिपिंग सर्विसिज लि०, वालेस बिजनेस सेंटर, कर्मशियल यूनिथन हाऊस, 9, वालेस स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई-400 001.	1-1-95

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं।

के० ए० द्विवेदी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

छं० के० म० नि० आ० 1(4)/एम० एच० (1877)/2000/3389—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को बहुत प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोजना तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र० सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	एम०एच०/40580	मै० मेडोलाईन इक्विपमेंट्स एण्ड कम्प्यूटर-सिस्टम्स (आई) प्रा० लि०, “ए” विंग, नीलम सेंटर, हिंद साईकल रोड, बोर्ली, मुम्बई-25।	31-8-1994
2.	एम०एच०/42817	मै० मेडिया एशिया पब्लिशिंग बोम्बे प्रा० लि०, साईमन हाऊस, ऑफ, सयानी रोड, प्रभादेवी, मुम्बई-400025।	1-6-1997
3.	एम०एच०/40579	मै० जवागी ट्रेडिंग कम्पनी लि० प्रभादेवी इंडस्ट्रियल इस्टेट, यूनिट नं० 14, दूसरी मंजिल, 408, बी० एस० मार्ग, प्रभादेवी, मुम्बई-25।	1-7-1994
4.	एम०एच०/43612	मै० डी० जी० पी० सिन्थोरिटीज लि०, मोडेरना हाऊस, मैक्समाईन फ्लोर, 88-सी, ओल्ड प्रभादेवी रोड, मुम्बई-400025।	1-8-1997
5.	एम०एच०/42931	मै० मां दुर्गा इलेक्ट्रीकल्स, बेलानी हाऊस, बोर्ली सी फैस, गृहखानवाला रोड, मुम्बई-25।	1-9-1997
6.	एम०एच०/41923	मै० गालियाकोटवाला इंजीनियरिंग कम्पनी प्रा० लि०, 66, मेकर चैम्बर-III, नारीमन प्वाइंट, मुम्बई-400021।	1-4-1994
7.	एम०एच०/42825	मै० प्रकाश एण्ड कम्पनी, कादरी मेनसन, फस्ट फ्लोर, रूम नं० 29, बी० एस० मार्ग, प्रभादेवी, मुम्बई-25।	1-4-1996

1	2	3	4
8.	एम०एच०/41051	मै० अल्का सिक्थोरिटीज प्रा० लि०, 54, बोम्बे मिच्युअल चैम्बर्स, हमाम स्ट्रीट, मुम्बई-400023।	1-5-1995
9.	एम०एच०/41875	मै० एकस्ट्रा कवर कम्युनिकेशन प्रा० लि०, 29, बैंक स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई-400001।	1-12-1995
10.	एम०एच०/40993	मै० ओम्निपिड कैपिटल लि०, 132-सी, मिटल टावर, नारीमन प्वाइंट, मुम्बई-400021।	1-2-1995
11.	एम०एच०/40308	मै० हरदेश इन्वेस्टमेंट एण्ड ट्रेडिंग कं० प्रा० लि०, 49, बजाज भवन, नारीमन प्वाइंट, मुम्बई-400021।	1-6-1993
12.	एम०एच०/43653	मै० ग्राईम फर्टिलाईजर्स लि०, 63, बजाज भवन, नारीमन प्वाइंट, मुम्बई-400021।	1-8-1998
13.	एम०एच०/38999	मै० लक्की टाय मार्ट, 222/224, एल० टी० मार्ग, मुम्बई-400002।	1-12-1992
14.	एम०एच०/43551	मै० एस० एण्ड ए० एन्टरप्राईजिज, 32, मेकर चैम्बर्स-6, नारीमन प्वाइंट, मुम्बई-400021।	1-4-1997
15.	एम०एच०/39909	मै० दि नैक्स्ट डायमण्ड कम्पनी, 519, प्रसाद चैम्बर्स, ओपेरा हाउस, मुम्बई-400004।	1-9-1993
16.	एम०एच०/40762	मै० मार्क्स शिपिंग प्रा० लि०, 32, सिल्क हाऊस, 6 वां फ्लोर, हमालवाड़ी, मुम्बई-400002।	1-1-1995
17.	एम०एच०/40763	मै० कामनिक इंटरनेशनल, 32, सिल्क हाऊस, घोषी तलास, मुम्बई-400002।	1-1-1995
18.	एम०एच०/41131	मै० आशिवन चिन्मार्ग एण्ड संस, 45, भिगान चैम्बर्स, दूसरी मंजिल, 9, बलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई-400023।	1-4-1993
19.	एम०एच०/41913	मै० कानिलाल मंगलदास सिक्थोरिटीज प्रा० लि०, 100/104, डी० जी० चैम्बर्स, दूसरी मंजिल, नायक मोतधानी रोड, फोर्ट, मुम्बई-400023।	1-1-1996

प्रतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्ज की गई हैं।

के० ए० द्विवेदी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1(4)/टी०एन० (1886)/2000/3390—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की जहाँ प्रतीत होता है कि निम्न-लिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्रम सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	टीएन/एमएस/48845	मै० रेयनॉल्ड्स पेन्स इंडिया लि०, प्लॉट नं० सी-21, सिष्कोट इण्डस्ट्रीयल पार्क, आईरूंगाटूकोटई पेन्नालूर पोस्ट, श्रीपेरुम्बूडूर तालुक, कांचीपुरम, डि० तमिलनाडु-602105	1-1-2000
2.	टीएन/टीआई/44472	मै० एस० वी० ए० लक्ष्मी ब्लू मेटल इण्डस्ट्रीज, नं० 7, आकैलानडापुरम विल्लेज (वाया) कायाथार-टूटिकोरिन डि०	1-4-99
3.	टीएन/एमडी/42370	मै० डी० डी० 5, पुडुपेटी को० आ० बिल्डिंग सोसायटी लि०, सी० पुडुपेटी-625556, थेनी डिस्ट्रिक्ट।	1-7-2000
4.	टीएन/एमडी/42372	मै० श्रीनिवासा आर्ट्स, 47/1, पेरियार नगर, बाई पास रोड, सत्तूर-626203	1-5-2000
5.	टीएन/एमडी/42376	मै० डी० डी० 544, सिस्मलाई प्राइमरी एग्रीकल्चरल को० आपरेटिव बैंक, सिस्मलाई (पी० ओ०) डिडीगुल टी० के० डिडीगुल (डि०)	1-7-2000
6.	टीएन/एमडी/42383	मै० क्यू 1210 मलाल प्राइमरी एग्रीकल्चरल को० आपरेटिव बैंक लि०, मलाल पोस्ट रामानाथापुरम, डि०-623533	1-4-2000
7.	टीएन/एमडी/42378	मै० श्री स्वर्णा एन्टरप्राइजिज, प्लॉट नं० 106, सिडको इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, कप्पालूर, मदुरै-625006	1-7-2000
8.	टीएन/टीआई/46473	मै० फातिमा ब्लू मेटल इण्डस्ट्रीज, गदुरै रोड, कायाथार-628952।	1-4-99
9.	टीएन/टीआर/43385	मै० सूर्या फास्ट फूड, 56, सुपर बाजार, त्रिची-620008	1-7-99
10.	टीएन/एमएस/49021	मै० चेन्नई इंजीनियरिंग कालटेन्ट्स प्रा० लि०, क्यू० 20, एम० एम० डी० ए० कालोनी, चेन्नई-600106	1-5-2000
11.	टीएन/एमएस/49049	मै० मोनार्च साइन्सटिफिक वर्क्स, नं० 212, सिडको इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, थिरुमाक्षीसाई, चेन्नई-602107	1-4-2000
12.	टीएन/टीआर/43452	मै० पदमावती नर्सरी एण्ड प्राइमरी स्कूल, विलान्थीडासमुद्रिरम सरकाली-609108	1-11-99
13.	टीएन/बीएल/38631	मै० सी० 2493, अम्बालूर प्राइमरी एग्रीकल्चरल को० आ० बैंक, अम्बालूर-635801	1-3-98
14.	टीएन/पीसी/984	मै० जैनलाईट इंजीनियरिंग, नं० 374, वाझूडावीर रोड, शानमुगापुरम, पाण्डिचेरी-605009	1-1-98

1	2	3	4
15.	टीएन/एमएस/43639	मै० मनु एन्टरप्राइजिज, 34 रेड्डी स्ट्रीट, मदुरासमट्टपालयाम, पुञ्जाल, चेन्नई-600011	1-11-99
16.	टीएन/एमएस/43632	मै० अन्जाना इलेक्ट्रोनिक्स (प्रा०) लि०, नं० 5, धांगईयान स्ट्रीट, माधवा नगर एक्सटेंशन, माधवानाथापुरम, पोन्नूर, चेन्नई-600116	1-8-99
17.	टीएन/एमडी/42244	मै० रहावेन्थेर इण्डस्ट्रीज, 10, विश्वनाथा नगर, के-पुडूर, मदुरै-625007	1-1-2000
18.	टीएन/टीआई/46412	मै० श्री मास्था कमलटैन्टम, ई० एस० आई० पी० एफ० एण्ड फैक्ट्रीज एक्ट, इन्दिरा कॉम्प्लेक्स, 94-ए-7, मेन रोड, होटल किंग मैट्रो बैकसाईड, कीबिलपेट्टी-628501	1-9-99
19.	टी०एन०/टी०आर०/ 43434	मै० अहमद फैब० नं० 21/1, सिगारा थोड, त्रिची-620008	1-11-99
20.	टी०एन०/टी०आर०/ 43387	मै० रीथा आटोमोबाइल्स, नं० 1, मदुरै रोड, त्रिची-620008	1-8-99
21.	टी०एन०/टी०आर०/ 43435	मै० अहमद टैक्स, 21, सिगाराथोप, इकबाल टाँवर्स, त्रिची-620008	1-11-99
22.	टी०एन०/एम०डी०/ 42369	मै० एस० एन० पी० डेयरी मिल्क, वाडी पेट्टी मेन रोड, आयानकोटई, वाडीपेट्टी तालुक, मदुरै डि०	1-7-2000
23.	टी०एन०/वी०एल०/ 38634	मै० काट्टामपुंडी प्राइमरी एग्रीकल्चरल को०आ० बैंक लि०, कोट्टामपुंडी एण्ड पोस्ट तिरुवन्नामलाई डि०	1-7-2000
24.	टी०एन०/टी०आई०/ 46468	मै० थॉमसन आऊटबोर्ड इंजिन एण्ड फाईबर ग्लास फैब्रिकेशन वर्क्स, 7/45, कोटिलपैड, कोलाचेल-629251 कन्याकुमारी डि०	1-6-2000
25.	टी०एन०/वी०एल०/ 38578	मै० बी०एम० सिल्क स्टोर्स, 249, गांधी रोड (फस्ट फ्लोर), कांचीपुरम-631501	1-12-99
26.	टी०एन०/एम०डी०/ 42363	मै० ब्यू० 1269, कीरानूर प्राइमरी एग्रीकल्चरल को०आ० बैंक, मुडुकुलाधूर तालुक, रामनाड डि०-623704	1-5-2000
27.	टी०एन०/एम०डी०/ 42367	मै० श्री वासन ट्रेडर्स, 8/4, मुन्बुराज नगर, बोडिनायाकानूर, चैन्नई डि०-625513	1-1-2000

अतः केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर इस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी है।

के० ए० त्रिवेदी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

सं. 2/1959/रो. एन. आर्. /गग-1/3526—
—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोजनाओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उनसे अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा

निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहस्रध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जैसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु ने स्कीम की धारा 28 (7) के अंतर्गत छील प्रदान की है 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी गई है।

अनुसूची-1

क्र.सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फा० नं०
1	2	3	4	5
1.	मै० अभ्यासक इंजीनियरिंग यूनिट-11 वेथलाईकली-पालायम एस० एस० एन० पालायम पोस्ट, कोयम्बेटूर-641031	टी०एन०/19230ए	1-4-2000 से 23-6-2000	14/880/2000 सी-5
2.	मै० जनवेगर अस्टर (इंडिया) प्रा० लि०, गोथम आर्कड (तिसरी मंजिल) 208, टी० बी० स्वामी मार्ग, (इस्ट) आर०, एस० पुर्म, कोयम्बेटूर-641002	टी०एन०/3402	1-3-32000 से 23-6-2000	14/881/2000
3.	मै० राइटर एन० डब्ल्यू० एम० मशीनरी लि०, मुलुर रेलवे फिडर मार्ग, मुथुगाऊन्दनपुडूर, कोयम्बेटूर-641406	टी०एन०/33972	1-3-2000 से 23-6-2000	14/882/2000
4.	मै० अरुपुकोट्टाई श्री रामालिगी फूड प्रोडक्ट्स प्रा० लि०, मैलाकन्दा-मंगलम, तिरुवुली-626129	टी०एन०/41715	1-9-99 से 23-6-2000	14/883/2000
5.	मै० स्टेन्डर्ड फायर वर्क्स लि०, फायर वर्क्स एंड स्पार्कलर्स फैक्टरी बी० मुथुलिगापुर्म, शकगालिगापुर्म-626119	टी० एन०/29809	1-3-2000 से 23-6-2000	14/884/2000
6.	मै० मकरा लेदर मैनुफैक्चरिंग कम्पनी प्रा० लि०, 163 तथा 164, मिडको इन्वस्ट्रियल स्टेट अम्बाटूर चेन्नई-98	टी०एन०/17548	1-10-87 से 30-9-90 1-10-90 से 31-3-93 1-4-93 से 31-3-96 1-4-96 से 31-3-99 1-4-99 से 23-6-2000	14/872/2000

1	2	3	4	5
7.	मै० स्टैंडर्स फायर वर्क्स लि०, अमोसिस फैक्टरी विश्वानाथम-626176 (वाया) शिवकाशी	टी०एन०/4995	1-3-2000 से 23-6-2000	14/885/2000
8.	मै० राजम मैज इन्डस्ट्रिज, 4×70, मिनापट्टी अनुपमकुलम (वाया) शिवकाशी, जिला विरधुनगर	टी०एन०/20365	1-3-98 से 28-2-99	14/886/2000
9.	मै० स्टैंडर्ड फायर वर्क्स लि०, सौलबाधिनाम फायर वर्क्स फैक्टरी वैटटीलाईयुरानी-626173	टी०एन०/20902	1-3-2000 से 23-6-2000	14/887/2000
10.	मै० श्री मथा सिपिनिंग मिल्स लि०, लक्ष्मणनपट्टी कल्याणमपट्टी दिदिगुल-629710	टी०एन०/42052	1-2-2000 से 23-6-2000	14/888/2000
11.	मै० स्टैंडर्ड फायर वर्क्स लि०, ग्राइन्डिंग एंड कटींग सैक्शन कटटीलाईयुरानी-626173	टी०एन०/5289	1-3-2000 से 23-6-2000	14/889/2000
12.	मै० स्टैंडर्ड वर्क्स लि०, कटटानारपट्टी ट्यूब डिपोट वि० मुथुलिगमपूरम पोस्ट शरलालिगा-पूरम- 626119	टी०एन०/29810	1-3-2000 से 23-6-2000	14/890/2000

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित अश्वीय भविष्य निधि आयुक्त, को एसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए एसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खंड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संवाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रतिलिपि और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रतिलिपि तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में अपना नाम पुराने वर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदाय करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुसूच्य हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संवाय राशि से कम है जो कर्मचारी के उत्तरदायित्व में संवाय हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्वीक्षता का प्रतिकार के रूप में वांछित राशियों के अंतर को बराबर राशि का संवाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित अश्वीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संवायन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां अश्वीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना हीष्टकीय स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करेगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले ही अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जो बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संवाय करने में असमर्थ रहता है और पांचवी को व्ययगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निदेशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई हो तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा लाभों के संदाय की उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाली किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निदेशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

एस्. रघुराम
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

नई दिल्ली-110 066, दिनांक 15 दिसम्बर 2000

गं. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-1/3597—
जहाँ अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोजकों ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपग्रन्थ अधिनियम, 1962 (1952

का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूँकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कर्मचारी अथवा असहान या प्रीमियम को अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं कि उन्हें कर्मचारी के लिए कर्मचारी निधि सहवृद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वार्थी लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ में एक अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित दिखाने तारीख से प्रभावी जिस विधि से उक्त स्थापना की क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, गंजाय ने स्कीम की धारा 28 (7) के अन्तर्गत दी गई शक्तियों की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी गई है।

अनुसूची-1

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	छूट की प्रभावी निधि	क्र० भ० नि० आ० फा० नं०
1	2	3	4	5
1.	मै० कर्नल एन्टरप्राइजिज, 69 इन्डस्ट्रियल एरिया फेस-II, चंडीगढ़।	पीएन/14557	1-1-99 से 23-6-2000	12/138/2000/ डी०/आई०/एल०
2.	मै० नाहर सुगर एण्ड एलाउंड इन्डस्ट्रीज लि०, पी०बी० नं० 4, पी० आ० अमलोह, जिला फतेहगढ़ साहिब	पीएन/20040	1-6-98 से 23-6-2000	12/146/2000
3.	मै० नीरा एन्टरप्राइजिज 279, इन्डस्ट्रियल एरिया फेस-II, चंडीगढ़।	पीएन/20042	1-1-99 से 23-6-2000	12/140/2000
4.	मै० बोकहर्ड्ट लि०, गांव मसिनी पी० आ० जालक, तह० राजपुरा, जिला पटियाला।	पीएन/20153	7-11-97 से 23-6-2000	12/147/2000

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियाँ भेजना और एंगे लेखा-जोखा रखना तथा निरीक्षण के लिए एंगे सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण जगहों पर एक माह की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिनके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभावों का संदाय आदि भी है, उन्हें देने सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की पूर्ण प्रति और जब-जब उसमें संशोधन किया जाय, तब उसे संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जा रहा है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाक़त आवश्यक अधिनियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संबोधित करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वित्तित किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों में अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुत्पन्न हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्धारितों को प्रविष्टार के रूप में दोनों शर्तियों के अन्तर के बराबर राशि का संशय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को पूर्ण अख्योक्त के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमति देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना धीष्टबोध स्पष्ट करने का युक्तिमय अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के निरी स्थापना पहले अपना चली है, अधीन नहीं रह जाता या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो यह दी जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये भतिक्रम की दशा में उन भक्त सदस्यों के नाम निर्देशितों या

विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई हो तो उक्त स्कीम के संघर्ष होने लगे बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्धारितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

एस. रघुराम

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/159/डी. एल. आई./भाग-1/3545—
जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित निर्णयों ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और पकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी की अलग अंशदान या प्रीमियम की अवधि के लिए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निष्पक्ष सहवृद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शर्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित निम्नलिखित तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना के अधीन भविष्य निधि आयुक्त तत्पश्चात् ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत ठीक प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त संचालन की छूट प्रदान कर दी गई है।

अनुसूची-1

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फा० नं०
1	2	3	4	5
1.	मै० राजेण मोटर्स प्रा० लि०, ए-1, ट्रांसपोर्टनगर, जयपुर	आरजे/1682	11-3-98 से 23-6-2000	13/2/99/डीएलआई
2.	मै० सोना डिस्टिलरीज लि०, 201-202, एम०आई०ए०, अजमेर	आरजे/2902	1-12-89 से 30-11-92 1-12-92 से 30-11-95 1-12-95 से 30-11-98 1-12-98 से 23-6-2000	13/10/99

1	2	3	4	5
3.	मै० होटल आर्य निवाण अम्बर सिनेमा के पीछे, संगार चन्द्र रोड, जयपुर ।	आर० जे०/4905	1-11-97 से 23-6-2000	13/3/99
4.	मै० हिन्दुस्तान इण्डस्ट्रीज, 20, इन्डस्ट्रियल एरिया, झोटवाड़ा, जयपुर ।	आर० जे०/5213	1-3-99 से 23-6-2000	13/17/99
5.	मै० राजेश कोज विल्डर्स 9 कि० मी० आगरा रोड, जामडोली, जयपुर ।	आर० जे०/5576	1-3-98 से 23-6-2000	13/4/99
6.	मै० किट प्लाई इन्डस्ट्रीज लि०, न्यू भडावा हाऊस संगार चन्द्र रोड, जयपुर ।	आर० जे०/6051	1-3-96 से 28-2-99 1-3-99 से 23-6-2000	13/12/99
7.	मै० आर्टिफिशियल फ्लैट मार्केट उम्मेद भवन के सामने जोधपुर ।	आर० जे०/6276	1-6-99 से 23-6-2000	13/5/99
8.	मै० लायड इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग प्रा० लि०, ए-146, बी०बी० थियो इण्ड० एरिया भिवाड़ी, अलवर ।	आर० जे०/6288	1-12-97 से 23-6-2000	13/11/99
9.	मै० विजय सोलनेक्स लि०, भगवती मदन स्वामी दयानन्द मार्ग, अलवर ।	आर० जे०/6318	1-3-97 से 23-6-2000	13/22/2000
10.	मै० सूरज सार्वभौम प्रा० लि०, मकराना रोड, मदनगंज, किशनगढ़ ।	आर० जे०/6822	1-11-97 से 23-6-2000	13/25/2000
11.	मै० गंगानगर को० ओप० काटन काम्पलेक्स लि०, रिको औद्योगिक क्षेत्र, पो० ओ० बी० नं० 96, उद्योग विहार, श्री गंगानगर ।	आर० जे०/7214	1-2-96 से 31-1-99 1-2-99 से 23-6-2000	13/18/99
12.	मै० नक्सेज सिक्युरिटी सर्विसेज (प्रा०) लि०, एफ-15-बी मधुवन कालोनी टोक रोड, जयपुर ।	आर० जे०/7972	1-3-98 से 23-6-2000	13/6/99
13.	मै० जालौर नागरिक सहकारी बैंक लि०, जालौर ।	आर० जे०/8195	1-12-97 से 23-6-2000	13/19/99
14.	मै० मधुसदन इण्डस्ट्रीज लि०, 149, रिको इण्डस्ट्रीज एरिया निम्बाहेडा तिसोड़गढ़ (राज०) ।	आर० जे०/8196	1-3-97 से 23-6-2000	13/7/99
15.	मै० रोहित मिथेटीक्स मिल्स प्रा० लि०, नागोडा रोड, इन्डस्ट्रियल एरिया, जसोल बाडमेर, जोधपुर ।	आर० जे०/8718	1-11-97 से 23-6-2000	13/21/99
16.	मै० जे० बी० एस० फूड्स प्रोडक्ट्स प्रा० लि०, सी-393, हंस मार्ग, मालवीयनगर, जयपुर ।	आर० जे०/9000	1-3-98 से 23-6-2000	13/14/99
17.	मै० मेन्टर फार कम्युनिटी इकांती मिक्स एण्ड डेवलपमेंट कम्पनियन सोसायटी चाकुम, जयपुर ।	आर० जे०/9254	1-3-99 से 23-6-2000	13/9/99
18.	मै० रोविज वैद्यजी लि०, एस० पी० 2.3, रिको औद्योगिक क्षेत्र देवातल तारिय सोमराणा बहरीड ।	आर० जे०/9459	1-1-99 से 23-6-2000	13/26/2000

अनुसूची-1

1. उक्त स्थापना को सम्बन्ध में नियोजक (जिसके पदमातृ नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियाँ भेजना और लेखा रखना तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी स्थलों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की वहन-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अन्वाद स्थापना के सूचना पत्र पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना के भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी वास्तव आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ घटायें जायें हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों में अधिक अनुकूल हों तो उक्त स्कीम के अधीन अनुवर्त हों।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात को होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदाय

राशि से कम है तो कर्मचारी को उस वक्ता में संदाय देने में जब तक उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों को बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का अधिकार अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसकी स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय कालों में अग्रफल रह जाता है और पॉलिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की वशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दो गई हो तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन जाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हक्काय नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्पश्चात् और प्रत्येक दश में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर मुनीश्वर करेगा।

एम. रघुराम
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

नई दिल्ली-110 066, दिनांक 15 दिसम्बर 2000

भं. 2/1959/डी. एन. आई./एकजम/89/भाग-4/3570--अर्द्ध अनुसूची-1 में उल्लिखित नियंत्रणों में से (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी, भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (ब) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चीक केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात में संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोर्ट द्वारा अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय

बीमा बीमा निगम की सामूहिक बीमा योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो कि, ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्कीमों तारीखों से अधिक उपलब्ध है (जिनमें इनके पदों पर वे शामिल नहीं हुए हैं)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा की उपधारा 2 (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा आम संवलय, भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधि-पक्ष में, तथा निधि जो प्रत्येक स्थापना के साथ के सन्दर्भ दशावली में है के अनुसार से तथा संलग्न अनुसूची-2 के निर्धारित शर्तों के तहत हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों की संशोधन के प्रत्येक उक्त स्थापना के साथ 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उक्त नाम के मामले दर्शाया है।

अनुसूची-1

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता	कोट नं०	सरकारी अधिसूचना की सं० व दिनांक जिसके द्वारा छूट प्रदान/विस्तार की गई	छूट समाप्ति की तिथि	छूट विस्तार की तिथि	क्र० सं० नि० आ० की फाईल सं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै० एकजीवयूटिव इन्जी-नियर ओ० री० डिबी-जन पी०एस०ई० बी० नवा शहर, जालन्धर	पीएन/2514	2/1959/डीएलआई/एकजम 89/दि० 12-3-98	30-6-99	1-7-99 से 23-6-2000	12/160/2000 / सी-5
2.	मै० अमर माउंड इन्जी-नियरिंग कम्पनी पी० ओ० द्वारका, खुर्द बाया गोराया-144409 जालन्धर	पीएन/2668	21-3-1997	31-12-97	1-1-98 से 23-6-2000	12/4/98
3.	मै० डेली नवा जमाना एन० जी० रोड, जालन्धर सिटी	पीएन/4205	6-9-1999	31-12-98	1-1-99 से 23-6-2000	12/5/97
4.	मै० आनन्द अग्रवाल ओयल्स (प्रा०) लि० मुलतान पुर रोड गांव शेखकोट कपुरथला	पीएन/9956	3-3-1994	31-12-92	1-3-93 से 29-2-1996 1-3-96 से 28-2-99 1-2-99 से 23-6-2000	12/161/2000,
5.	मै० कस्सी इन्जीनियर कपुरथला रोड, बस्ती बाया खेल जालन्धर	पीएन/641ए	5-4-1999	28-2-98	1-3-98 से 23-6-2000	2/4476/92

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियाँ भेजना और ऐसा लेखा-जोखा रखना तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करना जो केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रसारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर संदाय करेगा जो केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाजों का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाजों का अन्तर्गत निरीक्षण प्रसारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की वह-संख्या को भाषा में उसकी मुख्य शाखा का अनुवाद स्थापना के मूख्यमहोदय पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में निर्देशित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी आवेदन आदेशक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदाय करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबंध लाभों से अधिक अनुकूल है जो उक्त स्कीम के अधीन अनुबंध है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदाय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदाय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी को डीथक राशि/नाम निर्देशनों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संश्लेषित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और उहाँ के अधीन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है वहाँ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना होस्ट-कॉल स्पष्ट करने का शुक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम को जिसे स्थापना पहले

अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारोख के भीतर जो जीवन बीमा निगम नियत कर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पॉलिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये व्यतिक्रम की दशा में उन मूल सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होने वाले बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन बाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्पराता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर निर्दिष्ट करेगा।

एस. रविराम
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

नं. 2/1959/डी. एन. आई./एचएस/अन-4/3583
—यहाँ अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोजक/प्रतिष्ठानों ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है।

बीमा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त इन बातों से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अन्य अनुदान या प्रीमियम की आवश्यकता किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिस स्थिति इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के सामान्य उल्लिखित निम्नलिखित कारणों से प्रभाव की जिस निधि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त पञ्जाब से स्कीम की धारा 28 (7) के अंतर्गत विलं प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्थापना को छूट प्रदान कर दी गई है।

अनुसूची-1

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	छूट की प्रभावी तिथि	के०म० नि०आ० फा० सं०
1.	मै० कास्टक (इंडिया) जीएफ एण्ड डम्ब स्कूल के पास, पीएन/512ए, जी० टी० रोड, जालन्धर		1-11-98 से 23-6-2000	12/153/2000/सी-5
2.	मै० इण्डो-डच मिस्टमस (इंडिया) एस० सी० ओ० 144-145, सैक्टर 34 ए, चंडीगढ़।	पी एम/14034	1-12-98 से 23-6-2000	12/155/2000
3.	मै० नाभा प्रा० लि०, ओकट्राइ पोस्ट के सामने, मण्डी गोविन्दगढ़ (सरहिन्द साइड) जी० टी० रोड	पी एन/14173	1-6-99 से 23-6-2000	12/156/2000
4.	मै० मोडर्न पब्लिशर्स एम० बी० हाउस, रेलवे रोड, जालन्धर।	पी एन/17671	1-10-97 से 23-6-2000	12/157/2000
5.	मै० सागर स्टील्स (फरनेस डिविजन) जी० टी० रोड, सरहिन्द साइड, मण्डी गोविन्दगढ़	पी एन/20344	1-5-99 से 23-6-2000	12/158/2000
6.	मै० कंसल्ट इंडस्ट्रीज 82, इण्ड० एरिया, 11, चंडीगढ़	पी एन/12038	1-1-99 से 23-6-2000	12/137/2000

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिस इस्म में इसको बर्खास्त नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की ऐसी विवरणियाँ भेजना और ऐसा जहाँ रखा गया निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करना जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-अ) के बचक के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसको उस्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का संवाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहुत नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उसे संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का नहीं है स्वस्थ है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाना है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसको वांछित आवस्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को भेजना करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबंध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुबंध है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधायक धारियों/नाम निर्देशितों की प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहाँ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना स्पष्टकरण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उभय सामूहिक बीमा स्कीम के जिसको स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि में कम हो जाए तो स्कीम को जमा नहीं है।

10. यदि किसी कारणवश उस नियम तारीख के भीतर जो बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रह जाता है और पॉलिसी को व्यंग्य होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए अपराधों की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निवृत्तियों या विभिन्न वारिसों को यदि यह छूट दी गई हो तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन जाने वाली किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निवृत्तियों/विभिन्न वारिसों की बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक वर्ष में भारतीय जीवन बीमा निगम से राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

एल. रघुराज

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

दिनांक 20 दिसम्बर 2000

सं. 2/1959/डी. एल. आई. भाग-1/3613--जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित निष्ठाकर्ताओं ने (जिसे हममें इसके

पश्चात् उक्त स्थापना =33 नया है) कतिपय परिवर्तन किए और प्रकीर्ण उपकरण अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के विवरण को निम्न प्रदान किया है। (जिसे हममें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि केंद्रीय भविष्य निधि लागू है यह बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के तर्जुमारे कोई अन्य अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक धीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी विधेय मजबूत बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है। (जिसे हममें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित धिक्की तारीख से प्रभावी जिन विधि में उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडू ने स्वीकृति की धारा 29 (7) के अन्तर्गत कील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त संमानन की छूट प्रदान कर दी गई है।

अनुसूची--1

क्र. सं.	स्थापना का नाम और पता	कोड नं.	छूट की प्रभावी तिथि	के० अ० नि० आ० की फाईल सं०
1	2	3	4	5
1.	मै० एस० आर० एल० इंजीनियरिंग कालेज एस० आर० एम० नगर कुट्टमकुलाथुर, चेन्नई, एम० जी० आर० जिला, 603203	टीएन/23901 डी	1-8-96 से 31-7-99 1-8-99 से 23-6-2000	14/861/सी-5/2000
2.	मै० सी० के० इलैक्ट्रिकल्स 4/270, ओल्ड गांधी मार्ग पुराना महाबलीपूरम मार्ग, कोट्टीबाकम बिलेज, चेन्नई-96	टीएन/22725	1-11-97 से 23-6-2000	14/862/2000
3.	मै० माइक्रो वेनोसिस मेट्रोहम लि०, 4/1, पहला एवेन्यू इन्द्रा नगर, अविथार, चेन्नई-20	टीएन/39271	1-12-99 से 23-6-2000	14/863/2000
4.	मै० 21 सैन्चुरी पैस्ट कंट्रोल सर्विस लि०, नं० 28, 18 बां एवेन्यू अणोक नगर, चेन्नई-83	टीएन/36735	1-8-99 से 23-6-2000	14/864/2000
5.	मै० अरूपकोट्टाई श्री रामाविगा रोलर फ्लोर मिल्स प्रा० लि०, टी० आर० एस० नगर, मेलाकण्डामण्यम, तिरुचेली-626129	टीएन/20517	1-9-99 से 23-6-2000	14/865/2000

1	2	3	4	5
6.	मै० टाटा जोतमन कन्ट्रोल्स प्रायोरेटिव लि०, प्लॉट नं० 2, फोर्ट सपलायर्स पार्क एम० पी० कोणल पोस्ट, चेन्नई-603204	टीएन/48579	1-3-2000 से 23-6-2000	11/866/2000
7.	मै० साइंटिफिक पब्लिसिंग सर्विस प्रा० लि०, ब्लॉक नं० 3/2, मिसरी मंजिल एलनेट टैक्नालाजी मिंटि, ताराममि, चेन्नई-600013	टीएन/4/8255	1-9-99 से 23-6-2000	14/867/2000
8.	मै० फिन्सन इलेक्ट्रिक कम्पनी प्रा० लि०, 10/2ए, टैक बैच मार्ग, नगम्बाकम, चेन्नई-34	टीएन/40411	1-2-99 से 23-6-2000	14/868/2000
9.	मै० रैबिया लैडर इन्डस्ट्रीज लि०, नं० 2, टी० एन० गुरु स्ट्रीट चौलाई, चेन्नई-112, तथा थो शाखाएं	टीएन/23791	1-11-93 से 31-10-96 1-11-96 से 31-10-99 1-11-99 से 23-6-2000	14/869/2000 डी० एल० आई०
10.	मै० दि तमिलनाडु मार्केल पोस्टल कौप० बैंक लि०, नं० 18/19, 41 जहानगिर स्ट्रीट, (दूसरी लाईन बीच) चेन्नई-600001	टीएन/4132	1-1-2000 से 23-6-2000	14/870/2000
11.	मै० जैत रबडस प्रा० लि०, प्लॉट नं० 75 एफ सिपकोट इन्डस्ट्रियल कौम्पलेक्स गुम्मीडीपोण्डी-601201	टीएन/35680	1-10-98 से 23-6-2000	14/871/2000
12.	मै० मैग्नेटैक मीटर सिस्टमस (इंडिया) लि०, दुसरी मंजिल नं० 320, अन्ता मलाई, नन्दानम चेन्नई-600035 फैक्टरी बी-169, तथा बी-170, सिपडिक इन्डस्ट्रियल स्टेट, पाण्डीचेरी-605009	टीएन/815	1-7-99 से 23-6-2000	14/873/2000
13.	मै० बी० टी० पी० इंडिया लि०, कन्सेस टावर्स दूसरी मंजिल नं० 1 रामाकृष्ण स्ट्रीट, टी० नगर चेन्नई-600017 फैक्टरी मिगा डिवाकम विलेज पोस्ट अन्तपुत्तुर, कानचिपूरम-631532	टीएन/30329	1-7-95 से 30-6-98 1-7-98 से 23-6-2000	14/874/2000
14.	मै० आई० रिमन फाऊन्डेशन (बिजय हाम्पटल) नं० 180 एन० एम० कृष्णान मलाई वादा- पाप्पानि, चेन्नई-600026	टीएन/26576	1-8-99 से 23-6-2000	14/875/2000
15.	मै० चिन्तापा कलर मैच वर्कर्स गांव, परिनाइचकलपट्टी, शिवकाशी-626123.	टीएन/10627	1-10-99 से 23-6-2000	14/876/2000

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसको पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा रखा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति को 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय, आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की वह संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम की अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना का भविष्य निधि का पक्ष में है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम दर्ज करेगा और उसकी बावत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संबत करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों में अधिक अनुकूल हों और उक्त स्कीम के अधीन अन्तर्गत है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कुछ है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिवार के रूप में दोनों राशियों को वरावर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का-युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उसी सामूहिक बीमा स्कीम के, जिस स्थापना, पहले ही अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो यह रक्ष की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस निश्चित तारीख के भीतर जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रह जाता है और पोलिसी को व्यंगस्त होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई हो तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होंगे, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाली किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हक्दार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम में बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर स्तिरिश्चत करेगा।

एस. रघुराम
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी एल. आई./भाग-1/3640--जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोजताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट विस्मय के लिए आवेदन किया है (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूँ कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम को सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस निधि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त तीमलगाडू ने स्कीम की धारा 29 (7) के अन्तर्गत छील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त मंजूरन की छूट प्रदान कर दी गई है।

अनुसूची-1

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फा० नं०
1	2	3	4	5
1.	मै० स्टाइल फास्टनर्स प्रा० लि०, बेल इन्डस्ट्रियल स्टेट पालाग्रमकुट्टई तिरुनेलवली- 627002 (ता० ना०)	टीएन/20101	1-7-92 से 30-6-95 1-7-95 से 30-6-98 1-7-98 से 30-11-2000	14/879/टीएन/2000
2.	मै० चैरान स्पिनिंग मिल मीनाकुमपट्टी, पी० ओ० काशीपालायम, घिन्दीगुल जिला-624711 (तमिलनाडू)	टीएन/24293ए	1-12-97 से 30-11-2000	14/898/2000
3.	मै० पालनिवाल मैच इन्डस्ट्रीज 43, अलुमर्युपट्टी मार्ग, थिरुथन्नाल (वाया) शिवकाशी	टीएन/20169	1-3-98 से 30-11-2000	14/899/2000
4.	मै० अन्निकेक गाधिग इन्डस्ट्रीज मल्ली, थी विल्लीपुट्टूर तालुक-626141	टीएन/20007	1-3-98 से 28-2-99	14/900/2000

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसको पदचातु नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का ऐसी विवरणियाँ भेजना और लेखा रखना तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी को प्रत्येक मास की तमामित्त के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का संवाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की वह-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुबाव स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उक्त स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत् करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपबन्ध प्राप्त बंधाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपबन्ध लाभों में सामूहिक रूप से बंधित किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबन्ध लाभों से अधिक अनुकूल हैं जो उक्त स्कीम के अधीन अनुबंध हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर उस स्कीम के अधीन संवत् राशि से कम है जो कर्मचारी की उस वक्त में तब हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के अधिक वारिश/नाम निर्देशितों के प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संवाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन की बिना नहीं किया जायेगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहाँ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना धीष्टरीकरण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के बिना स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो वह भी आ सकती है।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत हारीस के भीतर जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संवाय करने में असफल रहता है और पॉलिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निवेशकों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई हो तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होने बीमा लाभों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निवेशकों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संवाय उत्तरदायी और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर स्निधित करेगा।

एस० रघुराम

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

नई दिल्ली-110 066, दिनांक 21 दिसम्बर 2000

सं० के० ए० नि० आ० 1 (4)/के० आ०/(1885)/2000/3645—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहाँ प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियमना तथा कार्यवाहियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारों भविष्य निधि और प्रकीर्ण उद्योग प्रविनिगम, 1952 (1952 का 19) के अन्तर्गत उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें :—

क्रम सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	के०आ०/के०सी०/ 19038	मै० कुरुक्षेत्रा प्रकाशन प्रा० लि०, कान्वेंट रोड, कोचीन-682035	1-4-99
2.	के०आ०/के०के०/ 17349	मै० ए० टी० आदर्स (बस सर्विस), अरिन्यालकल हाऊस, पी०ओ० वालीयांरा, वेंगारा-676308 मालापुरम (केरल)	1-3-99
3.	के०आ०/17404/	मै० दि० पालेमाड वशीरोल्पाडाका राहुकारना संगम, पालमाड, इडाकारा, निलाम्बूर तालुक (केरल)	1-9-99
4.	के०आ०/के०के०/ 17246	मै० कैराली ट्रावेल्स, चरियामुडथ हाऊस, तिरूर तालुक, मालापुरम डि० (केरल)	1-9-98
5.	के०आ०/16462	मै० सेंट विन्सेंट डायबिटीज सेंटर, डायबिटीज रिमर्च इंस्टीट्यूट, पदम, त्रिवेन्द्रम-695004	1-11-99
6.	के०आ०/के०सी०/ 19157	मै० ए० ए० ए० टैक टर्मिनल (प्रा०) लि० गि०सी० 24/1869, मुराफ एरिया, आई० जी० रोड, डब्ल्यू आईसलैण्ड, कोचीन-3, (केरल)	1-1-2000
7.	के०आ०/के०सी०/ 19073	मै० कुयुकरम एक्सपोर्ट्स, कुयुकरल सेंटर, मामांगलम, कोची-25	1-4-99
8.	के०आ०/के०सी०/ 19071	मै० सेल मार्केटिंग प्रा० लि०, कोचीन हाऊस, 32/1746, एम०के०के० नायर, पालारीवाटम, कोची-682024	1-4-99
9.	के०आ०/के०सी०/ 19072	मै० पापुलर इन्फोटेक, कुट्टुकरल सेंटर, मामांगलम, कोचीन-682025	1-4-99
10.	के०आ०/के०सी०/ 19051	मै० सुवर्णा इंस्टीट्यूट, इडापल्ली, कोची-682024	1-11-99
11.	के०आ०/के०सी०/ 19152	मै० ए०वी०के० फाइनैसिएल एडवाइजर्स, एकत एल०/5111, जनासांकायाम कं० बिल्डिंग, ब्राडवे, कोची-31 (केरल)	1-11-99
12.	के०आ०/के०एन०/ 19114	मै० कालारीकल एन्टरप्राइजिज, जी जनाथा रोड, 9/341, अलवाये, केरल	1-12-99
13.	के०आ०/के०एन०आ०/ 18052	मै० श्रीजा ट्रांसपोर्ट, चालोड, पी०ओ० पट्टानूर, कन्नूर डि० (केरल)	1-11-99

नतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त स्थापनाओं पर उक्त या उसी प्रस्तावी नियम से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शाये गये हैं।

के० ए० द्विवेदी

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के०भ०नि०वा० 1(4) ए०पी०(1878)/2000/3663—केन्द्रीय भविष्य निधि-आयुक्त को जहाँ प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोजना तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्रम सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्यक्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	ए०पी/34100	सै० प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि०, रेन्जली बालकोटा (मण्डल), निजामाबाद डि०	1-1-2000
2.	ए०पी/34637	सै० कावेटीसमुद्रम प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-ऑप० सोसायटी लि०, कावेटीसमुद्रम (वि० एण्ड पो०) टडपाट्टी (एम) अनन्तापुर (डि०)	1-5-2000
3.	ए०पी/34613	सै० थिम्मासमुद्रम प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-ऑप० सोसायटी लि०, थिम्मासमुद्रम (विल्लेज), अनन्तापुर (डि०)	1-3-2000
4.	ए०पी/34657	सै० थिम्मापुरम प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-ऑप० सोसायटी लि०, थिम्मापुरम (वि० एण्ड पोस्ट), के० बी० पल्ली (एम), चित्तूर (डि०)	1-6-2000
5.	ए०पी/34654	सै० दि आलू प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-ऑप० क्रेडिट सोसायटी लि०, आलू विल्लेज वाडामानु-पोस्ट, नान्दीकोटकुर-मण्डल, कुरनूल-डि०	1-6-2000
6.	ए०पी/34622	सै० आगाराग प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-ऑप० सोसायटी लि०, गुड्डुपल्ली विल्लेज एण्ड पोस्ट मण्डल, चित्तूर (डि०)	1-5-2000
7.	ए०पी/34655	सै० दि काडैवाकुन्टा प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-ऑप० क्रेडिट सोसायटी लि०, कावाडैवाकुन्टा-विल्लेज, मंवालयम मण्डल, कुरनूल डि०	1-5-2000
8.	ए०पी/34619	सै० दि मंगलमपेटा प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-ऑप० सोसायटी लि०, मंगलमपेटा-517172, पुलीचेला मण्डल, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट (एपी)	1-5-2000
9.	ए०पी/34620	सै० दण्डीकुप्पम प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-ऑप० सोसायटी लि०, दण्डीकुप्पम शान्तिपुरम (एम), चित्तूर डिस्ट्रिक्ट	1-5-2000
10.	ए०पी/34651	सै० बोर्वाकल प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव सोसायटी लि०, बोर्वाकल (एम), कुरनूल डिस्ट्रिक्ट	1-6-2000
11.	ए०पी/34642	सै० दि पर्ला को-ऑपरेटिव रूरल बैंक लि०, पर्ला कल्लूर मण्डल, कुरनूल (डिस्ट्रिक्ट)	1-5-2000
12.	ए०पी/34600	सै० दि अनन्तापुर डिस्ट्रिक्ट इन्वैस्टीमेंट्स एम्पलॉईज को-ऑप० क्रेडिट सोसायटी लि०, दि कोल्ड टाउन, अनन्तापुर	1-4-2000
13.	ए०पी/34631	सै० चापिरी प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव सोसायटी लि०, चापिरी (विल्लेज), कल्याणावारी (एम), अनन्तापुर डिस्ट्रिक्ट	1-4-2000
14.	ए०पी/34656	सै० दामाजीपल्ली प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-ऑप० सोसायटी लि०, दामाजीपल्ली (विल्लेज), चैन्नैकोटापल्ली (एम), अनन्तापुर डिस्ट्रिक्ट	1-5-2000
15.	ए०पी/34623	सै० वानाबोलू प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-ऑप० सोसायटी लि०, वानाबोलू (विल्लेज), गोरान्धा (मण्डल), अनन्तापुर डिस्ट्रिक्ट	1-4-2000

1	2	3	4
16.	एपी/34647	मै० दि कमलाकर प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० सोसायटी लि०, डी० नं० 277, कमलाकर आश्रम (मण्डल), कुडप्पा (डि०)	1-5-2000
17.	एपी/34648	मै० बी० कोठापल्ली, प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० सोसायटी लि०, विल्वेज, बी० कोठापल्ली, पोस्ट : माईडीकर, खाजीपोट (एम), कुडप्पा डिस्ट्रीक्ट	1-5-2000
18.	एपी/27249	मै० कांदाकोटा, प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आ० क्रेडिट सोसायटी लि०, कांदाकोटा पेरुपुरम (एम), ईस्ट गोदावरी डि०	1-4-1995

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उक्त या उमी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी है।

के० ए० द्विवेदी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के०भ०नि०आ० 1(4) पी० (1874)/2000/3664. --केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहाँ प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोजना तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र० सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम और पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	एपी/30905	मै० ओमेगा म्यूजिक प्रा० लि० प्लॉट नं० 12 एण्ड 13, श्री दुर्गा एस्टेट्स, जीडीसेटला, हैदराबाद।	1-4-96
2.	एपी/31885	मै० दि मक्कुवा प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव-क्रेडिट सोसायटी लि०, मक्कुवा, मक्कुवा मंडल, विजियानगरम डि०	1-7-98
3.	एपी/35118	मै० ऊदुपी लंच होम, मेन रोड, तरसीपटनम, विजाग डि०	1-3-99
4.	एपी/30441	मै० विक्रमपुरम प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि०, विक्रमपुरम, विजियानगरम।	1-1-97
5.	एपी/36789	मै० पोथराकोंडा प्राइमरी एग्रीकल्चरल-को-आपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि०, पोथराकोंडा, श्रीकाकुलम डि० (एपी)	1-12-97
6.	एपी/36752	मै० सालूर को-आपरेटिव अरबन बैंक लि० सालूर, विजियानगरम डि० (एपी)	1-2-2000
7.	एपी/36744	मै० दि कोटिपम प्राइमरी एग्रीकल्चरल-को-आपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि०, कोटिपम, विजियानगरम डिस्ट्रीक्ट।	1-1-98
8.	एपी/35379	मै० माम्बाग प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि०, माम्बाग, विजियानगरम डिस्ट्रीक्ट (एपी)	1-1-99

1	2	3	4
9.	एपी/35013	मै० जय भंतोषी इंडस्ट्रीज, आलिनागरम, चिलकापालेम, श्रीकाकुलम, श्रीकाकुलम (डि०) (एपी)	1-1-89
10.	एपी/32711	मै० अम्बरलाईट पोलीमर्स (प्रा०) लि०, सर्वे नं० 231, बोलाराम (बी०) मियापुर, मेढक (डि०) एपी०	1-4-98
11.	एपी/34596	मै० नेनझागुन्टा प्राइमरी एग्रीकल्चरल को० आ०- सोसायटी लि०, नेनझागुन्टा, पकाला (एम), चिन्नूर (डि०) एपी०	1-1-2000
12.	एपी/34575	मै० कोनाकोन्डला प्राइमरी एग्रीकल्चरल को० आ०- सोसायटी लि०, कोनाकोन्डला (विल्लेज) एण्ड पोस्ट वजागकूर मंडल, अनन्तपुर डिस्ट्रिक्ट ।	1-2-2000
13.	एपी/34577	मै० मेडीगुन्वा प्राइमरी एग्रीकल्चरल को० आ०- क्रेडिट सोसायटी लि० मेडीगुन्वा (विल्लेज), आत्माकुर मंडल, अनन्तपुर डिस्ट्रिक्ट ।	1-1-2000
14.	एपी/34379	मै० रावलुविकी प्राइमरी एग्रीकल्चरल को० आ०- क्रेडिट सोसायटी लि०, रावलुविकी (विल्लेज), पेडावाडूगुरू मंडल, अनन्तपुर डिस्ट्रिक्ट ।	1-3-99
15.	एपी/34615	मै० दि पेडाकोप्पलार् प्राइमरी एग्रीकल्चरल को० आ०- क्रेडिट सोसायटी लि०, पेडाकोप्पलार्, कायलकुन्टल (मंडल) कुरनूल डि०,	1-4-2000
16.	एपी/34520	मै० रापुर प्राइमरी एग्रीकल्चरल को० आ०- क्रेडिट सोसायटी लि०, रापुर-नेल्लौर (डि०)	1-6-99
17.	एपी/30805	मै० सिवा इलेक्ट्रीकलस, सर्वे नं० 10-17, फातेनगर, हैदराबाद-11.	1-1-97
18.	एपी/34593	मै० दि नागासमुद्रम प्राइमरी एग्रीकल्चरल को० आ०- सोसायटी लि०, नागासमुद्रम (विल्लेज), गुन्टाकल (मंडल), अनन्तपुर (डिस्ट्रिक्ट).	1-2-2000
19.	एपी/29683	मै० दि मदिरा लारजर साईज्ड को० आ०- क्रेडिट सोसायटी लि०, पी० नं० 946, मदिरा मंडल, कुरनूल डि०, ए०पी०	1-1-99
20.	एपी/29655	मै० वेंकटापुरम प्राइमरी एग्रीकल्चरल को० आ०- सोसायटी लि०, वेंकटापुरम (विल्लेज) बी० के० सांडूम (मंडल), अनन्तपुर (डिस्ट्रिक्ट),	1-11-88

1	2	3	4
21.	एपी/29598	मै० चेर्लोपल्ली प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव— क्रेडिट सोसायटी लि०, चेर्लोपल्ली (विल्लेज) पुट्टोर (मंडल), अनन्तपुर (डिस्ट्रिक्ट)	1-8-98

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उम या उसी प्रभावी तिथि में अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी है।

के० ए० द्विवेदी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के०भ०नि०आ० 1(4) एम०एच० (1879) 2000/3668—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र०सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	एमएच/41784	मै० ओक्टोपस शिपिस प्रा० लि०, बकील्स हाऊस, तीसरी मंजिल, 18वां बलाई— हस्टेट, मुम्बई-400038.	1-4-95
2.	एमएच/42163	मै० ओरनेट कंटेनर सर्विसिज, केयर/ऑफ, आई० के० मैरीन एजेंसीस(प्रा०) लि०, मैक्रीन्जी विल्लिग, फस्ट फ्लोर (रिअर) 4वां मूरजी वल्लभवाम मार्ग, बलाई हस्टेट, मुम्बई-38.	1-3-96
3.	एमएच/43278	मै० इंटरनेशनल मूवर्स, 20/21, रेक्स चैम्बर्स, बालचन्द्र हिराचन्द्र मार्ग, मुम्बई-400038.	1-4-98
4.	एमएच/43932	मै० जप हैवी लिफ्टर्स, 13, शरीफ भवन, 159, पी० डी० मेनो रोड, मुम्बई-400001.	31-10-97
5.	एमएच/43914	मै० एक्स्प्रेस रिपेयर सर्विसिज प्रा० लि०, बकील्स हाऊस, तीसरी मंजिल, 18, बलाई हस्टेट, मुम्बई-400 038.	7-8-97
6.	एमएच/40204	मै० उत्तर भारतीय श्रमजीवी सहयोगी भंडार लि०, 14-16, ओवाल्वाड़ी बजाज चैम्बर्स, विथालवाड़ी, मुम्बई-2.	1-2-94
7.	एमएच/44410	मै० साय टैंक कंट्रोल (आई) प्रा० लि०, कमानवाला चैम्बर्स, सर० पी० एम० रोड, फोर्ट, मुम्बई-400001.	1-2-2001

1	2	3	4
8.	एमएच/41533	मै० लल्लोयड्स हाऊसिंग फाईनेंस लि०, 601, रहेजा सेंटर, नारीमन प्वाइंट, मुम्बई-400 021.	2-5-95
9.	एमएच/44335	मै० निचीकेट सिक्वोरिटीज प्रा० लि०, हाजी कासम बिल्डिंग, 66, ताम्बोद लेन, मुम्बई-400 001.	27-10-99
10.	एमएच/43146	मै० अटूल एण्ड एसोसिएट्स, धन-नूर, 15, सर पी०एम० रोड, दूसरी मंजिल, फोर्ट, मुम्बई-400 001.	1- -95
11.	एमएच/44186	मै० रिफ्लेक्शन प्वाइंट कम्प्युनिकेशन प्रा० लि० माडर्न टेलरिंग कोलेज बिल्डिंग, सैन्ट्रल रेलवे स्टोर लेन, लोवर पारेल, मुम्बई-13.	1-6-98
12.	एमएच/44332	मै० एसोसिएटिड कंटेनर्स लाईन प्रा० लि०, जन मंगल, 5वां फ्लोर, 45-47, मुम्बई समाचार मार्ग, फोर्ट, मुम्बई-400 023.	1-12-99
13.	एमएच/44313	मै० ग्लोबल एन्टरप्राईजिज, 37-ए, बोम्बे टिम्बर मार्केट, सिग्नल हिल्स, एवेन्यु रिजर्वे रोड, (ईस्ट) मुम्बई-400 010.	1-1-2000
14.	एमएच/42821	मै० माईम स्टोन, 514, प्रचरता ओपेरा हाऊस, मुम्बई-400 004.	1-10-96
15.	एमएच/41460	मै० गजेश ट्रावेल्स लि०, 69, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मुम्बई-5.	1-4-94
16.	एमएच/42187	मै० दि इंडो-ईटालियन चैम्बर, आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री, 32, सुलेमान चैम्बर, 4, बैट्री स्ट्रीट, मुम्बई-400 039.	1-4-96
17.	एमएच/44296	मै० मंगल केशव एण्ड म्टाक ब्रोकर्स, 35, अम्बालाल दोषी मार्ग, फस्ट फ्लोर, मुम्बई-400 023.	1-9-99
18.	एमएच/39387	मै० रामा न्यूज प्रिंट एण्ड पेपर्स लि०, 181-बी, मेकर टावर (ई) कुड्डे परेड, मुम्बई-400 005.	1-7-93
19.	एमएच/42915	मै० स्टेलिंग फिशरीज आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज सर्विसिज प्रा० लि०, सागर प्रेम गोडाऊन, "जी" ब्लॉक, सामून डक कोलाबा, मुम्बई-400 005.	1-9-97

1	2	3	4
20.	एमएच/42869	मै० कम्बीलाईन इंडियन एजेंसीज प्रा० लि०, बी-5, आर्इओनिक लाला निगम लि०, कोलाबा, मुम्बई-400 005.	1-12-96
21.	एमएच/39596	मै० सगनीत कम्प्यूटर्स प्रा० लि०, (इन्कलुडिंग मै० एक्सेस सिस्टम्स), बी० एम० पी० बिस्मिग, 12वां फ्लोर, एन० ए०, सावन्त मार्ग, कोलाबा, मुम्बई-400 005.	1-8-92
22.	एमएच/42766	मै० बीपिन चन्द्रा एण्ड कम्पनी 1010, प्रसाद चैम्बर्स, ओपेरा हाउस, मुम्बई-400004.	1-6-97
23.	एमएच/44275	मै० इंटर टेक सिस्टम्स प्रा० लि० यूनिट नं० 181-बी, एस० डी० एफ०-IV (फेस-1) सीप्ल, अंधेरी (ई) मुम्बई-400 096.	1-1-2000

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी है।

के० ए० द्विवेदी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० 2/1959/डी. एल. आई./एकजम/89/भाग-2/
3742—अनुसूची-1 में उल्लिखित नियुक्तियों ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है। जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अवधि की बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976

के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है। जिसमें इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं० तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 के निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आग 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जिस कि अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है।

अनुसूची-1

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	सरकारी अधिसूचना की सं० व दिनांक जिसके द्वारा छूट प्रदान/विस्तार की गई	छूट समाप्ति की तिथि	छूट/विस्तार की तिथि	के० भ० नि० अ० की फाईल सं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै० कम्बीलाईन इंडियन एजेंसीज प्रा० लि०, बी-5, आर्इओनिक लाला निगम लि०, कोलाबा, मुम्बई-400 005.	टीएच/153	2/1959/डीएलआई/एकजम/ वि० 14-11-97	31-10-95	1-11-95 से 31-10-98 1-11-98 से	2/2920/90/ डीएलआई

1	2	3	4	5	6	7
2.	मै० अरासन टैक्सटाईल्स टीएन/10697 प्रा० लि० 1/1, साउथ काटन मार्ग टूटिकोरिन-628001	13-5-94		31-3-93	1-4-93 से 31-8-96 1-4-96 से 31-3-99 1-4-99 से 23-6-2000	2/3305/90
3.	मै० इन वी वी० हर्ले- कटाराड्स 18, इण्डस्ट्रियल स्टेट एस० विल्हालामपट्टी, कथर 639004	टीएन/27644	19-3-90	29-2-2000	1-3-2000 से 23-6-2000	14/203/96
4.	मै० कृष्णा इंजीनियरिंग कं० प्रा० लि०, डी-1, गेल एन्सीलरी इण्डस्ट्रियल स्टेट, थिरुवनुम्बूर, त्रिची-14	टीएन/8269	9-2-2000	16-3-99	17-3-99 से 23-6-2000	2/2004/84
5.	मै० दि निलभास कोप० इन्टरप्राइजेज लि०, चारिंग क्रॉस, उकमामण्डलम-643001	टीएन/6879	21-6-99	30-9-99	1-10-99 से 23-6-2000	2/1891/89
6.	मै० चिदम्बरम सर्वोदया संघ, 19, साउथ कार- सेट चिदम्बरम-608001 तथा इसकी शाखाएं	टीएन/2901	1-4-99	31-8-99	1-9-99 से 23-6-2000	14/53/99 डी०एल०आई०
7.	मै० दि मन्नास वनस्पति लि०, पावर हाउस मार्ग, विल्लुपुर्म- 605602।	टीएन/3975	21-6-99	31-5-98	1-6-98 से 23-6-2000	2/3613/91
8.	मै० होटल सूर्या इन्टरनेशनल, 105, रेम कोर्स मार्ग, कोयम्बेटूर- 641018।	टीएन/21329	23-1-99	29-2-2000]	1-3-2000 से 23-6-2000]	2/4146/92
9.	मै० तामिलनाडू स्टेट ज ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन (डिभिजन-4) मदुरै।	टीएन/19708	28-3-2000	31-3-92	1-4-92 से 31-3-95 1-4-95 से 31-3-98 1-4-98 से 23-6-2000	2/1979/89

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के मंत्रालय में नियोजक (जिसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजना और लेखा रखना तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सूचिभाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निदिष्ट करे।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निदेश करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रदातन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभारी का संवाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाये, तब उसे संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को वह संस्था की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरंत दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम संवत् करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों के उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों के उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपान्ध लाभों में अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुभूत हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संवाय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संवाय हो तो तब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी को विधि वारिस/नाम निर्वाचिता की प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संवाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपाधियों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्ण अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है जहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना हीटबोन स्पेक्ट करने का अधिकार अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश उस नियम तारिख के भीतर बीमा निगम नियत करें प्रीमियम का संवाय करने में असफल रहता है और पालिसी को वयगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किये गये बिना किसी व्यक्तिगत की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्वाचिता या विधिक वारिसों को यदि छूट से गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होती, बीमा लाभों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हक्दार नाम निर्वाचिता/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संवाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

एस. खराम
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

म. 2/1959/अ. एन. आइ. /एन. जग/89/भाग-2/3763
जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोजताओं ने (जिसमें इसमें उनके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है। जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अन्य अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी विशेष सहवृद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसमें इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा आम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना में तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 के निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने स्कीम के सभी उपबन्धों के संवादन में प्रत्येक उक्त स्थापना के आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नामों के सामने दर्शाया है।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना सीट-कॉण स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करेगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जो जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पॉलिसी को अयोग्य होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्ययक्रम की दशा में उन सब सदस्यों के नाम निदेशितों या विधिक तारियों को यदि यह छूट दी गई हो तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होने वाली लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निदेशितों/विधिक तारियों की हीमाकृत राशि का संदाय सत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से हीमाकृत राशि सत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से हीमाकृत राशि प्राप्त होने को एक माह के भीतर मॉनिटरिंग करेगा।

एस्. रघुराम
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त
अनुसूची-1

दिनांक 4 जनवरी 2001

मं. 2/1959/डी. एल. आई./एलएम/89/भाग-1/3778
—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोजताओं ने (जिस इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा की उपधारा 2(ख) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है।

क्षेत्रीय केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है जिसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के मामले में उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त तामिल नाडु ने स्कीम की धारा 28 (7) के अन्तर्गत हील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त संचालन की छूट प्रदान कर दी गई है।

क्र०सं० स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	छूट की प्रभावी तिथि	के०भ नि०आ०फा० नं०
1. मै० स्टेडर्ड फायर वर्क्स लि०। सप्टेंट एगस फैक्टरी, विश्वनाथम शिवकाशी (वाया)	टीएन०/5438	1-3-2000 से 23-6-2000	14-891/2000 डीएलआई
2. मै० स्टेडर्ड पेपर कस्टेनर्स प्रा० लि०, के-9 कोप, इन्डस्ट्रियल शिवकाशी (पश्चिम)	टीएन/7653	1-3-2000 से 23-6-2000	14/892/2000
3. मै० स्टैंडर्ड फायर वर्क्स लि०, चक्काराम फैक्टरी (विश्वनाथम, (वाया) शिवकाशी	टीएन/5424	1-3-2000 से 23-6-2000	14/893/2000
4. मै० जिवना स्कूलस, पीनसामि जयनगर, मदुरै-625010	टी एन/24465	1-2-99 से 23-6-2000	14/894/2000
5. मै० राजारथिनाम फायर वर्क्स इन्डस्ट्रीज को० युनिट, 8/115, तथा ईकारानपट्टी मार्ग, मेला अमाधुर (वाया) शिवकाशी	टीएन/20004	1-3-2000 से 23-6-2000	14/895/2000
6. मै० दि जमामाईन माधिस वर्क्स 8-डी-4 चैयर मैन पी०के० एस०ए०ए० मार्ग, शिवकाशी-626123	टी एन/9937	1-3-2000 से 23-6-2000	14/896/2000
7. मै० कल्लुक्कुरियो कोप० गूगर मिहस लि०, कुञ्जारापल्लम-606207 जिला विल्हूपुर्म	टीएन/6139-बी 23-6-2000	1-12-98 से	14/897/2000

अनुसूची-1

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिस इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियाँ भेजना और ऐसा भेजा-जोखा रखना तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सूचिपत्र प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मध्य बातों का अन्वाद्य स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाना है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी कानूनी आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अमूल्य हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुशेष हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संवेद्य राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संवेद्य हो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिवक वारिसों/नाम निर्वीणतों को प्रतिफल के रूप में दोनों राशियों के अन्तर के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संशोधन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, अथवा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का दायित्वपूर्ण आग्रह देगा।

अनुसूची-1

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड सं०	छूट की प्रभावशील तिथि	कै० भ० नि० आ० फा० सं०
1	2	3	4	5
1.	सै० जयपुर रोलर फ्लोर मिल (प्रा०) लि० 206, इण्ड० एरिया ओटवाडा जयपुर	आरजे/4604	1-9-97 से 23-6-2000	13/98/2000/सी-5

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिस स्थापना पहले ही अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो छूट की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जो जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गये व्ययों की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्वीणतों या विधिवक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हक्काार नाम निर्वीणतों/विधिवक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम में बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सूचित करेगा।

स्वागता राय
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/जी. एन. आई./भाग-1/3792—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोजकों ने (जिस इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है।

किन्तु केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदाय या प्रीमियम की अवधारणा किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहवचन बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अमूल्य है (जिसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के मामले में उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान ने स्कीम की धारा 28 (7) के अन्तर्गत वही प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त संशोधन की छूट प्रदान कर दी गई है।

1	2	3	4	5
2.	मै० लोहा प्रमर्त (प्रा०) लि० 9-11, इण्ड० स्टेट, माखपुरा अजमेर	आर जे/5030	1-7-95 से 30-6-98	13-99/2000
3.	मै० रोज मार्बल लि० एम० पी० आई० उद्योग विहार, मुखेर इण्ड० एरिया उदयपुर	आर जे/7130	1-8-98 से 23-6-2000	13/100/2000
4.	मै० रामकुमार टैक्सटाईल प्रा० लि० शाहपुरा बीराहा माडल भीलवाडा	आर जे/9065	1-2-98 से 23-6-2000	13/101/2000
5.	मै० रिलायन्स रिफ़िक्टीव प्रा० लि० 119 सुभाषनगर एक्सटेशन यू आई टी के सामने भीलवाडा	आर जे/9076	1-7-99 से 23-6-2000	13/102/2000
6.	मै० हैप्पी होम सैकण्डरी स्कूल सी-191, प्रताप नगर, उदयपुर	आर जे/7595	1-3-98 से 23-6-2000	13/103/2000
7.	मै० के० एस० कासं लि०, नेशनल मोटर्स बिल्डिंग, एम० आई० रोड, जयपुर	आर जे/9524	1-10-99 से 23-6-2000	13/104/2000

अनुसूची-1

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को अपनी विवरणियाँ भेजना और ऐसा लेखा रखना तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निदिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड में अधीन समय-समय पर निदिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों को प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जावेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जावे, तब उसे संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को दृष्ट-संस्था की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के मूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहलू ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में अपना नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी याकत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदाय करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों का उपलब्ध लाभ बढ़ाया जावे तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप में वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अन्तर्गत हो तो उक्त स्कीम के अधीन अन्तर्गत है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदाय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संबंध्य होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधि वारिस/नाम निर्देशितों की प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अन्तर के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहाँ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहलू अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि में कम हो जाने को रद्द करी जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश उस नियम तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रह जाता है और पात्रता को व्यंग्यत होने दिया जाता है तो छूट रद्द करी जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्ययों की दशा में उन पत्र राशियों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को भविष्य छूट दी गई है तो उक्त स्कीम के सम्बन्धित बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक को रहेगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक उस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की भ्रष्ट करने पर उसको एकत्र नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को वीर्यक राशि का संदाय व्यवस्था में और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम में वीर्यक राशि प्राप्त होने के एक मास के भीतर गनिमिष्ठ करेगा।

एम. गणेश

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

**RESERVE BANK OF INDIA
CENTRAL OFFICE
DEPARTMENT OF BANKING OPERATIONS
& DEVELOPMENT
WORLD TRADE CENTRE-I**

Mumbai-400005, the 16th February 2001

No. DBOD No. BC. 77/12-01-001/2000-01—In exercise of the powers conferred by the proviso to Sub-section (1) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and in supersession of its Notification DBOD No. BC 07/12-01-001/2000-01 dated July 21, 2000 the Reserve Bank of India hereby specifies that the average Cash Reserve Ratio (CRR) required to be maintained by Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) shall, from effective dates mentioned below, be at the percentage points as indicated thereagainst.

Effective date (i.e. the fortnight beginning from)	CRR on net demand and time liabilities (per cent)
February 24, 2001	8.25
March 10, 2001	8.00

P. R. GOPALA RAO,
Executive Director

**STATE BANK OF INDIA
ASSOCIATES & SUBSIDIARIES GROUP**

Mumbai, the 22nd February 2001

In terms of Section 29(1) of State Bank of India (Subsidiary Banks) Act 1959, the State Bank of India, after consulting the Board of Directors of State Bank of Patiala and with the approval of the Reserve Bank of India, have appointed Shri A. K. Purwar as Managing Director of State Bank of Patiala for a period of three years w.o.f. the date he assumes charge.

JANKI BALLABH,
Chairman

**BANK OF MAHARASHTRA
Pune-411005, the 7th February 2001**

No. AXI/ST/OSR/926/2001—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Banking Companies (Acquisition & transfer of undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) the Board of Bank of Maharashtra in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend Bank of Maharashtra Officer Employees (Conduct) Regulations, 1976 namely :—

1. (i) These regulations may be called the Bank of Maharashtra Employees (Conduct) Regulations, 2000.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the "Official Gazette".

2. In the Bank of Maharashtra Employees (Conduct) Regulations, 1976—

(i) in regulation 3, for sub-regulation (1), the following shall be substituted, namely :—

"(i) Every officer employee shall, at all times take all possible steps to ensure and protect the interests of the Bank and discharge his duties with utmost integrity, honesty, devotion and diligence and do nothing which is unbecoming of an officer employee."

(ii) in regulation 3, after sub regulation (3), the following shall be inserted, namely:—

"Provided wherever such directions are oral in nature the same shall be confirmed in writing by his superior official."

(iii) In regulation 6, in sub-regulation (1), for the existing proviso, the following shall be substituted, namely :—

"Provided that an officer employee may, without such sanction undertake honorary work of a social or charitable nature or occasional work of a literary, artistic, scientific, professional, cultural, educational, religious or social character, subject to the condition that his official duties do not thereby suffer but he shall not undertake or shall discontinue such work if so directed by the competent authority after recording reasons for the same."

(iv) in regulation 6, for sub-regulation (4), the following shall be substituted, namely :—

"(4) No officer employee shall accept any payment, in the form of fee, remuneration, honorarium and the like in cash or kind for any work done by him for any public body or any private person without the sanction of the competent authority."

R. N. TAWADE,
Dy. General Manager
(Personnel)

**ALLAHABAD BANK
HEAD OFFICE (LEGAL DEPARTMENT)**

Calcutta-700001, the 22nd February 2001

No. HO/Legal/1257—With reference to the Notification No. HO/Legal/0598 dated 8th July 2000 published in the Gazette of India, Part-III, Section 4 dated 22-07-2000 at page No. 3179 & 3185 (in Hindi and English respectively), the following corrigendum has been made by the Competent Authority of Allahabad Bank in consultation with and under approval of the Central Govt:—

(1) The first paragraph of the said Notification is hereby substituted as under :—

“In exercise of powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) and in supersession of Allahabad Bank Officer Employees’ (Acceptance of Jobs in Private Sector Concerns after Retirement) Regulations 1980 and as amended, vide Notification HO/Legal/0285 dated 16-06-1995, the Board of Directors of Allahabad Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous approval of the Central Government hereby makes the following Regulations namely” :—

R. L. BATTA,
Asstt. General Manager (Law)

EMPLOYEES’ STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 1st November 2000

No. U-16/53/98-Med. II (A.P.)—In pursuance of the Resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25-4-1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation 1950 and such powers having further delegated to me vide Director General’s Order No. 1024 (G) dated 23-5-1983, I hereby authorised Dr. M. Shyam Sunder to function as Medical authority for Hyderabad centre for the period of 17-1-2000 to 16-1-2001 at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. date of joining for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, and areas to be allocated by Regional Dy. Medical Commissioner (SEZ) for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

DR. (MRS.) S. SINGH
Medical Commissioner

New Delhi, the 11th December 2000

No. N-15/13/6/1/89-P & D—In pursuance of powers conferred by Section 46 (2) of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees’ State Insurance (General) Regulations, 1950 the Director General has fixed the 1st December, 2000 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Kerala Employees’ State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957, shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely

“The areas within the Revenue Villages of Puthur, Koipady, Edanad and Kannur in Taluk and District Kasargode.”

R. C. SHARMA
Dy. Director (P & D)

No. N-15/13/1/23/99-P & D—In pursuance of powers conferred by Section 46 (2) of the Employees’ State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read

with Regulation 95-A of the Employees’ State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st January, 2001 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andhra Pradesh Employees’ State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh namely

“All the areas falling within the Revenue Villages of Shamshabad, Maqtha Bahadur Ali, Kothwalguda, Langarguda, Golkonda Khurd, Golkonda Kalan, Bahadurguda, Sayedguda, Sangiguda, Golapally Kalan, Gollapally Khurd, Shahazadi Begum, Cherlaguda, Hamcedullanagar, Shankrapur, Pos-hettiguda, Rasheseguda, Peddashapur, Gandiguda, Ghasimiyaguda, Tondupally, Ootpally, Kishanguda, Devathala, Bowli, Harriguda, Narkoda, Ammapally, Chowderguda and Pashambanda in Shamshabad Mandal in Rangaroddy District.”

R. C. SHARMA
Dy. Director (P&D)

The 13th December 2000

No. N-15/13/11/2/96-P & D—In pursuance of powers conferred by Section 46 (2) of the Employees’ State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees’ State Insurance (General) Regulations, 1950 the Director General has fixed the 1st August, 2000 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Punjab Employees’ State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955, shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Punjab namely :

Sr. No.	Name of Revenue Village	Had Bast No.	Teksil	District
1.	Singriwala	245	Hoshiarpur	Hoshiarpur
2.	Chak Gujran	234	Hoshiarpur	Hoshiarpur
3.	Nasrula	235	Hoshiarpur	Hoshiarpur
4.	Piplaanwala	246	Hoshiarpur	Hoshiarpur
5.	Mandiala	204	Hoshiarpur	Hoshiarpur

R. C. SHARMA
Dy. Director (P&D)

New Delhi, the 14th December 2000

No. U-16/53/99-Med. II (Kerala)—In pursuance of the Resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25-4-1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the E.S.I. (General) Regulation 1950 and such powers having further delegated to me vide Director General’s order No. 1024 (G) dated 25-5-1983, I hereby authorise the following doctors to function as Medical

authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year, or till a fulltime Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by Regional Dy. Medical Commissioner (South Zone) Bangalore for the purpose medical examination of the insured persons and grant of certificates is in doubt.

Sl. No.	Name of Doctor	Period	Name of Centre
1.	Dr. Santha Rajendran	01-12-2000 to 30-11-2001	Kannur
2.	Dr. V. R. Rajamma	29-12-2000 to 28-12-2001	Alleppy and Kottayam
3.	M. S. Benson	01-02-2001 to 31-01-2002	Trivendrum

Dr. (Mrs.) S. SINGH
Medical Commissioner

No. U-16/53/99-Med. II (Kerala) —In pursuance of the Resolution passed by E.S.I. Corporation at its meeting held on 25-4-1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of E.S.I. (General) Regulation 1950 and such powers having further delegated to me vide Director General's Order No. 1024 (G) dated 25-5-1983, I hereby authorise the following doctor to function as Medical authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year, or till a fulltime Medical Referee joins, whichever is earlier, for centre as stated below for areas to be allocated by Regional Dy. Medical Commissioner (South Zone) Bangalore for the purpose medical examination of the insured persons and grant of certificates is in doubt.

Name of Doctor	Period	Name of Centre
Dr. Joseph Edwin	29-12-2000 to 28-12-2001	Kollam

Dr. (Mrs.) S. SINGH
Medical Commissioner

No. U-16/53/94-Med. II (Assam)—In pursuance of the Resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25-4-1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under, Regulation 105 of the ESI (General) Regu-

lation 1950 and such powers having further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23-5-1983, I hereby authorise Dr. A. K. Barua to function as Medical authority for Assam Centre for the period of one year from 18-8-2000 to 17-8-2001 at a monthly remuneration in accordance with the norms till a fulltime Medical Referee joins, whichever is earlier, and areas to be allocated by Regional Dy. Medical Commissioner (EZ) for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

Dr. (Mrs.) S. SINGH
Medical Commissioner

New Delhi, the 14th December 2000

No. N-15/13/1/30/99-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st January, 2001 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh namely :

"The areas falling within the limits of Khammam Municipality and the revenue villages of Khanapuram(H), Ballepalli, Raghunadhapalem, Velugumatla, Dhamsalapuram, Koya Chelka, V. Venkatayapalem, Regulachelka in Khammam (U) Mandal, Gollapadu, Polcilli, Yedulapuram, Gurralapadu, Maddulapalli, Teldarpalli, Kaman-chikal, Mallemadugu, Donavaigudem, Barugudem, M. Venkatayapalem, Pallegudem, Muthagudem and Gudinal in Khammam (Rural) Mandal, Vandhanam, Basvapuram and Pandhillapalli in Chintakani Mandal of Khammam District."

R. C. SHARMA
Dy. Director (P&D)

The 20th December 2000

No. N-15/13/1/2/99-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st January, 2001 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955, shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh namely :

"The areas falling within the limits of revenue villages of Rajam, Kothavalasa, Penubdak V. R. Agraharam, Gopalapuram, Anthakapalli, Mugulivalasa and Rajayyapeta in Rajam Mandal of Sikakulam District."

R. C. SHARMA
Dy. Director (P&D)

New Delhi, the 2nd December, 2000

No. U-16/53/94-Med. II (Raj.):—In pursuance of the resolution passed by E.S.I. Corporation at its meeting held on 25-4-1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers having further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23-5-1983, I hereby authorise Dr. R.P. Gaur, PTMR to function as Medical Authority for Abu Road Centre for the period of one year at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date he resumes charges or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, and areas to be allocated by Regional Dy. Medical Commissioner (NWZ) for the purpose of medical examination of the insured

persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

DR. (MRS.) S. SINGH
Medical Commissioner

New Delhi, the 18th December, 2000

No. U-16/53/94-Med. II (Raj.):—In pursuance of the resolution passed by E.S.I. Corporation at its meeting held on 25-4-1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers having further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23-5-1983, I hereby authorise Dr. Satish Sharma, PTTMR to function as Medical Authority for Ganganagar centre for the period of one year at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date he resumes charges or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, and areas to be allocated by Regional Dy. Medical Commissioner (NWZ) for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

DR. (MRS) S. SINGH
Medical Commissioner

New Delhi, dated the 22 January, 2001

No. V-33(13)13/98-E.IV- In pursuance of Section 25 of the ESI Act, 1948 (34 of 1948) read with Regulation-10 of the ESI (General) Regulation, 1950 the Chairman, ESI Corporation hereby constitutes the Regional Board for Pondicherry State which shall consist of the following members namely :—

S. No.	Name & Designation		Under Regulation
1	2	3	4
01.	The Labour and Education Minister, Government of Pondicherry.	Chairman	Regulation 10(1)(a)
02.	The Secretary (Labour), Pondicherry.	Vice-Chairman	Regulation 10(1)(b)
03.	The Secretary (Health), Govt. of Pondicherry.	Member	Regulation 10(1)(c)
04.	The Director of Health and Family Welfare Service, Govt. of Pondicherry.	Officer Directly In-charge of the ESI Scheme— Ex-Officio-Member.	Regulation 10(1)(d)(i)
05.	The Dy. Medical Commissioner ESI Corporation, Southern Zone, Bangalore.		Regulation 10(1)(d)(ii)
06.	Thiru N. Varadharajan, I/C General Manager, M/s Swadeshi Cotton Mills, Pondicherry.	Employers' Representative	Regulation 10(1)(e)
07.	Thiru K. Varadharajan, General Manager, Sri Bharathi Mills, Pondicherry.	Employers' Additional Representative	Proviso to Regulation 10

1	2	3	4
08.	Thiru K. Rudrappasamy, General Manager, M/s Soundararaja Mills, Nedungadu, Karaikal.	Employers' Additional Representative	Proviso to Regulation 10
09.	Thiru C. Karunanithi, The Manager, M/s Karur KCP Packaging Ltd., Thattanchavady.	Employers' Additional Representative	Proviso to Regulation 10
10.	Thiru A. Dhairiyathan, President of The Zhilalar Munnetra Sangam 72, Kennedy Nagar, Pondicherry-1.	Employees' Representative	Regulation 10(1) (c)
11.	Shri V.S. Abishegam, Secretary AITUC, Pondicherry Textiles Mills, Labour Union, No. 7, Vellala Street, Pondicherry.	Employees' Additional Representative	Proviso to Regulation 10
12.	Shri Sankaran, President CITU, 238, Kamraj Salai, Pondicherry.	Employees' Additional Representative	Proviso to Regulation 10
13.	Shri Balaraja, Member, BMS State Executive, No. 8, Type-III Quarters, Jipmer Hospital Campus, Dhauvantari Nagar, Pondicherry-605 006.	Employees' Additional Representative	Proviso to Regulation 10
14.	The Regional Director, Regional Office, ESI Corporation, Chennai (Tamil Nadu).	Member-Secretary	Regulation 10(3)

SUMAN SWARUP,
Director General

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi-110066, the 28th November 2000

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION HEAD OFFICE

Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaji Cama Place
New Delhi-110066, the 29th December, 2000

No.E.III/16(20)99/WB:—In exercise of the powers conferred by Clause (a) of Sub-Section (4) of Section 17 of the EPF and MP Act, 1952, I, Ajai Singh, Central Provident Fund Commissioner hereby rescind w.e.f. 31-03-2000 the exemption granted to M/s. Agarpr Jute Mills, WB/37, Banerjee Bhawan, 15 Braborne Road, 5th Floor, Calcutta-700001 under clause (a) of Sub-Section (I) of Section 17 of EPF and MP Act, 1952 vide Notification No. E-10(19) E/A-57 dated 7/10/57 issued by the Central Provident Fund Commissioner for sufficient care which I consider appropriate according to information laid before me.

AJAI SINGH
Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt.1/3014.—WHEREAS the employer of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas, the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(A) of the Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishment in schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat from the operation of the said Scheme for a period 3 (three) years.

SCHEDULE-I

S. No.	Name & Address of the Estt.	Code No.	Effective date of exemption	C.P.F.C.'s File No.
1	2	3	4	5
01.	M/s The Gujarat Industrial Co. Op. Bank Ltd., Union Co. Op. Insurance Building, Ahsram Road, Ahmedabad-14.	GJ/4673	1-1-98 to 23-6-2000	4/217/C.V./2000
02.	M/s Delta Corporation, Bharat Bobbins Ltd., Compound Opp., Ajit Mills, Ahmedabad-380023.	GJ/6764-A	1-11-95 to 31-10-98 & 1-11-98 to 23-6-2000	4/218/C.V./2000
03.	M/s Keyur Industries, Gulab Park, S.T. Road, Sidhpur-384151 (N.G.).	GJ/10342	1-5-95 to 30-4-98 & 1-5-98 to 23-6-2000	4/219/C.V./2000
04.	M/s Kirit Enterprises, Shed No. 184, Lane No. 6, M.S.A. Vasant Odhav, Ahmedabad.	GJ/11006	1-3-97 to 29-2-2000 & 1-3-2000 & 23-6-2000	4/220/C.V./2000
05.	M/s Sarvodaya Commercial Co. Op. Bank Ltd., H.O. Post Box No. 20, Azad Chowk, Mehsana-384001.	GJ/16905	1-7-98 to 23-6-2000	4/221/C.V./2000
06.	M/s Bluebell Polymers Pvt. Ltd., 79, G.V.M.S. Audyogic Vasahat, Odhav, Ahmedabad.	GJ/17027	1-3-98 to 23-6-2000	4/222/C.V./2000
07.	M/s Shree Sainath Industries, G.D. High School Road, Saijpur Bogha, Ahmedabad.	GJ/17474	1-11-95 to 31-10-98 & 1-11-98 to 23-6-2000	4/223/C.V./2000
08.	M/s Gujarat Hotels Pvt. Ltd., Blue Hill Hotel, Nr. Pill Garden, Bhavnagar-364001.	GJ/17551	1-11-97 to 23-6-2000	4/224/C.V./2000
09.	M/s Khadi Mandir, Opp. Central Bank, Gandhi Road, Ahmedabad.	GJ/17683	1-3-94 to 29-2-97 & 1-3-97 to 29-2-2000	4/225/C.V./2000
10.	M/s Vishal Industries, 919, G.I.D.C. Chhatral-382729, Talkalot (N.G.) Dist. Mehsana.	GJ/17932-B	1-3-97 to 29-2-2000	4/226/C.V./2000
11.	M/s Precisionlap Industries, 184/1, G.V.M.S.A. Vasahat, Odhav, Ahmedabad-382410.	GJ/19174	1-3-97 to 29-2-2000	4/227/C.V./2000
12.	M/s Entrepreneurship Development Institute of India, Via, Ahmedabad, Air Port, P. O. Bhat-382428, Gandhinagar (Gujarat).	GJ/23730	1-6-98 to 23-6-2000	4/228/C.V./2000
13.	M/s Videcon International Ltd., (Television Unit), P-23 & 24, G.I.D.C. Electronics Estate, Gandhi Nagar-382044, Gujarat.	GJ/24365-A	1-9-97 to 23-6-2000	4/229/C.V./2000

1	2	3	4	5
14.	M/s. Tudor India Ltd., Prantij Factory, Plot No. 10-1, Village, Kamaulpur, Prantij-383205, Gujarat.	GJ/24467	1-5-96 to 30-4-99 & 1-5-99 to 23-6-2000	4/230/C.V./2000
15.	M/s. Sardar Dairy Ltd., State Highway Mehrana-284002.	GJ/25587	1-5-96 to 30-4-99 & 1-5-99 to 23-6-2000	4/231/C.V./2000

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of Accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, along-with translation of the salient feature thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heirs(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain point of view.

9. Therefore, any reason, the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall liable to be cancelled.

11. In case of defaults, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

S. RAGHURAM

Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/3038.—WHEREAS the employer of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh from the operation of said Scheme for a period of 3 (three) years.

SCHEDULE- I

S. No.	Name & Address of the Estt.	Code No.	Effective date of exemption.	C.P.F.Cs. File No.
1.	M/s. Suryajyothi Spinning Mills Ltd., Surya Towers, 7th Floor, 105, Sardar Patel Road, Secunderabad-500003 and alongwith its branches.	AP/27997	1-3-99 to 30-11-2000	1/166/C.V./2000
2.	M/s. Techno Systems Shed No. 33, IDA Mallapur, Hyderabad-500076.	AP/26100	1-3-94 to 28-2-97 & 1-3-97 to 29-2-2000 & 1-3-2000 to 30-11-2000	1/167/C.V./2000
3.	M.S. Vajai Electricals Patancheru (Mandal) -502329 Madak Distt. A.P.	AP/30984	1-8-97 to 31-7-2000	1/168/C.V./2000
4.	M/s. Continental Coffee Ltd., 7-1-24/2/D "Greendale" Amecerpeta, Hyderabad-500016.	AP/26108	1-3-99 to 30-11-2000	1/169/C.V./2000
5.	M/s. Laxor Dot Ltd., 3-4-380/3, Barkat Pura, Hyderabad-500027.	AP/16325	1-3-96 to 28-2-99 & 1-3-99 to 30-11-2000	1/170/C.V./2000
6.	M/s. Natco Laboratories Ltd., Natco House, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad-500033.	AP/26202	1-5-94 to 31-3-96	1/171/C.V./2000
7.	M/s. Sri Gopikrishna Parboiled Modern Rice Mills, Near Munrif Court, Miralguda-568207, Walgonda Distt.	AP/18739	1-10-96 to 30-9-99 & 1-10-99 to 30-11-2000	1/172/C.V./2000

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of Insurance premia, transfer accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient feature thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an estt. Group Insurance Scheme and pay necessary premium in exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of

the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee, his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore, any reason, the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc., within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of defaults, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heirs of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

S. RAGHURAM
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. I/3050.—V/HEREAS the employer of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2 (a) of the Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under para 28 (7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner Kerala from the operation of said Scheme for a period of 3 (three) years.

SCHEDULE-I

S.No.	Name & Address of the estt.	Code No.	Effective date of Exemption	C.P.F.C.'s File No.
1.	M/s. Indsil Electrosmelths Ltd., No. VI-679, Pallatheri Elapaully, Palakad Distt. Kerala.	KK/14659	1-9-99 to 23-6-2000	8/157/C.V./2000
2.	M/s. Kays Splces and Agro Industries Ltd., Mylapara Road, Pathanamthitta-689645.	KR/12557	1-6-96 to 31-12-98 & 1-1-99 to 23-6-2000	8/158/C.V./2000
3.	M/s. Kerala State Electronics Development Corporation Ltd., Keltron House, Vellayampalam, Trivandrum.	KR/3184	1-7-88 to 30-6-91 & 1-7-91 to 30-6-94 & 1-7-94 to 30-6-97 & 1-7-97 to 23-6-2000	8/159/C.V./2000

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the Language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of the exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to

the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

S. RAGHURAM
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/3057.—WHEREAS the employer of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section 2 (A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

AND whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each, from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R. P. F. C. Himachal Pradesh from the operation of the said Scheme for a period of 3 (three) years.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name of the Estl.	Code No.	Effective date of exemption	C.P.F.C.'s File No.
1.	M/s. Associated Cement Company Ltd., Gopal Cement Works, Barmana Bilaspur, Shimla, Himachal Pradesh	HP/10160	1-8-87 to 31-7-90 & 1-8-90 to 31-7-93 & 1-8-93 to 31-7-96 & 1-8-96 to 31-7-99	17/17/C.V./2000
2.	M/s. Auro Dying, Village Baddi, Teh., Nalagarh, Distt. Solan, H.P.	HP/18111	1-3-96 to 28-2-99 & 1-3-99 to 23-6-2000	17/16/C.V./2000
3.	M/s. The Baghat Urban Co-op. Bank Ltd., Solan, H.P.	HP/18339	1-1-99 to 23-6-2000	17/18/C.V./2000

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended along with translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore, any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc., within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of insurance benefits to the nominee(s)/Legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt or claims complete in all respect.

S. RAGHURAM
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/3064.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provision Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

AND WHEREAS the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2(A) of the Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh from the operation of the said Scheme for a period of 3 (three) years.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & Address of the Estt.	Code No.	Effective date of exemption	C.P.F.C.'s File No.
1.	M/s. Minar Marketing Pvt. Ltd., 1st Floor, 134, Chandralok Complex Secunderabad-500003	AP/18504	1-12-90 to 30-11-93	1/197/AP/2000
2.	M/s. Libra Plast Pvt. Ltd., Madikonda Warangal-506142	AP/18702	1-3-94 to 28-2-95 Switchover the w.e.f.	1/98/AP/2000 EDLI Scheme 1-3-95

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may from time to time, direct under clause (a) sub-section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended along with translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Wherever an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore, any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme

but for the grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

S. RAGHURAM

Regional Provident Fund Commissioner

New Delhi-110066, the 29th November 2000

No. 2/1959 DLI/Exemp./89/Pt. I/2070.—WHEREAS the employer of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra from the operation of the said Scheme for a period of 3 (three) years.

SCHEDULE-I

S. No.	Name of the Estt.	Code No.	Effective date of Exemption	C.P.F.C.'s File No.
1	2	3	4	5
1.	M/s. MH. Sales Corporation Phugewadi, Pune-400012.	MH/16062	1-1-90 to 31-12-1992 1-1-1993 to 31-12-1995 1-1-1996 to 31-12-1998 1-1-1999 to 23-6-2000	9/119/2000/E.D.C.1
2.	M/s. Tata Technologies (India) Ltd., Telco Training Hostel Premises, Pimpri Pune-411018, alongwith its branches.	MH/32389	1-7-1998 to 23-6-2000	9/121/2000
3.	M/s. Graphite Vicarb India Ltd., Plot No. C-7, Ambad Indri Area, Nasik-422010.	MH/23430	1-9-1992 to 31-8-1995 1-9-1995 to 31-8-1998 1-9-1998 to 23-6-2000	9/102/2000

1	2	3	4	5
4.	M/s. Mishra Chandon & Co., 29/8, Miles Stone Mouza Ruikhairi, Wardha Road, Butibori, Distt., Nagpur.	MH/61435	1-9-1998 to 23-6-2000	9/122/2000
5.	M/s. Bhima Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Mudhukasnagar, Patas-412219, Tal. Daund, Distt. Pune(MH)	MH/18302	1-2-2000 to 23-6-2000	9/123/2000
6.	M/s. Phalinar Engineering Pvt. Ltd., 427/42, Poona Small Scale Industrial Co. Op. Estate Ltd., Gultekadi, Pune-411037.	MH/12799	1-2-1990 to 31-1-1993 1-2-1993 to 31-1-1996 1-2-1996 to 31-1-1999 1-2-1999 to 23-6-2000	9/72/2000
7.	M/s. Mastel Ltd. K. C. House Bhagwe Udyog, 15-D, MIDC Centra, Road, Andheri (E) Mumbai-400096, alongwith its branches.	MH/24002A	1-6-1993 to 31-5-1996 1-6-1996 to 31-5-1999 1-6-1999 to 23-6-2000	9/124/2000
8.	M/s. Service India Pvt. Ltd., 10/11, B. U. Bhandari Indl. Estate, Sanaswadi, Pune-412208.	MH/42515	1-9-1999 to 23-6-2000	9/125/2000
9.	M/S. R.S.A. Polymers, Ranka Bhawan, 110, Dhantoli, Nagpur-440012.	MH/60136	1-6-1999 to 23-6-2000	9/120/2000
10.	M/s. Rraj Industries Ltd., Praj House, Mumbai Bangalore Highway, Opp. Hemrl Bavdhan, Pune-411021.	MH/30 378	1-4-1999 to 23-6-2000	9/127/2000
11.	M/s. Nucron Pharmaceuticals Ltd., C-7/8(2) MIDC, Bhosari, Pune-411026.	MH/21772-B	1-1-1990 to 31-12-1992 1-1-1993 to 31-12-1995 1-1-1996 to 31-12-1998, 1-1-1999 to 23-6-2000	9/128/2000
12.	M/s. Tata Technologies India Ltd., Pimpri, Pune, alongwith its branches.	MH/32389	1-7-1998 to 23-6-2000	2/129/2000
13.	M/s. Shree Vindhya Paper Mills Ltd., Somaninagar, Duskheda Bhusawal- 425203, Distt. Jalgaon (MS) alongwith its head office.	MH/35573	1-10-1992 to 30-9-1995 1-10-1995 to 30-9-1998 1-10-1998 to 23-6-12000	9/130/2000
14.	M/s. The Ahmednagar Distt. Central Co. op. Bank, Ltd., Station Road, Ahmednagar.	MH/7149	1-6-1989 to 31-5-1992 1-6-1992 to 31-5-1995 1-6-1995 to 31-5-1998 1-6-1998 to 23-6-2000	9/131/2000

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts & provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may from time to time, direct under clause (a) of Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of Insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding, anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall liable to be cancelled.

11. In case of defaults, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

S. RAGHURAM

Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/3088.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India, in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act in continuation of Government of India, the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the Provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-I

S. No.	Name and Address of the Establishment	Code No.	No. and Date of Govt. Notification vide which Exemption was granted/Extended	Date of Expiry	Period for Exemption	C.P.F.C.'s File No.
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s. People's Mobile Hospitals, Dr. Annie Basent Road, Worli, Mumbai-25.	MH/13654	2/1959/DLI/Exm./ 89/Pt. I/3154 Dated 2-12-93	31-5-93	1-6-93 to 31-5-96 1-6-96 to 31-5-99	2/5245/9/33 EDLI
2.	M/s. Garware Polyester Ltd., Garware House, 50-A, Swami Nityanand Marg, Vile Parle(E), Mumbai-57, Alongwith its branches.	MH/19336	Dated 6-11-98	31-1-99	1-2-99 to 30-11-2000	9/9/98/EDLI
3.	M/s. Insitute for Design of Electrical Measuring Instruments, Swatntryaveer, Tatyia Tope Marg, Chunabhatti Sion Marg, Mumbai-400022.	MH/13287	Dated 12-3-99	21-10-98	22-10-98 to 30-11-2000	2/902/93/ EDLI
4.	M/s. Tractor Engineers Ltd., Powai Works, Saki Vihar Road, Powai, Mumbai-400072.	MH/745	Dated 12-3-99	29-4-2000	30-4-2000 to 30-11-2000	2/284/79/ EDLI
5.	M/s. Forbes Gokak Ltd., Forbes Building, Charanjit Rai Marg, Fort, Mumbai-400001.	MH/3948	Dated 3-4-93	31-8-95	1-5-95 to 31-8-98, 1-9-98 to 30-11-2000	4031/92/ EDLI
6.	M/s. Nagar Urban Co-op. Bank, Ahmednagar, Post Box No. 7, Cetral Bank Road, Ahmednagar-414001.	MH/7148	Dated 14-8-87	16-3-90	17-3-90 to 16-3-93, 17-3-93 to 16-3-96, 17-3-96 to 16-3-99, 17-3-99 to 30-11-2000	974/83/EDLI
7.	M/s. Ewac Alloys Ltd., Saki Vihar Road, P.B. 8933, Powai, Mumbai-400072.	MH/12309	Dated 3-11-98	30-4-2000	1-5-2000 to 30-11-2000	2/288/79/ EDLI
8.	M/s. Bonafide Exporters Patwa Chambers, 5th Floor, 104/108, Liladhar Lakshmi Marg, Dana bundar, Mumbai-400009.	MH/23359	Dated 19-11-98	31-1-2000	1-2-2000 to 30-11-2000	2/4200/92/ EDLI
9.	M/s. The J. B. Vaccha High School for Parsi Girls, The Cowarjee Jehangir Primery & Inflect School, Parsi Colony, Dadar.	MH/25983	Dated 28-1-99	30-11-97	1-12-97 to 30-11-2000	9/19/98/ EDLI

1	2	3	4	5	6	7
10.	M/s. Bombay Chamber of Commerce & Industry, Machinnan Mackenzie Bldg., 3rd Floor, S. Vallabhdas Marg, Ballard Estate, Mumbai-400001.	MH/14707	Dated 4-9-92	31-1-94	1-2-94 to 31-1-97, 1-2-97 to 31-1-2000	2/4196/92/ FDLI
11.	M/s. Palam Grove Beach Hotels Ltd., Juhu Beach, Santacruz (W), Mumbai-400049.	MH/22643	Dated 6-4-93	31-7-95	1-8-95 to 31-7-98, 1-8-98 to 30-11-2000	2/4532/
12.	M/s. Ginnars & Presers Ltd., Oriental House, 7 J. Tata Road, Churchgate, Reclamation, Mumbai-400020.	MH/5205	Dated 5-1-98	31-1-99	1-2-99 to 30-11-2000	2/4051/92

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may from time to time, direct under clause (a) Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended along with translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the Employees as compensation.

13-499 GI/2000

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore any reason, the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

S. RAGHURAM
Regional Provident Fund Commissioner

New Delhi-110066, the 30th November 2000

No. 2/1959/DLI Exemp./89 Pt. I 3112.—WHEREAS the Employer of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the Said Act,

AND WHEREAS The Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said scheme),

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India, the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments, from the conditions specified in Schedule II Annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-I

S. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	No. and date of Govt. Notification vide which exemption was granted/extended	Date of expiry	Period for exemption	C.P.F.C.'s File No.
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s. Palani Andavar Mills Ltd., 236, Dhally Road, Udumalpet-642126.	TN/49	2/1959/DLI/Exem./ 89/Pt. I dt. 28-1-92	25-12-1993	26-12-1993 to 25-12-1996 & 26-12-1996 to 25-12-1999	2/1097/84
2.	M/s. The Ramaraju Surgical Cotton Mills Ltd., Rajupalayam-626117 alongwith its One Sales Depot in Chennai.	TN/183	-do- dt. 15-5-1999	28-02-1999	01-03-1999 to 30-11-2000	2/3287/90
3.	M/s. India Cements Ltd., 827, Anna Salai, Chennai-2.	TN/190A	-do- dt. 19-3-1999	31-05-1999	01-06-1999 to 30-11-2000	2/2001/89
4.	M/s. Premier Mills Ltd., P.B. No. 3766, Coimbatore-18.	TN/240	S-35014 (16)82 Pt-II dt. 5-3-83	04-03-1986	03-03-1986 to 04-03-1989 & 05-03-1989 to 04-03-1992 & 05-03-1992 to 04-03-1995 & 05-03-1995 to 04-03-1998 & 05-03-1998 to 30-11-2000	2/599/81
5.	M/s. Certh India, 181, Gunjee Street Dubraypet, Pondicherry-1.	TN/279	2/1959/DLI/Exem./ 89/Pt.-I dt. 17-12-97	28-02-1998	01-03-1998 to 30-11-2000	14/174/96
6.	M/s. Snam Alloy Pvt. Ltd., Kariamaniakam Village, Pondicherry-106.	TN/452	-do- dt. 25-5-98	31-05-1999	01-06-1999 to 30-11-2000	14/85/95
7.	M/s. Hotel Pondicherry Ashok Pvt. Ltd., Kalapet Pondicherry-14.	TN/472	-do- dt. 16-3-1999	31-07-1999	01-08-1999 to 30-11-2000	14/443/98
8.	M/s. V.S.T. Service Station (Vellore) Govt. Buildings, 144, Anna Road, Chennai-2.	TN/3045B	-do- dt. 31-1-2000	27-01-1999	28-01-1999 to 30-11-2000	2/958/83

1	2	3	4	5	6	7
9.	M/s. The Coimbatore Central Co-op. Bank Ltd., State Bank Road, Coimbatore-641018.	TN/4159	2/1959/OLI/Exem./ 89 P. & I dt. 21-6-99	31-03-1999	01-04-1999 30-11-2000	to 2/198/78
10.	M/s. Tamil Nadu State Agriculture & Rural Development Bank Ltd., No. 79, Luz Church Road, Mylapore, Chennai-600004, (alongwith its branches)	TN/4152	-do- dt. 26-10-1997	30-06-1996	01-07-1996 30-6-1999 01-07-1999 30-11-2000	to 2/73/77
11.	M/s. C. R. Narayana Road Architects and Engineers, 5, Karpagambal Nagar, Chennai-4.	TN/4433	-do- dt. 10-1-99	31-3-1999	01-04-1999 30-11-2000	to 2/2619/90
12.	M/s. Lala Gopikrishna Gokuldass Agencies, 118, Broadway, Chennai-108, alongwith its branch.	TN/2757	-do- dt. 16-02-1996	31-10-1997	01-11-1997 to 31-10-2000	2/4262/92
13.	M/s. Andavar Engineering Works, 35, 36, Cheyur Road, Avanashi-638654, Coimbatore.	TN/4663	-do- 19-05-1999	31-03-1999	01-04-1999 to 30-11-2000	2/4136/92
14.	M/s. Llyod Insulation (India) Ltd., 5A, Haddows Lane, Chennai-6 alongwith its branches.	TN/4711	-do- 13-01-2000	28-02-1999	01-03-1999 to 30-11-2000	14/191/98
15.	M/s. L.M. Van Moppes Diamond Tools India Ltd., P.B. No. 853, Hazur Gardens, Sembiam, Chennai-600011	TN/5284	Do. 26-2-97	28-2-99	1-3-99 to 30-11-2000	2/2621/90
16.	M/s. The Simpson and Group Companies Employees Co-op. Society Ltd., Desi Colony, 3rd Street, Perambur High Road, Chennai-12	TN/5740	Do. 17-12-97	31-10-96	1-11-96 to 1-11-99 1-11-99 to 30-11-2000	14/100/95
17.	M/s. The National Co-op. Sugar Mills Ltd., Mettupatti-625502, Alonganallur Via Vadipatti Taluk-Madurai Distt.	TN/5982	Do. 28-8-98	26-8-98	27-8-98 to 30-11-2000	2/877/83
18.	M/s. Trichy Distilleries & Chemicals Ltd., Senthaneerpuram, Trichy-4	TN/6019	Do. 30-9-97	31-10-99	1-11-99 to 30-11-2000	2/3610/91
19.	M/s. Sri Rangahathan Match Industries Unit-1, Sri Ramiah Buildings, 43, Main Road, Kovil Patti- 628501.	TN/6653A	Do. 1-5-98	31-3-99	1-4-99 to 30-11-2000	14/320/97
20.	M/s. Geedee Associates Pvt. Ltd., Gopal Bagh, 317, Avanashi Road, Coimbatore-18.	TN/7018	Do. 10-1-99	3-9-97	4-9-97 to 3-9-2000 & 4-9-2000 to 30-11-2000	2/399/80

1	2	3	4	5	6	7
21.	M/s. C.R. Narayana Rao (Consultant) No. 5, Karpagambal Nagar, Mylapore, Chennai-4.	TN/8338	2/1959/DLI/ Exem/89/Pt. I dt. 10-1-99	31-3-99	1-4-99 to 30-11-2000	2/2619/90
22.	M/s. The Thirubuvanam Silk Handloom Weavers Coop. Production & Sales Society Ltd., Thirubuvanam (T.N.).	TN/7825	Do. 1-5-98	30-9-99	1-10-99 to 30-11-2000	14/308/97
23.	M/s. Suja Rubber Industries Pvt. Ltd., 45, Pattamangalam Street, Mayiladthrai-609011 alongwith its Factory and Office.	TN/8827	Do. 16-2-98	29-5-2000	30-5-2000 to 30-11-2000	2/1223/85
24.	M/s. The Coimbatore Pio- neer Mill Ltd., 'B' Mills Jothipuram P.O. Coimbatore-641047.	TN/1038	Do. 3-4-93	17-11-94	18-11-94 to 17-11-97 18-11-97 to 17-11-2000	2/654/82
25.	M/s. Krishna Veni Textiles Mills P.B. 1810, Singanallur. Coimbatore-641005.	TN/1069	Do.	31-10-99	1-11-99 to 30-11-2000	2/3299/90
26.	M/s Tirupur Textiles Ltd., Unit-I, No. 1, Annupaspala- jam, P.B. No. 153, Tirupur-641603.	TN/1187	S-35014((92) 85-SS.II dt. 12-4-85	11-4-88	12-4-88 to 11-4-91 & 12-4-91 to 11-4-94 & 12-4-94 to 11-4-97 & 12-4-97 to 11-4-2000 & 12-4-2000 to 30-11-2000	2/1190/85
27.	M/s. Apple Granites Ltd., No. 1.	TN/31695	2/1959/DLI/ Exem/89. Pt. I dt. 10-11-97	31-12-98	1-1-99 to 30-11-2000	14/209/97
28.	M/s. Desk to Desk Courier & Cargo Ltd., No. 142, Valluvarkottam High Road, Chennai-600034, alongwith its branches.	TN/31651	Do. 20-5-99	31-5-99	1-6-99 to 30-11-2000	14/578/99
29.	M/s. Nachiar Engineering Works, 141, Patel Road, Coimbatore-641009	TN/21444	Do. 13-5-97	30-6-99	1-7-99 to 30-11-2000	2/4708/92
30.	M/s. Friends Metal Pvt. Ltd., B-17, 1, Main Road, Endl. Estate Chennai-18, Factory at No. 48B, Sidco Sideq Indl. Estate, Ambattur, Chennai-98.	TN/31885	Do. 26-7-99	30-11-99	1-12-99 to 30-11-2000	14/615/99

1	2	3	4	5	6	7
31.	M/s. Tamil Nadu Industrial Explosive Ltd., Tel Post, Katbadi, Vellore-59.	TN/23108	2/1959/DLI/ Exem/89/Pt. 1 dt. 7-4-99	31-3-99	1-4-99 to 30-11-2000	2/5385/93
32.	M/s. Worth Plastics, 48, New Tiruvalam Road, Katpadi, Vellore-7.	TN/23535	Do. 7-4-99	31-3-99	1-4-99 to 30-11-2000	2/4274/92
33.	M/s. MTL Instruments Ltd., No. 3, Old Mahabipuram Road, Sholingnallur Chennai-119.	TN/23722	Do. 15-5-99	30-9-99	1-10-99 to 30-11-2000	14/76/95
34.	M/s. Rose Match Pvt. Ltd., Sri Ramaiah Building, 43, Main Road, Kovilpatti- 628501.	TN/29407	Do. 1-6-98	31-3-99	1-4-99 to 30-11-2000	14/333/98
35.	M/s. Nadipisai Pulavar K.R. Ramasamy Coop. Sugar Mills Ltd., Thalainayur Ilanthipe, Mayiladuthurai-609201.	TN/27100	Do. 20-5-99	28-2-99	1-3-99 to 30-11-2000	14/489/98
36.	M/s. Avanashi Engineering Co., 24-D, Cheyur Road, Avanashi-638654.	TN/16846	Do. 7-4-99	31-3-99	1-4-99 to 30-11-2000	2/3453/91
37.	M/s. M.K.V.K. Timber and Saw Mills, Main Road, Pavoorchatram, Tirunelveli Distt.	TN/10056	Do. 31-1-2000	30-9-99	1-10-99 to 30-11-2000	2/3925/91
38.	M/s. Tirubathur Coop. Sugar Mills Ltd., Kethandapatti-635815.	TN/11146	Do. 28-2-96	31-1-96	1-2-96 to 31-1-99 & 1-2-99 to 30-11-2000	14/136/95
39.	M/s. Jai Motors Ltd., No. 10, Smith Road, Chennai-600002, alongwith its branches.	TN/11920	Do. 7-4-99	31-8-99	1-9-99 to 30-11-2000	2/2581/90
40.	M/s. S & S Power Switch Gear Ltd., 168, Mount Poonamallee Road, Chennai-116 alongwith its branches.	TN/11991	Do. 16-2-99	28-2-99	1-3-99 to 30-11-2000	2/2731/90
41.	M/s. Apex Laboratories Ltd., B-23, Sidco Pharmaceuticals Complex, Alanthur-603110.	TN/12102	Do. 16-3-99	31-8-99	1-9-99 to 30-11-2000	4/407/98
42.	M/s. Tamil Nadu Chemical Products Ltd., No. 10, Karpagambal Nagar, Mylapore, Chennai-600004 alongwith its branches.	TN/12143A	Do. 19-3-99	31-3-99	1-4-99 to 30-11-2000	2/2732/90
43.	M/s. Axels India Ltd., Singaporumal Koil Road, Sriperambudur, -Kancheepuram Distt.-602105 alongwith its office at Chennai Unit at Cheyyar.	TN/18793	Do. 7-4-99	31-8-98	1-9-98 to 30-11-2000	14/433/98

1	2	3	4	5	6	7
44.	M/s. G. D. Maidu Charities Gopal Bagh Avanshi Road, Coimbatore-641018.	TN/12166	2/1959/DLI/Exem./ 89/Pt. dt. 31-1-2000	31-05-1997	01-06-1997 to 31-05-2000 & 01-06-2000 to 30-11-2000	2/4288/92
45.	M/s. The Tirunelveli Distt. Woman Industrial Coop. Printing Press Ltd., 16-A, Salai Street, Vannarpettai, Tirunelveli-627003.	TN/11603	-do- dt. 8-10-91	31-10-93	01-11-1993 to 31-10-1996 & 01-11-1996 to 31-10-1999 & 01-11-1999 to 30-11-2000	2/3832/91
46.	M/s. Tirupur Textiles Ltd., Unit-III PB No. 153, Tirupur-641603.	TN/17530	-do- dt. 26-2-98	31-05-1999	01-06-1999 to 30-11-2000	2/3617/91
47.	M/s. Kali Composite Metals 42/6 B-3, Madras Road, Kumbakonam-612002.	TN/17782	-do- dt. 14-7-99	30-09-1999	01-10-1999 to 30-11-2000	14/204/96
48.	M/s. Kamala Traders, No. 1, Karur Road, Dindigul-1.	TN/20900	-do- dt. 17-6-99	31-12-1999	01-01-2000 to 30-11-2000	2/4226/92
49.	M/s. Universal Engineering Industries, SF-98, Palladam Road, Othakkalmandapam, Coimbatore-32.	TN/21422	-do- dt. 13-5-97	28-02-1999	01-03-1999 to 30-11-2000	2/3247/90
50.	M/s. Rukmani Offset Press, E-32, Sidco Indl. Estate, Coimbatore-641021.	TN/21153	-do- dt. 12-5-99	28-02-1999	01-03-1999 to 30-11-2000	2/4190/92
51.	M/s. Tirunelveli Sarvodaya Sangh, South Car Street, Tirunelveli-6.	TN/2901/ RI	-do- dt. 7-4-99	31-03-1999	01-04-1999 to 30-11-2000	2/5310/93
52.	M/s. The Coimbatore Dist. Coop. Milk Producers, Union Ltd., New Dairy Complex, Pachapalayam, Kalapalayam (P. O.) Coimbatore-641010.	TN/2614-A	-do- dt. 13-1-2000	31-03-1999	01-04-1999 to 30-11-2000	2/864/82
53.	M/s. VST Service Station (Cuddalore) 144, Anna Salai, Chennai-600002, alongwith its branch	TN/3045-C	-do- dt. 31-1-2000	27-1-1999	28-01-1999 to 30-11-2000	2/958/83
54.	M/s. Apan Layed Chiles Off Shore Ltd., (Janpriya Crest) No. 96, Pantheon Road, Egmore, Chennai-8, alongwith its branch	TN/30483	-do- dt. 14-1-2000	30-09-1999	01-10-1999 to 30-11-2000	14/694/99
55.	M/s. Jai Agencies, 10 and 12, Begum Sahib-II Lane, Anna Salai, Chennai-2.	TN/11914	-do- dt. 23-8-93	31-08-1996	01-09-1996 to 31-08-1999 & 01-09-1999 to 30-11-2000	2/2536/90

1	2	3	4	5	6	7
56.	M/s. The Coromandal Engineering Co. Ltd., "Parry House" 4th Floor, PB No. 1698, 43, Moore Street, Chennai-600006, alongwith its one branch	TN/11559	2/1959/DLI/ Exem/89/Pt. I dt. 12-2-96	31-05-1996	01-06-1996 to 31-08-1999 & 01-06-1999 to 30-11-2000	2/2589/90
57.	M/s. FMC Sammer Ltd., No. 147, Karapakkam Village, Chennai-600096.	TN/16411	-do- dt. 24-11-95	31-03-1996	01-04-1996 to 31-03-1999 & 01-04-1999 to 30-11-2000	2/2582/90
58.	M/s. Cortico Manufacturing (India) Pvt. Ltd. No. 105, Sidco Indl. Estate, Thirumazhisai-602107.	TN/17352	-do- dt. 23-6-93	30-06-1994	01-07-1994 to 30-06-1997 & 01-07-1997 to 30-06-2000 & 01-07-2000 to 30-11-2000	2/2632/90
59.	M/s. MRF Ltd., No. 124, Gream Road, Chennai-600006, alongwith its branches	TN/347A	-do- dt. 10-1-99	31-03-1999	01-04-1999 to 30-11-2000	14/42/95
60.	M/s. Venkatesa Agencies, 43, Chakrapani Street, Chennai-600037.	TN/5977B	-do- dt. 20-1-94	31-08-1995	01-09-1995 to 31-08-1998 & 01-09-1998 to 30-11-2000	2/2552/90
61.	M/s. General Optics (Asia) Ltd., R. S. No. 84/1, Thavalakappam, Pondicherry-605007.	TN/296	-do- dt. 23-6-1993	31-03-1995	01-04-1995 to 31-3-1998 & 01-04-1998 to 30-11-2000	2/5080/93
62.	M/s. The Pondicherry State Coop. Society Ltd., Indl. Estate, Chattanchavadi, Pondicherry-605009 alongwith its branches	TN/120	-do- dt. 12-7-1991	31-10-1992	01-11-1992 to 31-10-1995 & 01-11-1995 to 31-10-1998 & 01-11-1998 to 30-11-2000	2/3601/91
63.	M/s. The Globe Radio Co., 260, Cheranmahadevi Road, Pettai, Tirunelveli-627004.	TN/8216	-do- dt. 29-8-90	30-11-1991	01-12-1991 to 30-11-1994 & 01-12-1994 to 30-11-1997 & 01-12-1997 to 30-11-2000	2/2469/90
64.	M/s. Avant-Grade, Engineers and Consultants Pvt. Ltd., No. 58, 4th Avenue, Ashok Nagar, Chennai-600083.	TN/30794	-do- dt. 31-8-98	31-12-1999	01-01-2000 to 30-11-2000	14/360/98
65.	M/s. Thiruvattur Primary Agricultural Coop. Bank, Thiruvattur.	TN/20623	-do- dt. 18-3-99	29-02-1996	01-03-1996 to 28-02-1999 & 01-03-1999 to 30-11-2000	14/384/98
66.	M/s. R. K. Swamy BBDO Advertising Ltd., No. 604, Anna Salai, Chennai-600006, alongwith its branches	TN/10021	-do- dt. 31-8-98	30-11-1999	01-12-1999 to 30-11-2000	14/369/98

1	2	3	4	5	6	7
67.	M/s. ATL (India) Ltd., 3rd Floor, Hoddows Road, Chennai-600006, (alongwith its branches)	TN/19604	1995/DLI/ Mem /89/Pt. I dt. 13-5-1994	29-02-92	01-03-1992 to 28-02-1995 & 01-03-1995 to 28-02-1998 & 01-03-1998 to 30-11-2000	2/4886/93
68.	M/s. Ajanta Industries, 7, Madurai Road, Crawford, Trichy-620012.	TN/8001	-Do- 19-3-99	30-9-98	01-10-1998 to 30-11-2000	14/275/97
69.	M/s. Lumiere Appliances Pvt. Ltd., 364-365, Sidco Industrial Estate, Ambattur, Chennai-600098.	TN/31462	-Do- 16-3-99	30-11-99	01-12-1999 to 30-11-2000	14/440/98
70.	M/s. Parry Engineering and Exports Ltd., "Dare House" PB No. 12, No. 234, NSC Bose Road, Chennai-60001, alongwith its branches.	TN/30139	Do. 26-8-98	30-11-99	1-12-99 to 30-11-2000	14/106/95
71.	M/s. Indian Organic Chemicals Ltd., PB No. 7, Manali, Chennai-600068.	TN/9614	Do. 23-1-99	31-3-99	1-4-99 to 30-11-2000	2/4785/93
72.	M/s. Lakshmi Industrial Corporation, Super B-6, Indl. Estate, Guindy, Chennai-600032.	TN/4020	Do. 2-11-95	30-6-96	1-7-96 to 30-6-99 & 1-7-99 to 30-11-2000	14/78/95
73.	M/s. Crescent Residential Matriculation Higher Secondary School, PB No. 3, Seethakathi Estate, Fandalur, Chennai-600048.	TN/26113	Do. 18-3-99	30-9-99	1-10-99 to 30-11-2000	14/97/95
74.	M/s. Thinity Nursing House Pvt. Ltd., No. 33, Disikan Road, Alwarpet, Mylapooore, Chennai-600004.	TN/26274	Do. 17-2-96	30-6-95	1-7-95 to 30-6-98 & 1-7-98 to 30-11-2000	14/142/95
75.	M/s. Hindustan Lever Ltd., Ponds Division Pallavaram, Chennai-44, Registered Office at No. 22, Ethiraj Salai 'Fagum Mansion, 5th Floor, Egmore, Chennai-8, alongwith its branches.	TN/5394	Do. 26-10-97	31-12-97	1-1-98 to 30-11-2000	2/286/79
76.	M/s. Bharat Heavy Electricals Ltd., Thiruverumbur, Trichy-14.	TN/5249	Do. 17-6-99	23-12-98	24-12-98 to 30-11-2000	2/3/76
77.	M/s. Raja Charity Trust, 98A, Dr. Radhakrishna Road, Mylapore, Chennai-4.	TN/6300	Do. 26-10-97	29-2-96	1-3-96 to 28-2-99 & 1-3-99 to 30-11-2000	2/2812/90

1	2	3	4	5	6	7
78.	M/s. Chemfab Alkalies Ltd., Gnananda Place, Kalapet, Pondicherry-605014.	TN/277	2/1952/DLI/ Exam./89/Pt. I dt. 19-3-99	28-2-98	1-3-98 to 30-11-2000	2/2786/92
79.	M/s. Mahendra Industries, 428/2, Kalapathy Road, Coimbatore-641035.	TN/21847	Do. 1-4-99	30-11-98	1-12-98 to 30-11-2000	14/452/98
80.	M/s. Kali Steel Engineering Industries Pvt. Ltd., 42-6/B-4, Madras Road, Kumbakonam, alongwith its branch.	TN/1344	Do. 1-4-99	3-6-97	4-6-97 to 3-6-2000 4-6-2000 to 30-11-2000	2/38/76
81.	M/s. Tractor & Farm Equipment Ltd., 35, Nungam; bakkam High Road, Chennai -600034 alongwith its branches.	TN/3429	Do. 28-8-98	31-3-99	1-4-99 to 30-11-2000	2/2925/90
82.	M/s. Kumudam Publication Pvt. Ltd., 151, Purasawlkam High Road, Chennai-10.	TN/563	Do. 12-3-99	4-3-99	5-3-99 to 30-11-2000	2/1008/84
83.	M/s. Asian Peroxides Ltd., "Leevavati" Building No. 69, Armenian Street, Chennai-600001.	TN/2659	Do. 17-8-99	30-6-99	1-7-99 to 30-11-2000	14/30/95
84.	M/s. SPIC Organics Ltd., Spic Centre Annexe "7th Floor, No. 67, Anna Salai, Guindy, Chennai-600032 Factory at Mantali, Chennai- 600068, alongwith its branches.	TN/30721	Do. 28-8-98	31-8-99	1-9-99 to 30-11-2000	14/158/90
85.	M/s. Hatsun Foods Co., No. 114, Anagada Village, Chennai-600067.	TN/35803	Do. 8-8-99	31-10-99	1-11-99 to 30-11-2000	14/634/99
86.	M/s. Aqual Chemicals and Systems (Manufacturing) Ltd., No. 42, Ist Street, Kamaraj Avenue, Adyar, Chennai-20.	TN/30593	Do. 30-6-99	31-7-99	1-8-99 to 30-11-2000	14603/99
87.	M/s. SPI Ltd., SPI Centre, No. 67, Mount Road, Guindy, Chennai- 600032, alongwith its branches.	TN/10139	Do. 13-1-99	27-1-99	28-1-99 to 30-11-2000	2/271/79
88.	M/s. Indian Potash Ltd., Ambal Building, 727, Anna Salai, Chennai-600006, alongwith its branches.	TN/2840	Do. 28-8-98	28-2-99	1-3-99 to 30-11-2000	2/1779/89
89.	M/s. Procon Instrumentation Pvt. Ltd., IH Shakti Towers, No. 766, Anna Salai, Chennai-600002, alongwith its one branch.	TN/1104	Do. 26-8-98	28-2-97	1-3-97 to 29-2-2000 1-3-2000 to 30-11-2000	2/2590/90
90.	M/s. Tamil Nadu Coop. Sugar Federation Ltd., No. 474, Anna Salai, Nandanam, Chennai-600035.	TN/19996	Do. 1-6-98	31-5-99	1-6-99 to 30-11-2000	14/332/98

1	2	3	4	5	6	7
91.	M/s. Tamil Nadu Cements Corporation Ltd., No. 735, Anna Salai, Chennai-600002, alongwith its branches.	TN/11332	Do. 7-3-94	17-12-94	18-12-94 to 17-12-97 & 18-12-97 to 30-11-2000	2/762/82
92.	M/s. The Repatriates Coop. Finance and Development Bank Ltd., 33, North Usman Road, Chennai-17, alongwith its branches.	TN/9046	Do. 18-9-97	29-2-96	1-3-96 to 28-2-99 & 1-3-99 to 30-11-2000	2/2628/90
93.	M/s. T. I. Diamond Chein Ltd., PB No. 11, Ambattur, Chennai-600053, alongwith its branches.	TN/2975	Do. 10-1-99	30-6-99	1-7-99 to 3-11-2000	2/2605/89
94.	M/s. Indian Pistons Repco Ltd., 2C, Indl. Estate, Kakkalur, (TN)	TN/4924	Do. 11-11-95	31-3-96	1-4-96 to 31-3-99 & 1-4-99 to 30-11-2000	2/2620/90
95.	M/s. Mahatma Gandhi Primery Vidayalaya Tennur, Trichy-13.	TN/27714	Do. 18-3-99	28-3-99	29-3-99 to 30-11-2000	14/505/98

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government, may from time to time, direct under clause (a) sub-section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore, any reason the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

S. RAGHURAM
Regional Provident Fund Commissioner

New Delhi-110066, the 1st December 2000

No. 2/1959/DLI/Fxemp./89/Pt. 1/3219.—WHEREAS the employers of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the

nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in Schedule II Annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the Provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated is attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE—II

S. No.	Name & address of the Establishments	Code No.	No. and date of Govt. Notification vide which exemption was granted/extended	Date of expiry	Period for	C.P.F.C's File No.
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s. Express Publication (Madurai) Ltd., Express Estate, Chennai-2.	TN/565	2/1959/DLI/Exem/89/Pt. 1 dt. 16-2-99	31-03-1999	01-04-1999 to 23-06-2000	2/314/98
2.	M/s. Greaves Ltd., P. B. No. 892, Thoraipakkam, Chennai-600096.	TN/927A	-do- dt. 28-2-94	30-04-1993	01-05-1993 to 30-04-1996 & 01-05-1996 to 30-04-1999 & 01-05-1999 to 23-06-2000	2/5149/93
3.	M/s. T. Abdul Wahid A and Co., No. 26 Vepery High Road, Periamet, Chennai-600003.	TN/2215A	-do- dt. 19-3-99	31-12-1999	01-01-2000 to 23-06-2000	2/2252/90
4.	M/s. T. Abdul Wahid & Co. No. 26, Vepery High Road, Periamet, Chennai-600003.	TN/2215B	-do- dt. 19-3-99	31-12-1999	01-04-2000 to 23-06-2000	14/57/95
5.	M/s. Horti Contracts, 44-A, Kasturi Ranga Road, Alwarpet, Chennai-18.	TN/22224	-do- dt. 16-2-99	31-03-2000	01-04-2000 to 23-06-2000	2/4524/92
6.	M/s. Guindy Machine Tools Ltd., Pallikaranai, Chennai-601302.	TN/2830	-do- dt. 23-1-99	29-02-2000	01-03-2000 to 23-06-2000	2/2066/89
7.	M/s. Madras Central Coop. Bank Ltd., No. 114/1, Prakasam Salai, Chennai-8.	TN/4142	-do- dt. 31-1-96	31-03-1996	01-04-1996 to 31-03-1999 & 01-04-1999 to 23-06-2000	2/5078/94
8.	M/s. Mahendra Engineering Co., Puliakulam, Coimbatore-641045.	TN/5895	-do- dt. 19-3-99	30-11-1999	01-12-1999 to 23-06-2000	

1	2	3	4	5	6	7
9.	M/s. V.S. T. Service Station (Trichy), No. 2-D, Dindigul Road, Trichy-1.	TN/6418	2/1959/DLI/ Exem./89 Pt.-1 dt. 16-2-99	27-01-1999	28-01-1999 to 23-06-2000	2/958/93
10.	M/s. Badiga Bros & Co., Contractors for A.C.C. Ltd., Madukarai, Coimbatore-641105.	TN/8464	-do-	31-12-1999	01-01-2000 to 3-06-2000	14/438/98
11.	M/s. Associated Marketing Agencies, No. 123, Chamiers Road, Nandanam, Chennai-35.	TN/7808	-do- dt. 18-3-99	29-02-2000	01-03-2000 to 23-06-2000	14/60/95
12.	M/s. Vija Shree Spinning Mills Ltd., Trichy Road, Dindigul-624009.	TN/10484	-do- dt. 13-5-94	31-03-1996	01-04-1996 to 23-06-2000	
13.	M/s. North Chennai Coop. Wholesale Stores Ltd., No. 233/1, T. H. Road, S. V. A. Complex, Chennai-8.	TN/10604	-do- dt. 24-11-95	31-11-1996	01-12-1996 to 30-11-1999 & 01-12-1999 to 23-06-2000	14/104/95
14.	M/s. Thangamalgai and Co., No. 113, Usman Road, Chennai-17.	TN/16015	-do- dt. 4-5-98	29-02-2000	01-03-2000 to 23-06-2000	14/323/98
15.	M/s. V. R. Foundries, 46-C, P. K. D. Nagar, P. B. No. 1635, Peelamedu (P. O.), Coimbatore-641049.	TN/11075	-do- dt. 7-4-99	31-12-1999	01-01-2000 to 23-06-2000	2/4187/92
16.	M/s. Utilisation Dispensary, EID Parry India Ltd., Ranipet-632401.	TN/11083	-do- dt. 7-4-99	31-03-1999	01-04-1999 to 23-06-2000	2/4017/92
17.	M/s. American Auto Service, P. B. No. 2022, Ganapathy, Coimbatore-641006.	TN/11519	-do- dt. 23-1-99	30-09-1999	01-10-1999 to 23-06-2000	2/4857/93
18.	M/s. G. R. Thanamalgai Jewellery, No. 104, Usman Road, T. Nagar, Chennai-600017.	TN/11798	-do- dt. 4-5-98	29-02-2000	01-03-2000 to 23-06-2000	14/527/98
19.	M/s. Thangamalgai Silver Artwares, No. 104, Usman Road, T. Nagar, Chennai-17.	TN/11798-A	-do- dt. 4-5-98	29-02-2000	01-03-2000 to 23-06-2000	14/322/98
20.	M/s. G. R. Thangamalgai Pearl and Kundam Jewellery, 103/1, Usman Road, T. Nagar, Chennai-17.	TN/11798-B	-do- 1-6-98	29-2-2000	1-3-2000 to 23-6-2000	14/315/98
21.	M/s. G. R. Thangamalgai Ltd., 104, Usman Road, T. Nagar, Chennai-600017.	TN/11798-C	Do. 1-6-98	29-2-2000	1-3-2000 to 23-6-2000	14/312/97

1	2	3	4	5	6	7
22.	M/s. Fourts India Laboratories Pvt. Ltd., 9A, 5th Main Road, Bakthavatchalam Nagar, Adyar, Chennai-20.	TN/12101	2/1959/DLF/ Exem./89 Pt. 1 19-4-94	31-3-93	1-4-93 to 31-3-96 & 1-4-96 to 31-3-99 & 1-4-99 to 23-6-2000	2/3198/90
23.	M/s. Thangamaligai Trust, No. 104, Usman Road, T. Nagar, Chennai-600017.	TN/12063	Do. 4-5-98	29-2-2000	1-3-2000 to 23-6-2000	14/325/98
24.	M/s. Kali Material Handling Systems, Madras Road, Malakavari, Kumbakonam.	TN/16326	Do.	29-5-2000	30-5-2000 to 23-6-2000	2/38/76
25.	M/s. Mettupalayam Coop. Stores Ltd., KND Methupalayam-641301, Coimbatore.	TN/16911	Do.	31-8-93	1-9-93 to 31-8-96 & 1-9-96 to 31-8-99	2/18428/88
26.	M/s. Marvel Engineering Industries Ammankulam Road, P. N. Palayam, Coimbatore-641037.	TN/17016	Do. 12-3-99	30-11-99	1-12-99 to 23-6-2000	2/4725/92
27.	M/s. P. S. Power Controls, No. 53 (NP) Developed Plots Industrial Estate, Ekkattuthangal, Chennai-600097.	TN/17410	Do. 5-1-90	24-8-91	25-8-91 to 24-8-93 & 25-8-93 to 24-8-96 & 25-8-96 to 24-8-99 & 25-8-99 to 23-6-2000	2/1850/88
28.	M/s. Anabond Ltd., No. 33, 1st Avenue, Shastri Nagar, Chennai-20.	TN/17502	Do. 5-1-90	31-8-90	1-9-90 to 31-8-93 & 1-9-93 to 31-8-96 & 1-9-96 to 31-8-99 & 1-9-99 to 23-6-2000	14/842/2000
29.	M/s. Durandel Foods Pvt. Ltd., No. 71, Chettipipuniyam Village, Chengai, M.G.R. Dist.-603204.	TN/19272	Do. 23-6-93	31-8-96	1-9-95 to 31-8-98 & 1-9-98 to 23-6-2000	2/3606/92
30.	M/s. M. V. Muthiag Pillai Mariammal Matriculation Hr. Secondary School Karur Road, Dindigul-624004.	TN/20802	Do. 13-1-2000	31-3-99	1-4-99 to 23-6-2000	2/3061/93
31.	M/s. M.V.M. Muthial Pillai Mariammal Girl Higher Secondary School, Angu Nagar, Dindigul-4.	TN/20802A	Do. 10-7-91	28-2-93	1-3-93 to 29-2-96 & 1-3-96 to 28-2-99 & 1-3-99 to 23-6-2000	2/2878/90

1	2	3	4	5	6	7
32.	M/s. Rathinavel Subramaniam Polytechnic, R.V.S. Nagar, Karur Road, Dindigul-5.	TN/20889	2/ 1959/DLI/ Exem./89 Pt.-I 13-5-94	31-3-93	1-4-93 to 31-3-96 & 1-4-96 to 31-3-99 & 1-4-99 to 23-6-2000	2/2996/90
33.	M/s. Aruna Auto Castings, Sanganur Road, Ulavagam, Ganapathy, Coimbatore-641006.	TN/2144	Do. 23-1-99	30-9-99	1-10-99 to 23-6-2000	2/4713/92
34.	M/s. Roots Auto Products Pvt. Ltd., Ulavagam, Ganapathy, Coimbatore-641006.	TN/21454	Do. 23-1-99	30-9-99	1-10-99 to 23-6-2000	2/4715/92
35.	M/s. Narayan Krishna Spinning Pvt. Ltd., Dhally Road, Udmelpet-642126.	TN/21559	Do. 19-3-99	31-10-99	1-11-99 to 23-6-2000	14/241/97
36.	M/s. Roots Precision Products Ulavagam, Ganapathy, Coimbatore-641006.	TN/21474	Do. 23-1-99	30-9-99	1-10-99 to 23-6-2000	2/4714/92
37.	M/s. Sakthi Soft Drinks Ltd., 15, Sasthri Road, Coimbatore-641009.	TN/21989	Do. 3-3-98	31-8-99	1-9-99 to 23-6-2000	14/294/97
38.	M/s. Engineering Equipment Manufacture No. 142, SIDC Industrial Estate, Chennai-600098.	TN/22380	Do. 22-9-99	29-2-2000	1-3-2000 to 23-6-2000	2/2576/90
39.	M/s. Agri Horticultural Consultants, No. 10, Bawa Road, Alwarpet, Chennai-600018.	TN/22668	Do. 16-2-99	31-3-2000	1-4-2000 to 23-6-2000	2/4525/92
40.	M/s. Jothi Micro Cast Pvt. Ltd., B-22, Sastry Road, Trichy-18, alongwith its Factory.	TN/22831	Do. 19-3-99	29-2-2000	1-3-2000 to 23-6-2000	2/3914/91
41.	M/s. Trident Engineering Pvt. Ltd., No. 37, 53rd Street, Ashok Nagar, Chennai-600082.	TN/31969	Do. 31-8-98	29-2-2000	1-3-2000 to 23-6-2000	14/372/98
42.	M/s. Mahalakhmi Enterprises, No. 50/1, North Usman Road, T. Nagar, Chennai-600017, Administrative Office No. 104, Usman Road, T. Nagar, Chennai-17.	TN/26851	Do. 18-3-99	29-2-2000	1-3-2000 to 23-6-2000	14/487/98
43.	M/s. Subra Marketing Associates No. 23, Chamiers Road, Chennai-600035, alongwith its 9 branches.	TN/301350	Do. 31-8-99	31-12-99	1-1-2000 to 23-6-2000	14/381/98
44.	M/s. The Thyagaraya Nagar Coop. Bank Ltd., No. 3, Doraiswamy Road, T. Nagar, Chennai-6000177, alongwith its branches.	TN/30646	-Do- 11-3-99	30-11-99	1-12-99 to 23-6-2000	14/405/98

1	2	3	4	5	6	7
45.	M/s. Celebrity Fashions Pvt. Ltd., No. 362, IC-1A, 100 Feet By-Pass Road, Velachery, Chennai-600042.	TN/30779	2/1959/DLI/ Exem./89 Pt.-I 11-3-1999	1-3-2000	1-3-2000 to 23-6-2000	14/359/98
46.	M/s. K-7, Compating Pvt. Ltd., No. 24, North Mada Street, Sri Nagar Colony, Chennai-600015, alongwith its branches.	TN/36220	Do. 8-8-1999	29-2-2000	1-3-2000 to 23-6-2000	14/625/99
47.	M/s. Indian Additives Ltd., Manali, Chennai-600008.	TN/36423	Do. 18-3-1999	31-12-1999	1-1-2000 to 23-6-2000	14/501/98
48.	M/s. Gowri House Metal Works, P.B. No. 13, Rajapalayam-626112, alongwith its sales depot at Ernakulam.	TN/338	Do. 26-10-1997	31-3-1999	1-4-1999 to 23-6-2000	2/2236/89
49.	M/s. Gowri Sankar Serows, 4/111, Malayadipatti, Rajapalayam-626117.	TN/338A	Do. 26-10-1997	31-3-1999	1-4-1999 to 23-6-2000	2/2642/90
50.	M/s. Gowri Lakshmi Screws, 5/111, Malayadipatti, P.B. No. 93, Rajapalayam-17.	TN/338B	Do. 26-10-1997	31-3-1999	1-4-1999 to 23-6-2000	2/2641/89
51.	M/s. R.F. Ltd., Thiruvottiyur High Road, Chennai-600019.	TN/347	Do. 26-10-1999	31-1-1999	1-2-1999 to 23-6-2000	14/70/99
52.	M/s. Sheet Metal Industries Pvt. Ltd., C-12, Indl. Estate, Guindy, Chennai-32.	TN/19277	Do. 7-4-1999	29-2-2000	1-3-2000 to 23-6-2000	2/4059/92
53.	M/s. Shankar Trading Company, No. 198, Linghi Chetty Street, Chennai-600001, alongwith its branch.	TN/11198	Do. 19-3-1999	31-10-1999	1-11-1999 to 23-6-2000	2/3253/90
54.	M/s. Friens Engineering Pvt. Ltd., No. B-17, Ist Main Road, Ambattur Indl. Estate, Chennai-58, alongwith its branch.	TN/23847	Do. 8-8-1999	30-11-1999	1-12-1999 to 23-6-2000	14/630/99
55.	M/s. Four Links India Pvt. Ltd., 141, Eldams Road, Chennai-18.	TN/PC/532	Do. 8-8-1999	29-2-2000	1-3-2000 to 23-6-2000	14/444/98
56.	M/s. Celebrity Fashions Ltd., 107, A.G.S.T. Road, Chromepet, Chennai-44.	TN/361448	Do. 1-9-1998	29-2-2000	1-3-2000 to 23-6-2000	14/348/98
57.	M/s. Gaja Shoes, 79, Anna Salai Nagalkeni, Chromepet, Chennai-44.	TN/19644	Do. 26-10-1997	31-3-1996	1-4-1996 to 31-3-1999 & 1-4-1999 to 23-6-2000	2/14/95

SCHEDULE II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government, may, from time to time, direct under clause (a) Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an estt. exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding, anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee (s)/Legal heir (s) of the employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain point of view.

9. Therefore, any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee (s) legal heir (s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

S. RAGHURAM
Regional Provident Fund Commissioner

New Delhi-110066, the 4th December 2000

No. CPFC. I (4) /GI(1880)/2000/3277—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name & Address of the Estt.	Date of Coverage
1	2	3	4
1.	GJ/21480	M/s. Shri Gayatri Credit Co-op. Society Ltd., Sardar Bhavan, Main Road, B/4, Jubilee Baag, Baroda-I.	1-1-2000
2.	GJ/SRT/24224	M/s. Banas Security and Personal Force, Bharuchinaka, Mahavir Society, Nr. Jalaram Temple, Ankleshwar-393001.	1-9-1993

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

K.A. DWIVEDI
Regional Provident Fund Commissioner

No. CPFC.I(4)/AS(1881)/2000/3278—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name & Address of the Estt.	Date of Coverage
1.	AS/3585	M/s. EDUSOFT, R.P. Bezbaruah Bhavan, 3rd Floor, M.R.D. Road, Chandmari, Guwahati-3, Assam.	1-9-1999

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section I of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

K. A. DWIVEDI
Regional Provident Fund Commissioner

No. CPFC-I(4)OR(1882)/2000/3279—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :

S. No.	Code No.	Name & Address of the Estt.	Date of Coverage
1	2	3	4
1.	OR/5056	M/s. Dhenkanal Urban Co-op. Bank Ltd., Mahavir Bazar, Sri Birabar Pati, Sector 31/C, Gudiarali, Dhenkanal, Orissa.	1-5-1996

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section I of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

K. A. DWIVEDI
Regional Provident Fund Commissioner

No. CPFC-I(4)/TN(1883)/2000/3280—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner, that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the employees' Provident Fund Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name & Address of the Estt.	Date of Coverage
1	2	3	4
1.	TN/MD/42341	M/s. A. 1354 Pandalgudi Primary Agricultural Co-operative Bank, Pandalgudi-626113, Tamil Nadu.	1-2-2000

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section I of the said Act Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

K. A. DWIVEDI
Regional Provident Fund Commissioner (HQ).

No. C.P.F.C. 1. (4)MH(1870)/2000/3298—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:—

S. No.	Code No.	Name & Address of the Estt.	Date of Coverage
1	2	3	4
1.	MH/97040	M/s. Siddhesh Steel Treatment Pvt. Ltd., Plot No. R-716, Rabale, MIDC, T.T.C. Area, Navi Mumbai-400701.	1-1-1999
2.	MH/96400	M/s. Shiv Ganesh Associates, 55-3, Room No. 277, Sector-6, Kopar Khairi, Post Ghansoli, Nave Mumbai-400701.	1-5-1997
3.	MH/96969	M/s. ViewPoint Studio, A-14, Amargain Co-op. Premises Society Ltd., Opp. S. T. Workshop, Khopat, Thane-400601.	1-7-1998
4.	MH/44614	M/s. Western India Conference of Free Methodist Church, Western Express Highway Andheri (E), Mumbai-400099.	1-3-2000
5.	MH/44575	M/s. Cardoz Tours and Travels, 403, Jamali Apartment, 246, Ready Road, Mazgaon, Mumbai-400010.	1-6-2000
6.	MH/44598	M/s. Darshaw Securities Ltd., Central Bank of Building, 4th Floor, M. G. Road, Fort, Mumbai-400023.	1-10-1999
7.	MH/96093	M/s. Hareesh Enterprises, Shivaji Nagar, Room No. 1, Nerul, Navi Mumbai-400706.	1-1-1997
8.	MH/32718	M/s. Star Electrical Company J-403, M.I.D.C., Bhosari, Pune-411026.	1-4-1996
9.	MH/96621	M/s. Navbharat Motor Manufactureres Pvt. Ltd., Plot No. A-564, T. T. C. Complex, M.I.D.C., Mahape, P. O. Ghansoli, Navi Mumbai-400701.	1-1-1996
10.	MH/96120	M/s. Corpoven Polymers, 143, Shanti Industrial Estate, 1st Floor, Sarojini Naidu Road, Mulund(W), Mumbai-400080.	1-1-1997
11.	MH/96589	M/s. Industrial Canteen Contractor, 308, Shakuntala Apartment, Opp. Mental Hospital, Thane(W)-400602.	1-5-1998
12.	MH/KP/100648	M/s. Shri Hanuman Sahakari Dudh Vyavsayak Sanstha Maryadit, Pushpa Nagar, Tal. Bhudargad, Distt. Kolhapur.	1-5-2000

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

K. A. DWIVEDI
Regional Provident Fund Commissioner

No. C.P.F.C. 1(4)/AP(1871)/2000/3299—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:—

S. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of coverage
1	2	3	4
01.	AP/36020	M/s. Primary Agricultural Cooperative Society Ltd., Chintakakani, Kataram Mdl, Dist. Karimnagar (AP).	1-1-1998
02.	AP/36012	M/s. Primary Agricultural Cooperative Society Ltd., Ghambheerpur, Kathalapur, Mdl: Karimnagar (Dist.) (AP).	1-9-1999
03.	AP/35715	M/s. Primary Agricultural Co-operative Society Ltd., Medak (AP).	1-4-1996
04.	AP/31467	M/s. Primary Agricultural Co-operative Society Ltd., Muktapur, Nirmal (Mdl.), Adilabad Dist.	1-10-1999
05.	AP/31468	M/s. Primary Agricultural Co-operative Society Ltd., Koutala (K), Adilabad Dist.	1-10-1999
06.	AP/31466	M/s. Primary Agricultural Co-operative Society Ltd., Wadyal, Laxmanchanda (Mandal), Dist. Adilabad.	1-10-1999
07.	AP/36024	M/s. Primary Agricultural Co-operative Credit Society Ltd., Endapelli, Mdl ; Velgatur, Dist. Karimnagar (AP).	1-1-2000
08.	AP/35345	M/s. Primary Agricultural Co-operative Society Ltd., Velgatur, Dist. Karimnagar (AP).	1-1-2000
09.	AP/36015	M/s. Primary Agricultural Co-operative Society Ltd., Dhoolmitta, Warangal Dist. (AP).	1-3-1999
10.	AP/36037	M/s. Primary Agricultural Co-operative Society Ltd., Pathipally, Mdl ; Mulugu, Warangal Dist.	1-3-1999
11.	AP/36042	M/s. Primary Agricultural Co-operative Society Ltd., Kasimdevpet, Mulugu Mdl ; Warangal Dist. (AP).	1-3-1999
12.	AP/36027	M/s. Primary Agricultural Co-operative Society Ltd., Paidamadugu, Mdl ; Korutla, Karimnagar Dist. (AP).	1-12-1999
13.	AP/35840	M/s. Primary Agricultural Cooperative Credit Society Ltd., Raghavapuram Siddipet, Medak (Dist.) (AP).	1-12-1998
14.	AP/35865	M/s. Primary Agricultural Co-operative Credit Society Ltd., Gajwel, Medak (Dist.).	1-1-1999
15.	AP/35864	M/s. Primary Agricultural Co-operative Credit Society Ltd., Irkode, Siddipet (Mdl.), Medak Dist.	1-1-1999
16.	AP/ADB/31465	M/s. Primary Agricultural Co-operative Society Ltd., Bansapally, Dilwarpur (Mdl.), Dist. Adilabad.	1-10-1999
17.	AP/31464	M/s. Primary Agricultural Co-operative Society Ltd., Mamada (Mdl.), Dist. Adilabad (AP).	1-10-1999
18.	AP/31463	M/s. Primary Agricultural Co-operative Society Ltd., Laxmanchand, Dist. Adilabad.	1-10-1999

1	2	3	4
19.	AP/31462	M/s. Primary Agricultural Society Ltd., Manjulapur, Nirmal (Mdl.), Dist. Adilabad.	1-10-1999
20.	AP/31461	M/s. Primary Agricultural Co-operative Society Ltd., Kondapur, Nirmal (Mdl.), Adilabad (Dist.).	1-10-1999
21.	AP/31460	M/s. Primary Agricultural Co-operative Society Ltd., Ponkal, Mamda (Mdl.) Dist. Adilabad.	1-10-1999

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

K. A. DWIVEDI
Regional Provident Fund Commissioner

No. C.P.F.C. 1(4)MH(872)/2000/3300.—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the Employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage
1	2	3	4
01.	MH/41374	M/s. Anusaya Air and Sea Clearing Agency 27, Kumpta Street I.D. Mello Road, Mumbai-400038.	1-7-1995
02.	MH/42616	M/s. Live Wel Aviation Services, 9, Narayan Udyog Bhavan, Lal Baug Industrial Estate, Dr. Ambedkar Road, Mumbai-400012.	1-1-1997
03.	MH/38343	M/s. Loba Chemie Industrial Company, 78/80, Babu Gemi Road, Mumbai-400002.	1-12-1990
04.	MH/39071	M/s. Shree Gadge Maharaj Mission Vidyarthi Bhavan, Tribhuvan Road, Mumbai-400004.	1-4-1991
05.	MH/51514	M/s. Vijay Communication, 26, Guruashish, Canada Corner, Nasik-2.	1-5-2000
06.	MH/42710	M/s. Oceanic Lines Ltd., 2, Vyapar Bhavan, 370, N.N. Street, Mumbai-9.	1-4-1997
07.	MH/40179	M/s. Pushpanjali Cooperative Credit Society Ltd., 26, Old Flower Lane, Bhuleshwar, Mumbai-400002.	1-6-1994
08.	MH/41589	M/s. Freight Systems (I) Pvt. Ltd., 402, Emca House, 289, SBS Road, Fort, Mumbai-400023.	1-1-1996

1	2	3	4
09.	MH/41268	M/s. Bombay Pharma Products, 45, Mittal Chambers, 4th Floor, Nariman Point, Mumbai-400021.	1-8-1995
10.	MH/40606	M/s. E.L. Dorado Gurantee Ltd., 507, Vardhaman Chambers, 17/G, Caswasji Patel Street, Fort, Mumbai-400001.	1-10-1994
11.	MH/41453	M/s. Sky High, 162/10, Mody Street, 3rd Floor, Fort, Mumbai-400001.	1-11-1995
12.	MH/42164	M/s. V. and S Clearing Agency, 29, Ren Chambers, Wal Chand Hira Chand Marg, Mumbai-400038.	1-4-1995
13.	MH/41772	M/s. Exima Enterprises, 203, M.K. Bhavan, 2nd Floor, 300, Shahid Bhagat Singh Road, Fort, Mumbai-400001.	1-4-1995
14.	MH/PNE/32672	M/s Modular Innovators Pvt. Ltd., No. 26, First Floor, Electronic Estate, Pune Satara Road, Pune-9.	1-7-1996
15.	MH/96737	M/s. Zebra Weblift Pvt. Ltd., R-520, TTC Indl. Area, Thane, Belapur Road, Navi Mumbai-400701.	1-4-1998
16.	MH/42536	M/s. Jalaram Petro-Chem, B-161, 16th Floor, Chinar, R.A. Kidwai Road, Wadala (W), Mumbai-400031.	1-4-1996
17.	MH/40965	M/s. D.M. Pakttwala, Benjoseph House, Baburao Paralekar Marg, Off. Bhavani Shankar Road, Dadar, Mumbai-400028.	1-4-1995

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner, hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

K. A. DWIVEDI
Regional Provident Fund Commissioner (HQ)

No. C.P.F.C. 1(4)/MA/(1884)/2000/3301—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage
01.	MH/44588	M/s. Pushpa Polymer Marketing (P) Ltd., 206B, Trade Corner, S.V. Road, Sakinaka, Mumbai-72.	1-7-1998
02.	MH/44585	M/s. Young Associates, 103, Vasan Udyog Bhavan, Opp. Tulsi Pipe Road, Lower Parol, Mumbai-400013.	1-2-2000
03.	MH/96378	M/s. Mona Travels, Shop No. 1, Sai Niwas, Near Hanuman Temple, Belapur Road, Navi Mumbai-400708.	1-10-1997
04.	MH/96077	M/s. Ujwal Enterprises, B-3/16/314, Sector 4, Vashi, New Bombay-400703.	1-1-1997
05.	MH/96835	M/s. Shri Saisiddhi Canteen, At Sonari, P.O. Jaskhar, Tal : Urban Distt. Raigad.	1-12-1998
06.	MH/KP/100627	M/s. Hotel Mayur Palace, Near I.B.P. Pump, Kagar, Distt. Kolhapur, Mumbai.	1-2-2000
07.	MH/KP/100583	M/s. Shri Laxmi Sahakari Bank Ltd., A/P-Mhaisai, Tal. Miraj, Distt. Sangli.	1-1-2000

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishment.

K. A. DWIVEDI
Regional Provident Fund Commissioner (HQ.)

No. C.P.F.C.1 (4)KN(1875)/2001/3302.—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage
1.	KN/23785	M/s. Threed Gauge Products (P) Ltd., No. 15, Bammanahalli, Madiwala, Bangalore-68.	1-2-97
2.	KN/19889	M/s. Ultimate Credit Private Ltd., 407, House of Lords, 14-15, St. Marks Road, Bangalore-560001.	1-5-97
3.	KN/20377	M/s. Durgamba Motors, Mithun Complex, Kundapura-576201.	1-8-99

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned the name of each of the said establishments.

K. A. DWIVEDI
Regional Provident Fund Commissioner

New Delhi-110066, the 5th December 2000

No. C.P.F.C. 1(4)/MH(1369)/2000/3386—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name & address of the estl.	Date of Coverage
1	2	3	4
1.	MH/44327	M/s. Boronge Pvt. Ltd., 101/102, A. N. Chamber, Turner Road, Bandra (W), Mumbai-50.	1-7-99
2.	MH/43521	M/s. Fabrikant Trading (INDIA) Pvt. Ltd., 304, Panchratna, Opera House, Mumbai-400004.	1-10-97
3.	MH/44194	M/s. Good Housekeeping Services, Gali No. 2, Opp. Bandra Court, Port Anant Konckar Marg, Bandra (E), Mumbai-400051.	1-11-98
4.	MH/40352	M/s. Ram Sons Printers, 9, Sutar Chawl, Mumbai-2.	1-4-92
5.	MH/40407	M/s. Eden International, 92—94, Ardeshir Dady Street, V. P. Road, Near C. P. Tank, Mumbai-4.	1-4-93
6.	MH/61663	M/s. Gram Sahakari Grahak Sanstha Ltd., Narkhed, R. No. 463, Dist. Nagpur-441304, Mumbai.	1-10-95
7.	MH/42789	M/s. Moon Cane Works, 45, Kewa Bhawan, 11th Floor, Adeshar Dadi Street, Golpita, Near Alankar Cinema, Mumbai-400004.	1-7-97
8.	MH/51499	M/s. Palwe Pest Control Udyog, 206, Asawari Chamber, College Road, Nasik-422005.	1-3-2000
9.	MH/40774	M/s. Uday Country Liquor Bar, 158/60, Ghadiwala Building, Thakurdwar Road, Mumbai-2.	1-4-95
10.	MH/44466	M/s. Dr. D. K. Tank Consultancy, 50, Ambika Darshan, M. G. Road, Ghatkoper(E), Mumbai-400077.	1-4-99
11.	MH/36971	M/s. Heralds Marketing Ltd., 3 F. Court Chambers, 35, New Marine Lines, Mumbai-20.	1-1-90
12.	MH/43890	M/s. Dr. Patani Scientific & Industrial Research, P.S.I.R. Bldg., 90/8, M.I.D.C., Cross Road, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai-400093.	1-4-99
13.	MH/KP/100579	M/s. Shri Ravalnath Sahakari Dudh Vyavsaik Sanstha, Maryadit, Maligre, Tal.-Ajara, Dist. Kolhapur.	1-1-2000
14.	MH/KP/100581	M/s. Shri Kamdhenu Sahakari Dudh Vyavsaik Sanstha Ltd., Narewadi, Tal. Gadchिंगलaj, Dist. Kolhapur.	1-12-99
15.	MH/KP/100580	M/s. Shri Bhaveshuani Nagari Sahakari Pat Sanstha Maryadit, Kaulage, Tal. Gadchिंगलaj, Dist. Kolhapur.	1-12-99
16.	MH/KP/100576	M/s. Pattankodoli Shetkari Vikas Seva Sanstha Maryadit, Pattankodoli, Tal. Hattangale, Dist. Kolhapur.	1-12-99

1	2	3	4
17.	MH/41897	M/s. Crescent Graphics Pvt. Ltd., 8, Anil Chambers, 6, Cinema Road, Dhobi Talao, Mumbai-400020.	1-4-95
18.	MH/44413	M/s. Kothari Gems Pvt. Ltd., 1502, Panchratna, Opera House, Mumbai-400004.	1-10-99
19.	MH/43181	M/s. Marine Electronics and Navigation System Pvt. Ltd., 301, "Gokul", 80-A, Baroda Street, Masjid Bunder(E), Mumbai-400009.	1-4-97
20.	MH/44131	M/s. Vora Electric Service, 5, Madhav Bhawan, 4th Khetwadi Off. Wilson Road, Girgaon, Mumbai-4.	1-8-99
21.	MH/41744	M/s. Sumangalam (India), Dubhash Building Marg, 1st Floor, Walchand Hirachand Marg, Mumbai-400038.	1-12-95
22.	MH/41657	M/s. Ami India Logistics Pvt. Ltd., 21, Morvi House, Dr. Sunderlal Bahal Path, Ballard Estate, Mumbai-400038.	1-8-95

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

K. A. DWIVEDI
Regional Provident Fund Commissioner

No. C.P.F.C.1 (4)/MH(1873)/2000/3387.—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:—

S. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage
1	2	3	4
1.	MH/51545	M/s. Raje Bahadur Heart Foundation (P) Ltd., Plot No. 13/14—199, Rajebahadur Colony, Tilak Road, Nasik-1.	1-8-2000
2.	MH/43246	M/s. Chitra Arts, B-31, Royal Indl. Estate, 3rd Floor, Naigaum Cross Road, Wadala, Mumbai-31.	28-2-98
3.	MH/42754	M/s. Barwill Shipping (I) Pvt. Ltd., D-1, Corinthian Building, 3rd Floor, Arthur Bunder Road, Opp. Fariyas Hotel, Colaba, Mumbai-400005.	1-2-97
4.	MH/44565	M/s. Aromatan Perfumes Pvt. Ltd., A-1, 433/434, Shah & Nahar Indl. Estate, Dhanraj Mill Compound, Lower Parel, Mumbai-400013.	1-9-98
5.	MH/36919	M/s. Dorado Investment Co. Pvt. Ltd., 14, Sind Chamber, 1st Floor, Colaba, Causeway, Mumbai-400005.	1-4-90
6.	MH/41699	M/s. El-AL-Israel Airlines Ltd., President Hotel, 1st Floor, Cuffe Parade, Mumbai-400005.	1-1-95

1	2	3	4
7.	MH/KP/100609	M/s. Nagnath Sah. Dudh Vyavsaik Sanstha Maryadit, Akondi, Ta-Kagal, Dist. Kolhapur.	1-10-99
8.	MH/KP/100610	M/s. Shri Duttatray Dhandi Farakate Sah. Dudh Vyavsaik Sanstha Maryadit, Farakakewadi, Tah-Kagal, Dist. Kolhapur.	1-6-99
9.	MH/KP/100611	M/s. Shri Gabiniath Vahandharak Nagari Sah. Pat Sanstha Maryadit, Kagal, Dist. Kolhapur.	1-10-99
10.	MH/40288	M/s. Delimon Protos India Pvt. Ltd., 'Thakur Niwas', 173, Jamshedji Tata Road, Church Gate, Mumbai-400020.	1-6-94
11.	MH/41174	M/s. Printage, B-1/B-3, Shriram Indl. Estate, Ground Floor, Plot No. 13, G.D. Ambedkar Marg, Wadala, Mumbai-400031.	1-7-95
12.	MH/44276	M/s. Krishna Conchem Products Pvt. Ltd., 428, Milan Industrial Estate, Abhudaya Nagar, Cottongreen, Mumbai-400033.	1-2-2000
13.	MH/42840	M/s. Unicorn Travels, 5/84, Unneetha Building, R.A. Kidwai Road, Wadala, Mumbai-400031.	30-9-97
14.	MH/95981	M/s. Ultra Electric Co. C-5-14/2, 2, Sector-18, New Panvel, New Bombay-410206.	1-11-96
15.	MH/97155	M/s. Prakalpargrastha Bekar Yuvak Mazdoor Sahakari Sanstha Maryadit, Karal, Tah. Uran, Dist. Raigad.	1-12-99
16.	MH/44408	M/s. Accurate India Pvt. Ltd., 7th Road Prabha Villa, Santacruz (E), Mumbai-400055.	1-5-99
17.	MH/40587	M/s. Shashi Industries, Hedarkar Wadi No. 43, B. P. Marg, Opp. B. S. Road, Dodar (West), Mumbai-28.	1-10-94
18.	MH/44539	M/s. Gamapiy Infotech Pvt. Ltd., IIIrd Floor, C-10, Central Road, Marol MIDC, Andheri (E), Mumbai-93.	1-4-2000
19.	MH/43133	M/s. Cargo Gear Services, Plot No. 10, Opp. Sant Janabhai, Municipal Market, Ghodpdeo, X Road No. 1, Mumbai-33.	1-3-98
20.	MH/44549	M/s. Chetna Publications, 194-I, Gaiwadi, Mumbai-400004.	1-2-2000

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

K. A. DWIVEDI
Regional Provident Fund Commissioner

No. CPFC 1(4)MH(1876)/2000/3388.—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

S.No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of coverage
1	2	3	4
1.	MH/42594	M/s. Essei Trading Company, Shop No. 9, F/s Municipal Building Parel, Mumbai-400012.	1-12-96
2.	MH/43310	M/s. Arihant Distributors, 'E' Block, Ranjit Studio Compound, Dadar, Mumbai-400014.	31-5-98
3.	MH/44048	M/s. Pipeline Engineering GMPH, GMPH, 5/D, Vulcan Insurance Building, Veer Nariman Road, Churchgate, Mumbai-20.	1-6-99
4.	MH/39867	M/s. Apple Asset Management Ltd., Rajgir Chambers, 4th Floor, S.B.S. Road, Opp. Old Custom House, Fort, Mumbai-400023.	1-2-94
5.	MH/41202	M/s. Bombay Baptist Church, 175, Colaba Road, Bombay-400005.	1-7-95
6.	MH/40563	M/s. Hemendra R. Sheth, 108, Vikas, 11 Bank Street, Mumbai-400023.	1-3-94
7.	MH/40445	M/s. Seksaria Industries Ltd., Seksaria, Chambers 5th Floor, 139, Nagindas Master Road, Fort, Mumbai-400001.	1-4-94
8.	MH/42547	M/s. Bow Chemicals Pvt. Ltd., 29, Bank Street, Fort, Mumbai-400023.	1-1-97
9.	MH/43803	M/s. Pec & ECSS Traders Basement No. 6, Commerce House 140, N.M. Road, Fort, Mumbai-400023.	1-4-99
10.	MH/43619	M/s. Council for Fair Business Practices, Great Western Building, Shahid Bhagat Singh Road, Opp. Lion Gate, Mumbai-400023.	1-9-98
11.	MH/44047	M/s. Dr. Amin Surveyors & Assessors Associates, Aloari House, VIth Floor, 25, Roase Walk Lane, Ranport Road, Mumbai-400023.	1-7-99
12.	MH/42228	M/s. Falcon Couriers Pvt. Ltd., Commercial Service Centre, 8/33, 34 Grant Building, Colaba, Mumbai-400005.	1-8-96
13.	MH/41214	M/s. S.R. Khandelwal & Sons, 205, Surat Sadan, Surat Street, Mumbai-4400009.	1-4-95
14.	MH/40803	M/s. Aska Sales Pvt. Ltd., Ratilal Mansion, 3rd Floor, Parekh Street, Prar Thana Samaj, Mumbai-400004.	1-2-95
15.	MH/41496	M/s. Amit K. Dave, Share Stock & Finance Broker, 1014, Stock Exchange Tower, Dalal Street, Mumbai-400023.	1-10-95
16.	MH/43266	M/s. Jap Container Handlers, 11, Shroff Bhavan, 1st Floor, 159, P.D. Mello Road, Mumbai-400001.	31-10-97

1	2	3	4
17.	MH/40548	M/s. Vijaya Enterprises, 64/66, Princess Street, Mumbai-400002.	1-3-92
18.	MH/40547	M/s. U.P. Chemicals Ranvir Mension, 64, Princess Street, Mumbai-400002.	1-3-92
19.	MH/44369	M/s. Instan India (P) Ltd., 605, Raheja Chambers, Nariman Point, Mumbai-400021.	1-12-99
20.	MH/42758	M/s. Killick Shipping Services Ltd., Wallace Business Centre, Commercial Union House, 9, Wallace Street, Fort, Mumbai-400001.	1-1-95

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

K. A. DWIVEDI,
Regional Provident Fund Commissioner (Hqrs.)

No. C.P.F.C.-1(4)MH (1877/2000/3389 —Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:—

S. No.	Code No.	Name & Address of the estt.	Date of Coverage
1	2	3	4
01.	MH/40580	M/s. Mediline Equipments and Computer Systems (I) Pvt. Ltd., 'A' Wing, Neelam Centre, Hind Cycle Road, Worli, Mumbai-25.	31-8-1994
02.	MH/42817	M/s. Media Asia Publishers Bombay Pvt. Ltd., Saiman House, Opp. Sayani Road, Prabhadevi, Mumbai-400025.	1-6-1997
03.	MH/40579	M/s. Javari Trading Co. Ltd., Prabhadevi Industrial Estate, Unit No. 14, IInd Floor, 408, V.S. Marg, Prabhadevi, Mumbai-400025.	1-7-1994
04.	MH/43612	M/s. DGP Securities Ltd., Moderna House, Maxxamine Floor, 88-C, Old Prabhadevi Road, Mumbai-400025.	1-8-1997
05.	MH/42931	M/s. Maa Durga Electricals, Belani House, Worli Sea Face, Poohkhanwala Road, Mumbai-400025.	1-9-1997
06.	MH/41923	M/s. Gallakotwala Engineering Co., Pvt. Ltd., 66, Maker Chamber-III, Nariman Point, Mumbai-400021.	1-4-1994

1	2	3	4
07.	MH/42825	M/s. Prakash & Co., Kadri Mension, Ist Floor, Room No. 29, V.S. Marg, Prabhadevi, Mumbai-25.	1-4-1996
08.	MH/41051	M/s. Alka Securities Pvt. Ltd., 54, Bombay Mutual Chambers, Hamam Street, Mumbai-400023.	1-5-1995
09.	MH/41875	M/s. Entra Cover Communication Pvt. Ltd., 29, Bank Street, Fort, Mumbai-400001.	1-12-1995
10.	MH/40993	M/s. Olympid Capitals Ltd., 132-C, Mittal Tower, Nariman Point, Mumbai-400021.	1-2-1995
11.	MH/40308	M/s. Haradesh Investment & Trading Co., Pvt. Ltd., 49, Bajaj Bhavan, Nariman Point, Mumbai-400021.	1-6-1993
12.	MH/43653	M/s. Prime Fertilizers Ltd., 63, Bajaj Bhavan, Nariman Point, Mumbai-400021.	1-8-1998
13.	MH/38999	M/s. Lucky Toy Mart, 222/224, L.T. Marg, Mumbai-400002.	1-12-1992
14.	MH/43551	M/s. S & A Enterprises, 32, Maker Chambers VI, Nariman Point, Mumbai-400021.	1-4-1997
15.	MH/39909	M/s. The Next Diamond Co., 519, Prasad Chambers, Opera House, Mumbai-400004.	1-9-1993
16.	MH/40762	M/s. Mark's Shipping Pvt. Ltd., 32, Silk House, 6th Floor, Hamalwadi, Mumbai-400002.	1-1-1995
17.	MH/40763	M/s. Camnik International, 32, Silk House, Dhobi Talas, Mumbai-400002.	1-1-1995
18.	MH/41131	M/s. Ashvin Chinibhai & Sons, 45, Bhygan Chambers, IInd Floor, 9, Dalal Street, Fort, Mumbai-400023.	1-4-1993
19.	MH/41913	M/s. Kantilal Mangaldas Securities Pvt. Ltd., 100/104, D.G. Chambers, IInd Floor, Naik Motwani Road, Fort, Mumbai-400023.	1-1-1996

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

K. A. DWIVEDI
Regional Provident Fund Commissioner (Hqrs.)

No.C.P.F.C.1 (4)/TN (1896)/2000/3390.—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:-

S. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage
01.	TN/MS/48845	M/s. Reynolds Pens India Ltd., Plot No. C-21, SIPCOT Industrial Park, Irungattukottai Pennalur Post, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram Dist., Tamil Nadu-602105.	1-1-2000
02.	TN/TI/44472	M/s. S.V.A. Lakshmi Blue Metal Industries, No. 7, Akailandapuram Village (Via Kayathar), Tuticorin Dist.	1-4-1999
03.	TN/MD/42370	M/s. D.D. 5, Pudupatty Coop. Building Society Ltd., C, Pudupatty-625556, Theni District.	1-7-2000
04.	TN/MD/42372	M/s. Srinivasa Arts, 47/1, Periyar Nagar, Bye Pass Road, Sattur-626203.	1-5-2000
05.	TN/MD/42376	M/s. D.D. 544, Sirumalai Primary Agricultural Co-operative Bank, Sirumalai (PO), Dindigul TK, Dindigul (DT.)	1-7-2000
06.	TN/MD/42383	M/s. Q. 1210 Mallal Primary Agricultural Cooperative Bank Ltd., Mallal Post, Ramanathapuram Dist-623533.	1-4-2000
07.	TN/MD/42378	M/s. Shri Saravana Enterprises, Shed No. 106, SIDCO Industrial Estate, Kappalur, Madurai-625006.	1-7-2000
08.	TN/TI/46473	M/s. Fathima Blue Metal Industries, Madurai Road, Kayathar-628952.	1-4-1999
09.	TN/TR/43385	M/s. Suriya Fast Food, 56, Super Bazar, Trichy-620008.	1-7-1999
10.	TN/MS/49021	M/s. Chennai Engineering Consultants Pvt. Ltd., Q-20, MMDA Colony, Chennai-600106.	1-5-2000
11.	TN/MS/49049	M/s. Monarch Scientific Works, No. 212, Sidco Industrial Estate, Thirumazhisai, Chennai-602107.	1-4-2000
12.	TN/TR/43452	M/s. Padmavathi Nursery & Primary School, Vilanthidasamudiram, Sirkali-609108.	1-11-1999
13.	TN/VL/38631	M/s. C. 2493 Ambalur Primary Agricultural Co-op. Bank, Ambalur-635801.	1-3-1998
14.	TN/PC/984	M/s. Genite Engineering No. 374, Vazhudaveer Road, Shanmugapuram, Pondicherry-605009.	1-1-1998

S. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage
15.	TN/MS/48639	M/s. Manu Enterprises, 34, Reddy Street, Maduramettupalayam, Puzhal, Chennai-600011.	1-11-1999
16.	TN/MS/48632	M/s. Anjana Electronics (P) Ltd., No. 5, Thangaiyan Street, Madha Nagar Extn. Madhananthapuram, Porur, Chennai-600116.	1-8-1999
17.	TN/MD/42244	M/s. Rahaventhier Industries, 10, Viswanatha Nagar, K-Podur, Madurai-625007.	1-1-2000
18.	TN/TI/46412	M/s. Sri Sashta Consultants, ESI PF and Factories Act, Indira Complex, 94-A-7, Main Road, K, Hotel King Matro Backside, Kovilpatti-628501.	1-9-1999
19.	TN/TR/43434	M/s. Ahamed Fab, No. 21/1, Singara Those, Trichy-620008.	1-11-1999
20.	TN/TR/43387	M/s. Ritha Automobiles, No. 1, Madurai Road, Trichy-620008.	1-8-1999
21.	TN/TR/43435	M/s. Ahamed Tex, 21, Singarathope, Iqbal Towers, Trichy-620008.	1-11-1999
22.	TN/MD/42369	M/s. S.N.P. Diary Milk Vadi Patti Main Road, Ayyankottai, Vadipatti Taluk, Madurai Dt.	1-7-2000
23.	TN/VL/38634	M/s. Kattampoondi Primary Agricultural Co-op. Bank Ltd., Kattampoondi & Post, Thiruvannamalai Dist.	1-7-2000
24.	TN/TI/46468	M/s. Thomson Outboard Engine and Fibre Glass Fabrication Works, 7/45, Kottilpad, Colachel-629251, Kanyakumari Dist.	1-6-2000
25.	TN/VL/38578	M/s. B.M. Silk Stores, 249, Gandhi Road (1st Floor), Kanchipuram-631501.	1-12-1999
26.	TN/MD/42363	M/s. Q. 1269, Keeranoor Primary Agricultural Co-op. Bank, Mudukulathur Taluk, Ramanad Dist.-623704.	1-5-2000
27.	TN/MD/42367	M/s. Sri Vasam Traders, 8/4, Subburaj Nagar, Bodinayakanur, Chennai District-625513.	1-1-2000

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishment.

K. A. DWIVEDI
Regional Provident Fund Commissioner

New Delhi-110066, the 13th December 2000

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt 1/3526.—WHEREAS the employer of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (14 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

AND WHEREAS the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the

nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu from the operation of the said Scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE—I

S. No.	Name & Address of the estt.	Code No.	Effective date of Exemption	C.P.F.C's File No.
1.	M/s. Aquasub Engineering, Unit-II, Vethalaikalipalayam, N.S.N. Palayam Post, Coimbatore-641031.	TN/19230-A	1-4-2000 to 23-6-2000	14/880/2000
2.	M/s. Zellweger Uster (India) Pvt. Ltd., Gowtham Arcade, 3rd Floor, 208, T.V. Samy Road, (East) R.S. Puram, Coimbatore-641002.	TN/34026	1-3-2000 to 23-6-2000	14/881/2000
3.	M/s. Rieter-LMW Machinery Ltd., Sulur Railway Feeder Road, Muthugoundenpudur, Coimbatore-641406.	TN/33972	1-3-2000 to 23-6-2000	14/882/2000
4.	M/s. Aruppukottai Shri Ramalinga Food Products Pvt. Ltd., Melakandamangalam, Tiruchuli-626129.	TN/MD/41715	1-9-99 to 23-6-2000	14/883/2000
5.	M/s. Standard Fire Works Ltd., Fire works and Sparklers Fac., V. Muthulingapuram, Sankaralingapuram-626519.	TN/29809	1-3-2000 to 23-6-2000	14/884/2000
6.	M/s. Makara Leather Manufacturing Co., Pvt. Ltd. 163, and 164, Sidco Industrial Estate, Ambattur, Chennai-98.	TN/17548	1-10-87 to 30-9-90 & 1-10-90 to 31-3-93 & 1-4-93 to 31-3-96 & 1-4-96 to 31-3-99 & 1-4-99 to 23-6-2000	14/885/2000
7.	M/s. Standard Fire Works Ltd., Amoras Factory, Vishwanatham-626176 (Via) Sivakashi	TN/4995	1-3-2000 to 23-6-2000	14/885/2000
8.	M/s. Rajam Match Industries, 4/70, Meenampatti, Anupamkulam (Via), Sivakashi, Virudhunagar Dist.	TN/20365	1-3-96 to 23-6-2000	14/886/2000
9.	M/s. Standard Fire Works Ltd., (Selvarathinam Fire Works Factory, Vetrilaiyurani-626173.	TN/20902	1-3-2000 to 23-6-2000	14/887/2000
10.	M/s. Sri Matha Spinning Mills Ltd., Lakshmananpatty Kalanampatty, Dindigul-624471.	TN/42052	1-2-2000 to 23-6-2000	14/888/2000
11.	M/s. Standard Fire Works Ltd., Grinding & Cutting Section, Vettilaiyurani-626173.	TN/5289	1-3-2000 to 23-6-2000	14/889/2000
12.	M/s. Standard Works Ltd., Kattanarpatti Tube Depot, V. Muthulingapuram Post, Sankaralingapuram-626119.	TN/29810	1-3-2000 to 23-6-2000	14/890/2000

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of Insurance premia, transfer accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding, anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee, his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Therefore, any reason, the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefit to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

S. RAGHURAM
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt.I/3597.—Whereas the employer of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section 2(a) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

The Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner, hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner Punjab from the operation of said Scheme for a period of 3 (three) years

SCHEDULE-I

S. No.	Estt. Name & Address	Code No.	Effective date of Exemption	CPFC's File No.
1.	M/s. Kansal Enterprises, 69, Industrial Area, Phase-II, Chandigarh.	PN/14557	1-1-99 to 23-6-2000	12/130/2K/CV
2.	M/s. Nahar Sugar and Allied Industries Ltd., P.B. No. 4, P. O. Amloh, Distt Fatehgarh Sahib.	PN/20040	1-6-99 to 23-6-2000	12/146/2000/CV
3.	M/s. Neera Enterprises, 279, Industrial Area, Phase-II, Chandigarh.	PN/20042	1-1-99 to 23-6-2000	12/140/2000/CV
4.	M/s. Wockhardt Ltd., Vill. Sarsini, P. S. Lalru, Teh. Rajpura, Distt. Patiala.	PN/201553	7-11-97 to 23-6-2000	12/147/2000/CV

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may, from time to time, direct under clause (a) sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended along with translation of the salient feature thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore, any reason the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to

the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc., within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

S. RAGHURAM

Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/D.I./Exemp./89/Pt. I/3545.—WHEREAS the Employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2(A) of the Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan from the operation of said Scheme for a period of 3 (three) years.

SCHEDULE-I

S. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	Effective date of Exemption	C.P.F.C.'s File No.
1	2	3	4	5
1.	M/s. Rajesh Motors Pvt. Ltd., A-1, Transport Nagar, Jaipur.	RJ/1682	1-3-98 to 23-6-2000	12/2/99/DLI
2.	M/s. Sona Distilleries Ltd., 201-202, M.I.A., Alwar.	RJ/2902	1-12-89 to 30-11-92 & 1-12-92 to 30-11-95 & 1-12-95 to 30-11-98 & 1-12-98 to 23-6-2000.	13/10/99/DLI
3.	Hotel Arya Niwas, Behind Ambar Cinema, Sansar Chander Road, Jaipur.	RJ/4905	1-11-97 to 23-6-2000	13/3/99/DLI

1	2	3	4	5
4.	M/s. Hindustan Industries, 20, Industrial Area, Jhotwada, Jaipur.	RJ/5213	1-3-99 to 23-6-2000	13/17/99/DLI
5.	M/s. Rajesh Coach Builders. 9 K.M. Agra Road, Jam Dolly, Jaipur.	RJ/5576	1-3-98 to 23-6-2000	13/4/99/DLI
6.	M/s. Kit Ply Industries Ltd., New Bhandawa House, Sansar Chander Road, Jaipur.	RJ/6051	1-3-96 to 23-2-99 & 1-3-99 to 23-6-2000	13/12/99/DLI
7.	M/s. Art Nou Handicraft Market, opposite Ummed Bhawan, Jodhpur.	RJ/6276	1-6-99 to 23-6-2000	13/5/99/DLI
8.	M/s. Layad Electric Engineering Pvt. Ltd., A-146, B.C. Ricco Industrial Area, Bhiwari, Alwar.	RJ/6288	1-12-97 to 23-6-2000	13/11/99/DLI
9.	M/s. Vijay Solnex Ltd., Bhagwati Sadan, Swamy Dayanand Marg, Alwar.	RJ/6318	1-3-97 to 29-2-2000	13/22/2000
10.	M/s. Suraj Marbles Pvt. Ltd., Makrana Road, Madan Ganj, Kishan Garh.	RJ/6822	1-11-97 to 23-6-2000	13/25/2000
11.	M/s. Ganga Nagar Co-op. Cotton Complex Ltd., Ricco Odyogik Kshetra, P.B. No. 46, Udyog Vihar, Shri Ganga Nagar.	RJ/7214	1-2-96 to 31-1-99 & 1-2-99 to 23-6-2000.	13/18/99/DLI
12.	M/s. Neckses Security Services Pvt. Ltd., F-15-B, Madhuban Colony, Tonk Road, Jaipur.	RJ/7972	1-3-98 to 23-6-2000	13/6/99/DLI
13.	M/s. Jallor Nagrik Sahakari Bank Ltd., Jallor.	RJ/8185	1-12-97 to 23-6-2000	13/19/99/DLI
14.	M/s. Madhusudan Industries Ltd., 149 Ricco Industries Area, Nimbahera, Chittorgarh (Raj.).	RJ/8196	1-3-97 to 29-2-2000	13/7/99/DLI
15.	M/s. Rohit Synthetics Mills Pvt. Ltd., Nakoda Road, Industrial Area, Jasol Badmer, Jodhpur.	RJ/8718	1-11-97 to 23-6-2000	13/21/99/DLI
16.	M/s. J.V.S. Foods Products Pvt. Ltd., C-393, Hans Marg, Malviya Nagar, Jaipur.	RJ/9600	1-3-98 to 23-6-2000	13/14/99/DLI
17.	M/s. Centre for Community Economics and Development Consultation Society, Chakus, Jaipur.	RJ/9254	1-3-99 to 23-6-2000	13/9/99/DLI
18.	M/s. Rochis Bewearies Ltd., S.P. 2, 3 Ricco Odhyogik Kshetra, National Highway, Bhimrana, Behroad.	RJ/9459	1-1-99 to 23-6-2000	13/26/2000/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore, any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already

adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc., within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

S. RAGHURAM
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/3570.—WHEREAS the employers of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India, the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in Schedule-II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached schedule-I against their names.

SCHEDULE-I

S. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	No. and Date of Govt. Notification vide which Exemption was granted extended	Date of expiry	Period of Exemption	C.P.F.C.'s File No.
1	2	3	4	5	6	7
01.	M/s. Executive Engineer, O.P. Division, P.S.E.B., Nawan Shahar, Jalandhar.	PN/2514	2/1959/DLI/Exm/ Pt./4887 dt. 12-3-1998	30-6-1999	1-7-1999 to 23-6-2000	12/160/ 2000/DLI
02.	M/s. Amar Sound Engg. Co., P.O. Rurka, Khurd, via Goraya-144409, Jalandhar.	PN/2668	Do. dt. 21-3-1997	31-12-1997	1-1-1998 to 23-6-2000	12/4/96 DLI
03.	M/s. Daily Nawan Zamana, N.G. Road, Jalandhar City.	PN/4205	Do. dt. 6-9-1992	31-12-1998	1-1-1999 to 23-6-2000	12/5/97/ DLI

1	2	3	4	5	6	7
04.	M/s. Anand Aggarwal Oils (Pvt.) Ltd., Sultanpur Road, Vill. Sheikhhkot, Kapurthala.	PN/9956	2/1959/DLI/EXM/ Pt. I/4887 dt. 3-3-1994	31-12-1992	1-3-1993 to 29-2-1996 1-3-1996 to 28-2-1999 1-2-1999 to 23-6-2000	12/161/2000
05.	M/s. Kalsi Engineers, Kapurthala Road, Pasti Baba Khel, Jalandhar.	PN/641-A	Do. dt. 5-4-1999	28-2-1998	1-3-1998 to 23-6-2000	2/4476/92/ DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may from time to time, direct under clause (a) sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an estt. exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

S. RAGHURAM
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2, 1959/DLI, Exemp./89/Pt. I/3583.—Whereas the employer of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2(A) of the Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under Para-28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab from the operation of said Scheme for a period of 3 (three) years.

SCHEDULE—I

S. No.	Name & Address of the Establishments	Code No.	Effective date of Exemption	C. P. F. C's File No.
1	2	3	4	5
1.	M/s. Kastek (India), Near Deaf and Dump School, G. T. Road, Jalandhar.	PN/512-A	01-11-1998 to 23-06-2000	12/153/2000/PN/CV
2.	M/s. Inductech Systems (India), S. C. O. 144-145, Sector 34-A, Chandigarh.	PN/14034	01-12-1998 to 23-06-2000	12/155/2000/PN/CV
3.	M/s. Nabha Steels Pvt. Ltd., Opp. Octroi Post, (Sarhind Side), G. T. Road, Mandi Govind Garh.	PN/14173	01-06-1999 to 23-06-2000	12/156/2000/PN/CV
4.	M/s. Modern Publishers, M. B. D. House, Railway Road, Jalandhar.	PN/17671	01-10-1997 to 23-06-2000	12/157/2000/PN/CV
5.	M/s. Saggar Steels, (Furnace Division) G. T. Road, Sirhind Side, Mandi Gobindgarh.	PN/20344	01-05-1999 to 23-6-2000	12/158/2000/PN/CV
6.	M/s. Kansal Industries, 82, Industrial Area-II, Chandigarh.	PN/12038	01-01-1999 to 23-6-2000	12/137/2000/PN/CV

SCHEDULE II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended along-with translation of the salient feature thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that

would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s), legal heirs) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the Employees, his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore, any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc., within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

S. RAGHURAM
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/3613.—WHEREAS the employers of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such

employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2(A) of the Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt, each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner Tamil Nadu from the operation of said Scheme for a period of 3 (three) years.

SCHEDULE—I

S. No.	Name & Address of the Establishments	Code No.	Effective date of Exemption	C. P. F. C's File No.
1	2	3	4	5
1.	M/s. SRM Engineering College, SRM Nagar, Kattankulapur, Chennai MGR District-603203.	TN/23901-D	01-08-1996 to 31-07-1999 & 01-08-1999 to 23-06-2000	14/861/C. V./2000
2.	M/s. Ceekay Electricals, 4/270 Old Gandhi Road, Old Mahablipuram Road, Kottivakkam Village, Chennai-96.	TN/22725	01-11-1997 to 23-06-2000	14/862/C. V./2000
3.	M/s. Micro Devices Metrohm Ltd., 4/1, Ist Avenue, Indira Nagar, Adyar, Chennai-20.	TN/39271	01-12-1999 to 23-06-2000	14/863/C. V./2000
4.	M/s. 21 Century Pest Control Services Ltd., No. 28, 18th Avenue, Ashok Nagar, Chennai-83.	TN/36735	01-08-1999 to 23-06-2000	14/864/C. V./2000
5.	M/s. Aruppukkottai Sri Ramalinga Roller Flour Mills, Pvt. Ltd., TRS Nagar, Melakandamanglam, Tiruchuli-626129.	TN/20517	01-09-1999 to 23-06-2000	14/865/C. V./2000
6.	M/s. Tata Johnson Controls Automotive Ltd., Plot No. 2, Ford Suppliers Park, S. P. Koil Post, Changlepattu-603204.	TN/48579	01-03-2000 to 23-06-2000	14/866/C. V./2000
7.	M/s. Scientific Publishing Services Pvt. Ltd., Block No. 3/2, 3rd Floor, Elnet Technology City, Taramai, Chennai-600113.	TN/48255	01-09-1999 to 23-06-2000	14/867/C. V./2000
8.	M/s. Philcon Electric Co., Pvt. Ltd., 10/2-A, Tank Bund Road, Nungambakkam, Chennai-34.	TN/40411	01-02-1999 to 23-06-2000	14/868/C. V./2000
9.	M/s. Rabia Leather Industries Ltd., No. 2, T. N. Guru Street, Chodai, Chennai-112. (alongwith its two branches)	TN/23791	01-11-1993 to 31-10-1996 & 01-11-1996 to 31-10-1999 & 01-11-1999 to 23-06-2000	14/869/C. V./2000
10.	M/s. The Tamil Nadu Circle Postal Co-op. Bank Ltd., No. 18/17, Nehangir Street, (2nd Lane Beach), Chennai-600001.	TN/4132	01-01-2000 to 23-06-2000	14/870/2000

1	2	3	4	5
11.	M/s. Jain Rubbers Pvt. Ltd., Plot No. 75-F, SIPCOT Industrial Complex, Gummidipoondi-601201.	TN/35680	01-10-1998 23-06-2000	to 14/871/2000
12.	M/s. Magnet Meter Systems India Ltd., 2nd Floor, No. 320, Anna Salai, Naqdanam, Chennai-600035, Factory at B-169 and B-170, Public Indl. Estate, Pondicherry-9.	TN/PC/815	01-07-1999 23-06-2000	to 14/873/2000
13.	M/s. B. T. P. India Ltd., Kencer Towers IInd Floor, No. 1, Ramakrishna Street, T. Nagar, Chennai-600017. Factory a Singadivakkam Village, Attuputtur Post, Kondipuram-631552.	TN/30329	01-07-1995 30-06-1998 01-07-1998 23-06-2000	to 14/8774/2000 & to
14.	M/s. The Eye Research Foundation (Vijaya Hospital) No. 180, N. S. Krishnan Salai, Vadapatani, Chennai-600026	TN/26576	01-08-1999 23-6-2000	to 14/875/2000
15.	M/s. Chinnappa Colour Match Works, Perinaickenpatti, Sivakasi-626123.	TN/10627	01-10-1999 23-6-2000	to 14/876/2000

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may from time to time, direct under clause (a) Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of Insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc, shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall not use to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits permissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore, any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month, from the receipt of claims complete in all respects.

S. RAGHURAM
Regional Provident Fund Commissioner

New Delhi-110006, the 20th December 2000

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt.I/3640.—WHEREAS the employers of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

The Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India

in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme)

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in schedule-II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner Tamil Nadu from the operation of said Scheme for a period of 3 (three) years.

SCHEDULE—1

S. No.	Name & Address of the Establishments	Code No.	Effective date of Exemption	C. P. F. C's. File No.
1	2	3	4	5
1.	M/s. Style Fastners Pvt. Ltd., Bell Industries Estate, Palayamkottai, Tirunelveli-627002.	TN/20101	01-07-1992 to 30-06-1995 & 01-07-1995 to 30-06-1998 & 01-07-1998 to 30-11-2000	14/879/CV/2000
2.	M/s. Cheran Spinning Mills Ltd., Minukampatty, P. O. Kasipalayam, Dindigul Distt.-624711. (TN)	TN/24293-A	01-12-1997 to 30-11-2000	14/898/C.V./2000
3.	M/s. Palanival Match Industries, 43, Alumara hupatti Road, Thiruthangal (Via) Sivakasi.	TN/20169	01-03-1998 to 30-11-2000	14/899/C.V./2000
4.	M/s. Abishick Match Industries, Malli Srivilliputtur. Taluk-626141	TN/20007	01-03-1998 to 28-02-1998	14/900/C.V./2000

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of Insurance premium, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of defaults, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

S. RAGHURAM
Regional Provident Fund Commissioner

New Delhi-110066, the 21st December 2000

No. C.P.F.C. 1(4)/KR(1885)/2000/3645.—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:—

S. No.	Code No.	Name & Address of the Esstt.	Date of Coverage
1.	KR/KC/19038	M/s. Kurukshethra Prakasan P. Ltd., Convent Road, Cochin-35.	1-4-99
2.	KR/KK/17349	M/s. A. T. Brothers (Bus Service), Arinthalakkal House, P. O. Valiyora, Vengora-676308. Malappuram (Kerala).	1-3-99
3.	KR/17403	M/s. The Palemad Ksheerolpadaka Sahakaraha Sanaham, Palemad, Edakkara, Nilapbur Taluk (Kerala).	1-9-99
4.	KR/KK/17246	M/s. Kairali Travels, Cheriyamundath House, Tirur Taluk, Mallapuram Dist. (Kerala).	1-9-98
5.	KR/16462	M/s. St. Vincent Diabetes Centre, Diabetes Research Institute, Pattom, Trivandrum-695004.	1-11-99
6.	KR/KC/19157	M/s. H.H.A. Tank Terminal (P) Ltd., C.C. 24/1869, Muraf Area, I. G. Road, W. Island, Cochin-3 (Kerala).	1-1-2000
7.	KR/KC/19073	M/s. Kuthukaram Exports, Kuttukaran Centre, Mamangalam, Kochi-25.	1-4-99
8.	KR/KC/19071	M/s. Cel Marketing Pvt. Ltd., Cochin House, 32/1746, M. K. K. Nair, Palarivattom, Kochi-682024.	1-4-99
9.	KR/KC/19072	M/s. Popular Infotech, Kuttukaran Centre, Mamangalam, Cochin-682025.	1-4-99
10.	KR/KC/19051	M/s. Suvarna Industries, Edappally, Kochi-682024.	1-11-99
11.	KR/KC/19151	M/s. A.B.K. Financial Advisors, XL/5111, Janasahayam Co. Building, Broadway, Kochi-31. (Kerala).	1-11-99
12.	KR/KN/19114	M/s. Kalarikal Enterprises, Janatha Road, XI/341, Alwaye, Kerala.	1-12-99
13.	KR/KNR/18052	M/s. Sreeja Transport, Chalode, P. O. Pattanur, Kannur Dist. (Kerala).	1-11-99

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

K. A. DWIVEDI
Regional Provident Fund Commissioner

New Delhi-110066, 21st December 2000

No. C.P.F.C. 1(4)/AP (1878)/2000/3653—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:—

S.No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage.
1	2	3	4
1.	AP/34100	M/s. Primary Agricultural Co-operative Credit Society Ltd., Renjarla, Balkonda (M), Nizamabad (Dist.).	1-1-2000
2.	AP/34637	M/s. Kavetisamudram Primary Agricultural Co-operative Society Ltd., Kavetisamudram (Vig), Tadpatri (M), Anantapur (Dist.).	1-5-2000
3.	AP/34613	M/s. Thimmasamudram Primary Agricultural Co-operative Society Ltd., Thimmasamudram (Vig.), Anantapur (Dist.).	1-3-2000
4.	AP/34657	M/s. Thimmapuram Primary Agricultural Cooperative Society Ltd., Thimmapuram (Vil. & Post), K.V. Palle (M), Chittoor (Dist.).	1-6-2000
5.	AP/34654	M/s. The Alluru Primary Agricultural Coop. Credit Society Ltd., Allur-Village-Viddamann-Post, Namdikotkur-Mandal- Kurnool Dist.	1-6-2000
6.	AP/34522	M/s. Agaram Primary Agricultural Co-op. Society Ltd., Gudupalli, Vig. & P. O. Mandal, Chittoor Dist.	1-5-2000
7.	AP/34655	M/s. The Kaladevekunta Primary Agricultural -Co-operative Credit Society Ltd., Kaladevakunta-Village, Mantralayam Mandal, Kurnool Dist.	1-5-2000
8.	AP/34619	M/s. The Mangalampeta Primary Agricultural Co-operative Society Ltd., Mangalampeta-517172, Pulicherla (M), Chittoor Dist. (AP).	1-5-2000
9.	AP/34620	M/s. Dandikuppam Primary Agricultural Co-operative Society Ltd., Dandikuppam, Santhipuram (M), Chittoor Dist.	1-5-2000
10.	AP/34651	M/s. Vorvakal Primary Agricultural Co-operative Society Ltd., Vorvakal (M), Kurnool Dist.	1-6-2000
11.	AP/34642	M/s. The Parla Co-operative Rural Bank Ltd., Parla Kallur (Mandal), Kurnool Dist.	1-5-2000
12.	AP/34640	M/s. The Anantapur Dist. Electricity Employees Co-operative Credit Society Ltd., The Cold Town, Anantapur.	1-4-2000
13.	AP/34631	M/s. The Chapiri Primary Agricultural Co-operative Society Ltd., Chapiri (Vig.), Kalyanadang (M), Anantapur District.	1-4-2000
14.	AP/34656	M/s. Dyamajipally Primary Agricultural Co-operative Society Ltd., Dyamajipally (Vig.), Chennakothapally (M), Anantapur Dist.	1-5-2000

1	2	3	4
15.	AP/34623	M/s. Vanavolu Primary Agricultural Co-operative Society Ltd., Vanavolu (Vig.), Gorantla (M), Anantapur Dist.	1-4-2000
6.	AP/34647	M/s. The Kamalakur Primary Agricultural Co-op. Society Ltd., D. No. 277, Kamalakur, Atlur (M), Cuddapah District.	1-5-2000
7.	AP/34648	M/s. B. Kothapalli Primary Agricultural Co-operative Society Ltd., Village-B, Kothapalli, Post, Mydukur, Khajipet (M), Cuddapah Dist.	1-5-2000
8.	AP/27249	M/s. Kandrakota Primary Agricultural Co-operative Credit Society Ltd., Kandrakota, Peddapuram (M), East Godavari District.	1-4-95

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

K. A. DWIVEDI
Regional Provident Fund Commissioner

No. C.P.F.C. 1(4)/AP(1874)/200/3654—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

S.No.	Code No.	Name & Address of the estt.	Date of Coverage.
1	2	3	4
1.	AP/30905	M/s. Omega Music Pvt. Ltd., Plot No. 12 & 13, Sri Durga Estates, Jeedimetta, Hyderabad.	1-4-96
2.	AP/31885	M/s. The Makkuva Primary Agricultural Co-operative Credit Society Ltd., Makkuva, Makkuva Mandal, VZM District.	1-7-98
3.	AP/35118	M/s. Udupi Lunch Home, Main Road, Narsipatram, VIP District.	1-3-99
4.	AP/30441	M/s. Vikramapuram Primary Agricultural Co-operative Credit Society Ltd., Vikramapuram, Vizianagaram.	1-1-97
5.	AP/36789	M/s. Pothrakonda Primary Agricultural Co-operative Credit Society Ltd., Pothrakonda, Sriakham Distt. (AP).	1-12-97
6.	AP/36752	M/s. Saluru Co-operative Urban Bank Ltd., Saluru, Vizianagaram Distt. (AP).	1-2-2000
7.	AP/36744	M/s. The Kotipam Primary Agricultural Co-operative Credit Society Ltd., Kothipam, Vizianagaram Distt.	1-1-98
8.	AP/35179	M/s. Sambara Primary Agricultural Co-operative Credit Society Sambara, Vizianagaram Distt. (AP).	1-1-99

1	2	3	4
9.	AP/35013	M/s. Jai Santhoshi Industries, Allinagaram, Chilakapatem, Srikakulam, Srikakulam Distt. (AP).	1-1-99
10.	AP/32711	M/s. Amberlite Polymers (P) Ltd., Sy. No. 231, Bollaram (V), Miyapur, Medak (Distt.). (A.P.).	1-4-98
11.	AP/34596	M/s. Mendragunta Primary Agricultural Co-operative Society Ltd., Nendragunta, Pakala (M), Chittoor Distt.	1-1-2000
12.	AP/34575	M/s. Konakondla Primary Agricultural Co-operative Society Ltd., Konaakandla (Village P.O.), Vajarakarur (M), Anantapur (Distt.).	1-2-2000
13.	AP/34577	M/s. Madigubba Primary Agricultural Co-operative Credit Society Ltd., Medigubba (Village) Atmakar (M), Anantapur Distt.	1-1-2000
14.	AP/34379	M/s. Ravaludiki Primary Agricultural Co-operative Credit Society Ltd., Ravaludiki (Village) Peddavadugush (M), Anantapur (Distt.).	1-3-99
15.	AP/34615	M/s. The Pedda Kopparla Primary Agricultural Co-operative Credit Society Ltd., Peddakopperla, Koilkuntal (mdl), Kurnool (Distt.).	1-4-2000
16.	AP/34520	M/s. Rapur Primary Agricultural Co-operative Credit Society Ltd., Rapur—Nellore (Distt.).	1-6-99
17.	AP/30805	M/s. Siva Electricals, Sy. No. 10-17, Fathenagar, Hyderabad-11.	1-1-97
18.	AP/34593	M/s. The Nagasamndram Primary Agricultural Co-operative Society Ltd., Nagasamndram (Vig.) Guntakal (M), Anantapur (Distt.).	1-2-2000
19.	AP/29683	M/s. The Madira Larger Sizad Co-operative Credit Society Ltd., P. No. 946, Mandira (Mdl) Kumool (Distt.).	01-01-1999
20.	AP/29655	M/s. Venkatapuram Primary Agricultural Co-operative Society Ltd., Venkatapuram (Vig.) B. K. Sandram (M) Anantapur (Distt.).	01-11-1998
21.	AP/29598	M/s. Cherlopalli Primary Agricultural Co-operative Credit Society Ltd., Cherlopalli (Vig.) Puttor (M), Anantapur (Distt.).	01-08-1998

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of the said establishments.

K. A. DWIVEDI
Regional Provident Fund Commissioner

No. C.P.F.C. 1(4)/MH(1879)/2000/3665:—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to their respective establishments namely:—

S. No.	Code No.	Name of the Establishments	Date of Coverage
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MH/41784	M/s. Octopus Shipping Pvt. Ltd., Vakils House, 3rd Floor, 18th Ballard Estate, Mumbai-400038.	01-04-1995
2.	MH/42163	M/s. Omate Container Services, C/o I. K. Marine Agencies (P) Ltd., Mackinnan Mackenzie Building, 1st Floor (Rear), 4th, Shoorji Vallabhdas Marg, Ballard Estate, Mumbai-38.	01-03-1996
3.	MH/43278	M/s. International Movers, 20/21 Rex Chambers, Walchand Hirachand Marg, Mumbai-400038.	01-04-1998
4.	MH/43932	M/s. Jap Heavy Lifters, 13, Shraff Bhavan, 159, P. D. Mello Road, Mumbai-400001.	31-10-1997
5.	MH/43914	M/s. Express Repair Services Pvt. Ltd., Vakils House, 3rd Floor, 18, Ballard Estate, Mumbai-400038.	07-08-1997
6.	MH/40204	M/s. Uttar Bhartiya Shramjivi Sahayogi Bhandar Ltd., 14-16, Ovatwadi Bajaj Chambers Vithalwadi, Mumbai-2.	01-02-1994
7.	MH/44410	M/s. Saab Tank Control (I) Pvt. Ltd., Kamanwala Chambers, Sir P. M. Road, Fort, Mumbai-400001.	01-02-2000
8.	MH/41533	M/s. Lloyds Housing Finance Ltd., 601, Raheja Centre, Nariman Point, Mumbai-400021.	02-05-1995
9.	MH/44335	M/s. Nichiket Securities Pvt. Ltd., Haji Kasam Building, 66, Tamrind Land, Mumbai-400001.	27-10-1999
10.	MH/43146	M/s. Atool and Associates, Dhan-nur, 15 Sir P. M. Road, 2nd Floor, Fort, Mumbai-400001.	01-04-1995
11.	MH/44186	M/s. Reflection Print Communication Pvt. Ltd., Modern Tailoring College Building, Central Railway Store Lane, Lower Parcel, Mumbai-13.	01-06-1998
12.	MH/44332	M/s. Associated Containers Line Pvt. Ltd., Jan Mangal, 5th Floor, 45-47, Mumbai Samachar Marg, Fort, Mumbai-400023.	01-12-1999
13.	MH/44313	M/s. Global Enterprises, 37-A, Bombay Timber Market, Signal Hill, Avenue Reay Road, (East), Mumbai-400010.	01-01-2000
14.	MH/42821	M/s. Mine Stone, 514, Fancharatna, Opera House, Mumbai-400004.	01-10-1996

(1)	(2)	(3)	(4)
15.	MH/41460	M/s. Gazette Tranel Ltd., 69, World Trade Centre, Mumbai-5.	01-04-1994
16.	MH/42187	M/s. The Indo-Italian Chamber of Commerce and Industry, 32, Suleman Chamber, 4 Battery Street, Mumbai-400039.	01-04-1996
17.	MH/44296	M/s. Mangal Keshav & Stock Brokers, 35, Ambalal Doshi Marg, 1st Floor, Mumbai-400023.	01-09-1999
18.	MH/39387	M/s. Rama News Print & Papers Ltd., 181-B, Maker Tower (E) Cudde Parade, Mumbai-400005.	01-07-1993
19.	MH/42915	M/s. Sterling Fisheries, Ice and Cold Storage Services Pvt. Ltd., Sagar Press Godown, 'G' Block, Sasoon, Dock's, Colaba, Mumbai-400005.	01-09-1997
20.	MH/42869	M/s. Combiline Indian Agencies Pvt. Ltd., B-5, Ionic Lala Nigam Ltd., Colaba, Mumbai-400005.	01-12-1996
21.	MH/39596	M/s. Sanneet Computers Pvt. Ltd., (Including M/s. Access Systems) B. M. P. Building, 12th Floor, N. A. Sawant Marg, Colaba, Mumbai-400005.	01-08-1992
22.	MH/42766	M/s. Bipin Chandra & Co., 190, Prasad Chambers, Opera House, Mumbai-400004.	01-06-1997
23.	MH/44275	M/s. Inter Tech Systems Pvt. Ltd., Unit No. 181-B, S. D. F. VI (Phase-I), Sec P-2 Anderi (E), Mumbai-400096.	01-01-2000

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

K. A. DWIVEDI
Regional Provident Fund Commissioner

New Delhi-110066, the 22nd December 2000

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/3742.—WHEREAS the employers of the establishment mentioned in Schedule-I hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 7 of the Employee's Provident Fund and Miscellaneous provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas, the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India

in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of Government of India, the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in Schedule II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names. —

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name and address of the establishment	Code No.	No and date of Govt. Notification Vide which Exemption was granted/Extended	Date of Expiry	Period of Exemption	C.P.F.C's File No.
1	2	3	4	5	6	7
01.	M/s. Madura Coats Ltd., New Jail Road, Madurai-1.	TH/157	2/1959/DLI/Exm/ 89/Pt. 1. dt. 14-11-1997	31-10-1995	1-11-1995 to 31-10-1998 1-11-1998 to 23-6-2000	2/2920/2000
02.	M/s. Arasan Textiles Pvt. Ltd., 1/1, South Cotton Road, Tuticorin-628001.	N/10697	Do. dt. 13-5-1994	31-3-1993	1-4-1993 to 31-3-1996 & 1-4-1996 to 31-3-1999 & 1-4-1999 to 23-6-2000	2/3305/90
03.	M/s. En Vee Bee Electrodes, 18, Indl. Estate, S. Vellalapatty, Karur-639004.	TN/27644	Do. dt. 19-3-1990	29-2-2000	1-3-2000 to 23-6-2000	14/203/TN/96
04.	M/s. Krishna Engineering Co. Pvt. Ltd., D.I. BHEL Ancillary Indl. Estate, Thiruvembur, Trichy-14.	TN/8268	Do. dt. 9-2-1999	16-3-1999	17-3-1999 to 23-6-2000	2/2004/84
05.	M/s. The Nilgiris Co. op. Enterprises Ltd., Charring Cross, Udhagamandalam-643001.	TN/6879	Do. dt. 21-6-1999	30-9-1999	1-10-1999 to 23-6-2000	2/1991/89
06.	M/s. Chidambaram SarVedaya Sangh, 19, South Car St., Chidambaram-608001, alongwith its branches.	TN/2901-W	Do. dt. 1-4-1999	31-8-1999	1-9-1999 to 23-6-2000	14/53/ TN/99
07.	M/s. The Madras Vanaspathy Ltd., Power House Road, Villupuram-605602.	TN/3975	Do. dt. 21-6-1999	31-5-1998	1-6-1998 to 23-6-2000	2/3613/91
08.	M/s. Hotel Surya Interna- tional, 105, Race Course Road, Coimbatore-641018.	TN/21329	Do. dt. 23-1-1999	29-2-2000	1-3-2000 to 23-6-2000	2/4146/92
09.	M/s. Tamil Nadu State Transport Corporation (Division IV), Madurai.	TN/19708	Do.	31-3-1992	1-4-1992 to 31-3-1995 & 1-4-1995 to 31-3-1998 & 1-4-1998 to 23-6-2000	2/1979/89

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government, may from time to time, direct under clause (a) sub-section (2A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be born by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended along with translation of the salient feature thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employee under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased

member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

S. RAGHURAM

Regional Provident Fund Commissioner

New Delhi-110066, the 22nd December 2000

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/37634—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India, the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment from the conditions specified in Schedule-II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-I

S. No.	Name and address of the establishment	Code No.	No. and date of Govt. Notification vide which exemption was granted/extended.	Date of Expiry	Period for Exemption	C.P.F.C's File No.
01.	M/s. Balarama Varma Textile Mills, Shencottah-627809, Tirunelveli Dist.	TN/539	2/1959/DLI/Exm/89/Pt. 1, dt. 23-1-1992	31-12-1992	1-1-1993 to 31-12-1995 & 1-1-1996 to 31-12-1998 & 1-1-1999 to 30-11-2000	2/2041/89
02.	M/s. Shasun Chemicals & Drugs Ltd., No. 60, Velachary Main Road, Guindy, Chennai-32.	TN/11095	Do. dt. 31-1-1994	31-10-1995	1-11-1995 to 31-10-1998 & 1-11-1998 to 30-11-2000	2/2609/90
03.	M/s. The South India Cooperative Spinning Mills Ltd., Industrial Colony, Post Office Pettai, Tirunelveli-627010.	TN/2133	Do. dt. 26-2-1990	4-3-1992	5-3-1992 to 4-3-1995 & 5-3-1995 to 4-3-1998 & 5-3-1998 to 30-11-2000	14/90/2000

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, along-with translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more-favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

S. RAGHURAM
Regional Provident Fund Commissioner

New Delhi-110066, the 4th January 2001

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt.I/3778.—WHEREAS the employer of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner Tamil Nadu from the operation of said Scheme for a period of 3 (three) years.

SCHEDULE-I

S. No.	Name & Address of the Estt.	Code No.	Effective date of Exemption	C.P.F.C.'s File No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.	M/s. Standard Fire Works Ltd., Sepent Eggs Factory, Viswanatham, Sivakasi (Via).	TN/5438	1-3-2000 to 23-6-2000	14/891/2000
02.	M/s. Standard Paper Containers Pvt. Ltd., Co. op. Indl. Sivakasi (West).	TN/7653	1-3-2000 to 23-6-2000	14/892/2000
03.	M/s. Standard Fire Works Ltd., (Chakkaram Factory), Viswanatham (Via) Sivakasi.	TN/5424	1-3-2000 to 23-6-2000	14/893/2000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
04.	M/s. Jeewana Schools Ponmeni, Jayanagar, Madurai-625010.	TN/24465	1-2-1999 to 23-6-2000	14/894/2000
05.	M/s. Rajarathinam Fire Works Industries, 'B' Unit, 8/115, Sevaikaranpatti Road, Melaamathur (Via) Sivakasi.	TN/20004	1-3-2000 to 23-6-2000	14/895/2000
06.	M/s. The Jasmine Match Works, 8-D-4, Chairman, P.K.S.A.A. Road, Sivakasi-626123.	TN/9937	1-3-2000 to 23-6-2000	14/896/2000
07.	M/s. Kallakurichi II Coop. Sugar Mills Ltd., Kacharapalayam-606207, Villupuram Dist.	TN/6139-B	1-12-1998 to 23-6-2000	14/897/2000

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended along with translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore, any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

S. RAGHURAM
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/P.O. 3792.—WHEREAS the employer of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(A) of the Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan from the operation of said Scheme for a period of 3 (three) years.

SCHEDULE-I

S. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	Effective date of Exemption	C.P.F.C.'s File No.
01.	M/s. Jaipur Roller Flour Mills (P) Ltd., 206, Industrial Area, Jhotwara, Jaipur.	RJ/4604	1-9-1997 23-6-2000	13/98/2000/CV
02.	M/s. Lodha Brothers (P) Ltd., 9-11, Industrial Estate, Makhupura, Ajmer.	RJ/5039	1-7-1995 30-6-1998	13/99/2000/CV
03.	M/s. Rose Marbles Ltd., S.P.I., Udyog Vihar, Sukher Industrial Area, Udaipur.	RJ/7130	1-8-1998 23-6-2000	13/100/2000/CV
04.	M/s. Ram Kumar Textile Pvt. Ltd., Shah Pura, Crossing Mandal, Bhilwara.	RJ/9065	1-2-1998 23-6-2000	13/101/2000/CV
05.	M/s. Reliable Refractories Pvt. Ltd., 119, Subhash Nagar, Extension, Opp. U.I.T., Bhilwara.	RJ/9076	1-7-1999 23-6-2000	13/102/2000/CV
06.	M/s. Happy Home Secondary School, C-191, Pratap Nagar, Udaipur.	RJ/7595	1-3-1998 23-6-2000	13/103/2000/CV
07.	M/s. K.S. Car Ltd., National Motors Building, M.I. Road, Jaipur.	RJ/9524	1-10-1999 23-6-2000	13/104/2000/CV

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended along with translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an est. exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding, anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee (s)/Legal heir (s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

K. L. TANEJA
Regional Provident Fund Commissioner

प्रकाशक, भारत सरकार मद्रासालय, फरीदाबाद द्वारा प्रकाशित

एक प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2001

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2001

